

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259838 CG-DL-E-01012025-259838 xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-
section (i)

प्राजधकार से प्रकाजित

सं. 729]नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946

No. 729] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/PAUSHA 10, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2024

सा.का.नन. 791(अ).—केन्द्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 2002 (2003 का 17) की िारा 35 द्ारा प्रित्त शक्ततयों का प्रयोग करते हुए, ननमललखखत ननयम बनाती है, अर्ातः—

अ

ध्याय

1

प्रारं

भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंि**— (1) इन ननयमों कासंक्षक्षप्तनाम अपतट क्षेत्र खननज संरक्षण और विकास ननयम, 2024 है।

(2) ये ननयम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रित्तहोंगे।

2. **प्रयोज्यता**— िारा 3 की उपपारा (1) के अनुसार, ये ननयम खननज तेलों और उन से संबंधित हाइड्रोकार्बन के लिसाय अपतट क्षेत्रों में सभ्खननजों को लागू होंगे।

8498 GI/2024 (1)

3. **पररिषाएं**— (1) इन ननयमों में, जब तक कक संिभा से अन्धर्ा अपेक्षित न हो—

(क) "खानकापररत्याग" से कक सीखान, चाहे िह पुरीया उसके भाग, का अनतम रूप से बंि होना है, जब खानया उसके भाग के भीतर खननज भंडार पुरीतरह से ननकाल ललाया गया हो या जब उसमें उत्पािन संकिया अला भकारी हो गयी हो अलभप्रेत है;

(ख) "अधिननयम" से अपतट क्षेत्र खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 2002 (2003 का 17) अलभप्रेत है;

(ग) "प्राधिकृत अधिकारी" से अलभप्रेत है—

(i) भारतीय खान ब्यूरो का कोई अधिकारी, कजसे भारतीय खान ब्यूरो के महाननयंत्रक द्ारा ललखखत रूप में प्राधिकृत ककया गया हो अलभप्रेत है; या

(ii) इन ननयमों के िीन काया करने के ललए प्रशासनक प्राधिकारी द्ारा इस ननलमत प्राधिकृत कोई अधिकारी अलभप्रेत है; या

(iii) परमाणु खननज, गिषण और अनुसंिन ननिशालय का एक अधिकारी, कजसे ननिशक, परमाणु खननज गिषण और अनुसंिन ननिशालय द्ारा ललखखत रूप में, परमाणु खननजों के संबंि में प्रारंलभकमूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड िले खननजों के संबंि में इन ननयमों के िीन काया करने के ललए अधिकृत ककया गया हो अलभप्रेत है;

(घ) "सज्जीकरण" से अनचाहे घटकों को हटाकर निनित उत्पािकी गुणित्ता, शुद्धिता या परखग्रेड को उद्धत करने के प्रयोजन से खननजों या अयस्कों का प्रसंस्करण अलभप्रेत है;

(ङ) "मुख्य खाननयंत्रक" से भारतीय खान ब्यूरो के मुख्य खाननयंत्रक अलभप्रेत है;

- (च) "समर्प्राधिकारी" सेखोजसंबंधी योजनाकी शिमा में नयम 5 में तर्का उत्पािन योजनाकी शिमा में नयम 14 में नदिष्ट समर्प्राधिकारी अलभ प्रेत है;
- (ि) "महाननयंत्रक" से भारतीय खानब्यूरो के महाननयंत्रक अलभ प्रेत है;
- (ज) "खाननयंत्रक" से भारतीय खानब्यूरो के खाननयंत्रक अलभ प्रेत है;
- (झ) "कोर" से बोरहोलकी ड्रडलंगया उप-सतह को रंग के िौरान अलभ प्राप्त उप-सतह चट्टानों या खननज युतत तलिट के नमूने से अलभ प्रेत है;
- (ञ) "विकास" से खननजों या खननज युतत तलिट के उत्पािन की तैयारी के रूप में अधिभार या अनुत्पािक या अपलशष्टि पार्ो को हटाना अलभ प्रेत है;
- (ट) "पयाारिण" और "पयाारिण प्रूषण" के िही अर्ाहोंगे जो पयाारिण (संरक्षण) अधिनयम, 1986 (1986 का 29) की िारा 2 के (क) और (ग) में मिशः उन के लल एनन दिष्ट हैं;
- (ठ) "खान को अनंतम रूप से बंिकरना" से कक सी खान या उसके भाग में उत्पािन संकियाओं के कारण प्रभावित समुतल के प्राकृतक पुन्यास को समर्ा करने के लल एउठा एग एक म और उपाय अलभ प्रेत है, जो कक सी खान या उसके भाग में उत्पािन संकियाओं या प्रसंस्करण संकियाओं की समाप्त से शुरू होता है;
- (ड) "खान को अनंतम रूप से बंिकरने की योजना" से कक सी खान या उसके कक सी भाग में उत्पािन संकियाओं और खननज प्रसंस्करण संकियाओं की समाप्त के पश्चात् उत्पािन संकियाओं के कारण प्रभावित समुतल के प्राकृतक पुन्यास को समर्ा करने और उसे बंिकरने के प्रयोजन के लल ए एक योजना अलभ प्रेत है, कज से भारतीय खानब्यूरो या परमाणु खननज गिषण और अनुसंिानन निशालय के ननिशक द्ारा परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभक मूल्य के बराबर या उस से अधिक ग्रेडि लेखननजों के लल ए जारी कक एग मान करूप विंन और मागां शाकल सद्िंतों में विनन दिष्टरीनत में तैयार कक या गया है;
- (ढ) "प्ररूप" से अनुसूची में निाररत प्ररूप अलभ प्रेत है;
- (ण) "भूविज्ञानी" से कक सी संकिया संबंधी अधिकार के िारक द्ारा इननयमों के िीन भूविज्ञानी के कताव्यों का पालन करने के लल ए नयुतत व्यक्त अलभ प्रेत है;
- (त) "खनन इंजीनयर" से कक सी संकिया संबंधी अधिकार के िारक द्ारा इननयमों के िीन खनन इंजीनयर के कताव्यों का पालन करने के लल ए नयुतत व्यक्त अलभ प्रेत है;
- (र) "खननज अस्िीकृत" में उखननत सभी सामग्रयां शालमल हैं जो उपयोगी सामग्रीनहीं हैं, कजन्हें ग्रेड या आकार के िार पर अस्िीकृत कक या जासकता है;
- (ि) "उत्पािन योजना" से नयम 15 में नदिष्ट योजना अलभ प्रेत है;
- (ि) "खान बंिकरने की प्रगनत शील योजना" से कक सी खान या उसके कक सी भाग में उत्पािन संकियाओं के कारण प्रभावित समुतल के प्राकृतक पुन्यास को समर्ा करने और सुरक्षात्मक उपायिप्राण करने के प्रयोजन र्ा एक प्रगनत शील योजना अलभ प्रेत है, कज से भारतीय खानब्यूरो या परमाणु खननज गिषण और अनुसंिानन निशालय के ननिशक द्ारा, परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभक मूल्य के बराबर या उस से अधिक ग्रेडि लेखननजों के लल ए, जारी मान करूप विंन और मागां शाकल सद्िंतों में विनन दिष्टरीनत में तैयार कक या गया है;
- (न) "क्षेत्रीयनयंत्रक" से भारतीय खानब्यूरो के क्षेत्रीय खाननयंत्रक अलभ प्रेत है;
- (प) "अनुसूची" से इननयमों से संलग्न अनुसूची अलभ प्रेत है;
- (फ) "िारा" से अधिनयम की िारा अलभ प्रेत है;
- (ब) "अस्ायी रूप से बंिकरना" से कक सी खान या उसके कक सी भाग में उत्पािन संकियाओं का योजनाबद्िया अयोजनाबद्िन्न लंबन अलभ प्रेत है और जहां संकिया एक सौबी सिदन से पहले पुनः शुरू होने की संभािनानहीं है; और

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

3

(भ) "षि" से अप्रैल के पहली दिन से प्रारम्भ होकर आगामी षि के माचा के इकतीस दिन समाप्त होने वाली बारह मास की अधि अलभ प्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त ककन्दतु परभावषत न ककए गए शब्दों और अलभव्यक्ततयों का िही अर्ा होगा जो अधिननयम या इसके अीन बनाए गए ननयमों में उन्दहे दिया गया है।

4. परमाणु खननज खोज संबंधी और अनुसंिान ननदेशालय की शक्ततयां और कायय— इन ननयमों में, जहां कहीं भी भारतीय खान ब्यूरो या उसके अधिकाररयों की कोई शक्तत, काया या कजम्मेिारी विननदिष्ट की जाती है या भारतीय खान ब्यूरो या उसके अधिकाररयों की कोई सूचना प्रस्तुत की जानी होती है, उसे परमाणु खननज खोज संबंधी और अनुसंिान ननिशालय या उसके अधिकाररयों की शक्तत, काया या कजम्मेिारी के रूप में समझा जाएगा या परमाणु खननजों के संबंध में प्रारंभकमूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड िाले खननजों के ललए उतत ननिशालय या उसके अधिकाररयों को ननमललखखत रीनत से सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा के रूप में समझा जाएगा, अर्ातः—

(क) भारतीय खान ब्यूरो के प्रनत ककसी संिभा को परमाणु खननज खोज संबंधी और अनुसंिान ननिशालय के प्रनत संिभामाना जाएगा;

(ख) महाननयंत्रक या मुख्य खाननयंत्रक या खाननयंत्रक या क्षेत्रीय ननयंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी के प्रनत कोई संिभा, खोज संबंधी और अनुसंिान के ललए परमाणु खननज ननिशालय के यर्ाक्सनत, ननिशकया, प्राधिकृत अधिकारी के प्रनत संिभामाना जाएगा।

अध्याय 2

आवीणि और खोज संबंधी संक्रिया

5. खोज संबंधी योजना के संबंध में समर्य प्राधिकारी— महाननयंत्रक या महाननयंत्रक द्ारा ललखखत रूप प्राधिकृत भारतीय खान ब्यूरो का कोई अधिकारी खोज संबंधी योजना के अनुमोि और उपांतरण के संबंध में ननणाय लेने के ललए समर्ा प्राधिकारी होगा।

6. खोज संबंधी योजना— (1) संयुतत अनुज्ञप्त अनुित्त करने के ललए चयननत, अधिमान्द्य बोलीिता, सरकार या सरकारी कंपनी या ननगम, आशय पत्र या िारा 8 के अीन अधिसूचना की तारीख से नब्बे दिन की अधि के भीतर, यर्ाक्सनत, महाननयंत्रक और क्षेत्रीय ननयंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को खोज संबंधी योजना प्रस्तुत करेगा, कजसमें िह रीनत िशाई जाएगी कजससे िह संयुतत अनुज्ञप्त के अीन आने िाले क्षेत्र में खोज संबंधी संकिया करने का प्रस्ताि करता है।

(2) ककसी अनुज्ञप्तिारक द्ारा कोई भी खोज संबंधी संकिया, खोज संबंधी योजना के अनुसार ही ककया जाएगा, कजसे ननयम 5 में ननदिष्ट अधिकाररयों द्ारा अनुमोदित ककया गया हो।

(3) खोज संबंधी योजना भारतीय खान ब्यूरो द्ारा समय-समय पर विननदिष्ट रूपविान में तैयार की जाएगी।

(4) खोज संबंधी योजना में ननमललखखत शालमल होंगे:—

(क) अनुज्ञप्त क्षेत्र का अक्षांश और िशांतर में विरिण;

(ख) योजना का पैमाना और भूिज्ञाननकमानधचत्रण का क्षेत्र;

(ग) प्रस्तावित खोज संबंधी कायािमका विरिण;

(घ) खोज संबंधी संकियाओं की एक अस्ायी समय-सीमा और विषाक योजना, कजसमें खोज संबंधी संकियाओं की उपलब्ियां शालमल हैं;

(ङ) उपयोग ककये जाने िाले जलयानों, उपकरणों, प्रनतष्ठानों, इंजनों, मशीनों और उपकरणों की विलशक्ष्यां; और

(च) ननयम 5 में ननदिष्ट समर्ा प्राधिकारी द्ारा समय-समय पर विननदिष्ट खोज संबंधी संकियाओं का कोई अन्धिविरिण।

7. खोज संबंधी योजना की तैयारी— प्रत्येक खोज संबंधी योजना, यर्ाक्सनत, ननमललखखत अहाता और अनुभि रखने िाले व्यक्तत द्ारा तैयार या उपांतररत की जाएगी:—

(क) भूविज्ञान या अनुप्रयुतत भूविज्ञान या भूभौनतकी या समुरी भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधिया ककसी के रीय अधिननयम, प्रांतीय अधिननयम या राज्य अधिननयम द्ारा या उसके अीन स्ावपत या मान्द्यता प्राप्त विश्विविद्यालय द्ारा प्रित्त कोई समतुल्य अहाता, कजसमें विश्विविद्यालय

अनुविनआयोगअधिननयम1956 (1956 का 3) कीारा 4 केअनिवश्विद्यालयअनुविनआयोगद्वारामान्यताप्राप्तकोईसंस्थाभारतकेबाहरककसीविश्विद्यालययासंस्थाद्वाराप्रित्तऔरभारतसरकारद्वारामान्यताप्राप्तकोईसमतुल्यअहाताशालमलहै; तर्ा

(ख)डूडग्रीप्राप्तकरनेकेबासिमुरीखननजखोजकेक्षेत्रमेंपयािक्षीक्षमतामेंकामकरनेकापांच िषाकािनतअनुभि।

8. **खोज संबंधी योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया**— (1) खोजसंबंधी योजना ननयम 5 में विननदिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(2)ननयम 6 के उप-ननयम (1) के अीन अनुमोिन के ललए प्रस्तुत प्रत्येक खोजसंबंधी योजना के सार् ऐसीफीसहोगी, जैसी भारतीय खान ब्यूरो द्वार विननदिष्ट की जाएगी।

(3)ननयम 5 में ननदिष्ट समर्ा प्राधिकारी खोजसंबंधी योजना के अनुमोिन के ललए आेिन का ननपटान ऐसे आेिन की प्राकप्त की तारीख से साठ दिन की अधि के भीतर करेगा:

परंतुक कक साठ दिन की उतत अधि केिल तभी लागू होगी जब खोजसंबंधी योजना सभी प्रकार से पूणा हो, और खोजसंबंधी योजना को अनुमोिन के ललए प्रारंलभक रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात् समक्ष प्राधिकारी द्वार बाि में सुझाए गए ककसी भी उपांतरण के मामले में, उतत अधि उस तारीख से लागू होगी, कजसमें ऐसे उपांतरण ककए गए हैं और समर्ा प्राधिकारी को नए लसरे से प्रस्तुत ककए गए हैं।

(4)ननयम 5 में ननदिष्ट समर्ा प्राधिकारी ललखखत आेश द्वार ककसी भी समय ननयम 6 के उप-ननयम (1) के अीन प्रस्तुत खोजसंबंधी योजना में उपांतरण का ननिश िे सकेगा या ऐसी योजना में ऐसी शतें लगा सकेगा, कजन्हें िह आश्यक समझे।

9. **खोज संबंधी योजना में उपांतरण**— (1) ननयम 6 के उप-ननयम (1) के अीन प्रस्तुत खोजसंबंधी योजना को अनुज्ञप्तिारक द्वार यर्ाक्सनत, भूिज्ञाननक कारणों से या खोजसंबंधी क्षमता में क्षिता बढाने के ललए या ऐसे अनुज्ञप्तिारक द्वार ललखखत रूप में विननदिष्ट ककए जाने िाले ककसी अन्ध कारण से या ननयम 5 में ननदिष्ट समर्ा प्राधिकारी द्वार ननिलशत, खोजसंबंधी संकियाओं के जारी रहने के िौरान ककसी भी समय उपांतररत ककया जा सकता है।

(2)उप-ननयम (1) के अीन ककया गया कोई भी उपांतरण ननयम 5 में ननदिष्ट समर्ा प्राधिकारी के पूर्ा अनुमोिन के अीन होगा और ननयम 8 में विननदिष्ट प्रकिया के अनुसार ननपटाया जाएगा।

(3)ननयम 5 में ननदिष्ट समर्ा प्राधिकारी द्वार खोजसंबंधी योजना में उपांतरण के ककसी प्रस्ताि पर संयुतत अनुज्ञप्त की खोजअनुज्ञप्त की समाकप्त से िह मास पूर्ा की तारीख के पश्चात विचार नहीं ककया जाएगा।

10. **खोज संबंधी संक्रिया खोज संबंधी योजना के अनुसार क्रकए जाएंगे**— प्रत्येक संयुतत अनुज्ञप्त िारक, अनुमोदित खोजसंबंधी योजना के अनुसार या ननयम 9 के अीन उपबंधितअनुसार या समक्ष प्राधिकारी द्वार ननिलशत ऐसे उपांतरणों के सार्, यदि कोई हो, खोजसंबंधी संकिया करेगा।

11. **आवीणि और खोज संबंधी संक्रियाओं के बारे में सूचना**— प्रत्येक संयुतत अनुज्ञप्त िारक को पहलीअनुसूची के प्ररूप-कमें ननमललखखत को सूचना भेजनी होगी:—

(क) क्षेत्रीयननयंत्रक, प्रशासननक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी, तर्ा नौसेना मुख्यालय (नौसेना खुकफया ननिशालय), रक्षा मंत्रालय को खोजसंबंधी संकियाओं और आीक्षण संकियाओं के प्रारंभ होने के बारे में कम से कम िो मास पहले सूधचत ककया जाना चादहए।

(ख) भारतसरकारकेमुख्यहाइड्रोग्राफरकोनेविगेशनलचाटापरप्रकाशनकरनेतर्ाआीक्षण संकियाओं औरखोजसंबंधीसंकियाओंकोआरंभकरनेसेकमसेकमपंरहिदनपहलेसमुरमेंनाविकोंऔर स्ानीयिमुआरोंकीसुरक्षाकेललएनौसंचालनक्षेत्रकोचेतािनीजारीकरनेकेललएपत्र।

12. **खोज संबंधी संक्रियाओं का ननरीणि**— (1) संयुतत अनुज्ञप्त िारक ककसी भी प्राधिकृत अधिकारी को ककसी भी समय उसके द्वार रखे गए लेखों की जांच करने की अनुमनत िेगा और प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सूचना और विरिखणयां उपलब्ि कराएगा, कजनकी प्राधिकृत अधिकारी अपेक्षा करे।

(2)संयुतत अनुज्ञप्त िारक ककसी भी प्राधिकृत अधिकारी को उसके द्वार ककए गए ककसी भी खोजसंबंधी संकिया का ननरीक्षण करने की अनुमनत िेगा, कजसमें खोजसंबंधी संकियाओं के िौरान तैयार ककए गए मानधचत्र, खंड, प्रोफाइल, कोर लॉग और नमूने शालमल हैं।

- 13. संयुक्त अनुज्ञप्ति िारक या ककसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ररपोर्टें—** (1) संयुक्त अनुज्ञप्ति का प्रत्येक िारक, यर्ाक्सनत, भारतीय भूिैज्ञाननक सििक्षण, प्रशासननक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्रीय ननयंत्रक और ककसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को, ननम्रललखखत ररपोटा प्रस्तुत करेगा:—
- (क) िषाकीसमाप्तकेपश्चात्साठिदनोंकेभीतरपहलीअनुसूची केप्ररूप-खमेंअद्यतनिावषाक प्रगनतकेसानिविषाकररपोटा;
- (ख)नतमाहीसमाप्तकेपश्चात्तीसिदनोंकेभीतरपहलीअनुसूची केप्ररूप-खमेंअद्यतननतमाही प्रगनत;
- (ग)अपतटीयक्षेत्र(खननजसंसािनोंकीविद्यमानता) ननयम, 2024 केननयम4 केअीनतैयार भूिैज्ञाननकररपोटाकेरूपमेंखोजसंबंिीसंकियाओंकेपररणामकीव्याख्याकरनेिालीअनतम ररपोटा; खोजसंबंिीसंकियाओंकेपूराहोनेकेपश्चात्िहमासकेभीतर, यदिलागूहो, तो उत्पािनपट्टाअनुित्तिकरनेकेललएउपयुततक्षेत्रकीपहचानकरना।
- (2)उप-ननयम (1) के अीन ररपोटिंग का रूपवििान भारतीय खान ब्यूरो द्ारा विननदिष्ट ककया जाएगा।
- (3)िारा 5 की उपिारा (1) के परन्दुतुक के अीन प्राधिकृत प्रत्येक अलभकरण भारतीय भूिैज्ञाननक सििक्षण, प्रशासननक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी और क्षेत्रीय ननयंत्रक को पहलीअनुसूची के प्ररूप-ख में िावषाक प्रगनत अद्यतन सदहत िावषाक ररपोटा इस प्रकार प्रस्तुत करेगा कक िह ऐसी अलभकरण द्ारा अीिक्षण संकियाओं या खोजसंबंिी संकियाओं के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक बारह मास की समाप्त के पश्चात् साठ दिन के भीतर उसके पास पहुंच जाए।
- (4)अीिक्षण संकिया या खोजसंबंिी संकिया को पररत्यागकरनेकीिशामेंपहलीअनुसूची के प्ररूप-खके सार् ररपोटा ऐसे पररत्याग की तारीख से तीस दिनों की अिधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी औरररपोटाकीएकप्रनतभारतसरकारकेमुख्यहाइड्रोग्राफरकोभेजीजाएगी।
- (5)उप-ननयम (1) के अीन ररपोटा प्रस्तुत करते समय, अनुज्ञप्तिारक यह विननदिष्ट कर सकेगा कक उसके द्ारा प्रस्तुत ररपोटा और डाटा का संपू्ण भाग या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा, और उप-ननयम (1) में विननदिष्ट प्राप्तकता, प्रस्तुत ररपोटा और डाटा के ऐसे भागों को गोपनीय रखेंगे, जैसा िे उधचत समझें:

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

7

परंतु, केन्द्रीय सरकार को ऐसी गोपनीय ररपोर्टों और डाटा को अपने प्रयोजनों के ललए स्ितंत्र रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा:

परंतुक कक यदि अनुज्ञप्ति िारक िारा 12 की उपिारा (6) में ननाररत समय अिधि के भीतर उत्पािन पट्टे के ललए आेिन करने में विफल रहता है, या यदि अनुज्ञप्तिारक द्ारा प्रस्तुत उत्पािन पट्टे के ललए आेिन केंरीय सरकार या प्रशासननक प्राधिकारी द्ारा अस्िीकार कर दिया जाता है, या संयुक्त अनुज्ञप्ति के ननरस्तीकरण या समाप्त पर, या अपतट क्षेत्र खननज (नीलामी) ननयम, 2024 के ननयम 18 के उपननयम (7) के पहले परंतुक के अनुसार संकिया का पररत्याग या अनतररतत क्षेत्र का समपाण कर दिया जाता है, तो उतत अनुज्ञप्तिारक द्ारा प्रस्तुत सभी ररपोटा और डाटा केंरीय सरकार की एकमात्र संपवत्त बन जाएंगे।

अध्याय3

उत्पादन संक्रिया

- 14. उत्पादन योजना के संबंधि में समर्य प्राधिकारी—** महाननयंत्रक या महाननयंत्रक द्ारा ललखखत रूप में प्राधिकृत भारतीय खान ब्यूरो का कोई अधिकारी उत्पािन योजना के अनुमोिन, पुनविलोकन और उपांतरण तर्ा खान को अनतमरूपसेबंि करने की योजना के संबंधि में ननणाय लेने के ललए समर्ा प्राधिकारी होगा।
- 15. उत्पादन योजना—** (1) कोई भी उत्पािन संकियानहींकीजाएगी, लसिय उस उत्पािन योजना के, कजसे ननयम 14 में ननदिष्ट समर्ा प्राधिकारी द्ारा तर्ा ननयम 16,17 और 18 के अनुसार अनुमोदित, उपांतरण या पुनविलोककत ककया गया हो।
- (2)उत्पािन योजना में ननम्रललखखत शालमल होंगे,अर्ात्:—

- (क) पट्टाक्षेत्रकीयोजनाकजसमेंखननजक्षेत्र, स्ानयास्ानोंकीप्रकृतनऔरसीमाकोिशाय गया हो, जहां आेिक याककसीअन्धव्यक्ततद्ाराएकत्रत डाटा केआारपरउत्पािन संकियाकएजानेकाप्रस्तािहै;

(ख) पट्टाक्षेत्रके भूविज्ञान और अश्विमवज्ञान (ललर्ोलॉजी) का ब्यौरा कजसमें क्षेत्रके खननजसंसाधिन और भंडारशालमलहै;

(ग) प्रस्तावित खोजसंबंधी और उत्पादन का या मिका विवरण;

(घ) ननकाले गए खननजों के मापन या निजन की प्रणाली, रॉयल्टी की गणना, पट्टाक्षेत्रसे ननकासी का स्त्रान और भारतमें उतराईयाननकासी का बंरिगाह, जहां खननजों को लाया जाएगा, का ब्यौरा, यदि कोई हो;

(ङ) उत्पादन की विधि, उत्खनन, ड्रडलंग, ड्रेकजंग, अपलशष्ट और खननज अस्िीकृतों का रखखा, खननज का उपयोग और खननजों का सज्जीकरण, साइट-से िएं, ननयोजन-संभा नि को िशाते हुए उत्पादन संकिया के तरीके का विवरण;

(च) उत्पादन संकियाओं की एक अस्ायी अनुसूची और पांच िषों के ललए िषा िर िषा उत्पादन संकियाओं की योजना;

(ि) खान अपलशष्ट के संचयन और उसके ननपटान और परररो िकीरीनत और ढंग के बारेमें एक अस्ायी अनुमान;

(ज) खननज प्रसंस्करण और खननज उद्भयन कीरीनत, यदि कोई हो, कजसमें टेललंगननपटान का ढंग भी शालमलहै;

(झ) खान बंरि करने की प्रगनतशील योजना;

(ञ) आिर भूतसूचना, समाघात आकलन और शमन उपायों को िशाने िाली पया िरण प्रबंनियोजना और;

(ट) कोई अन्धिवषय कजसे केन्द्रीय सरकार या भारतीय खान ब्यूरौ आिे िक से उत्पादन योजनामें उपलब् िकरण की अपेक्षा कर सकता है।

(3) इस संबंधि में भारतीय खान ब्यूरौ ढिंारा तैयार मैनुअल के अनुसार उत्पादन योजना बनाई जाएगी।

16. उत्पादन योजना की तैयारी— (1) प्रत्येक उत्पादन योजना, यर्ाक्सूनत, ननमूललखखत अहाता और अनुभिरखने िले व्यक्तत ढिंारा तैयार या उपांतररत की जाएगी:

(क) खनन इंजीननयररंग में ड्रडग्री या भूविज्ञान या अनुप्रयुतत भूविज्ञान या भूभौनतकी या समुरी भूविज्ञान में स्नातकोत्तर ड्रडग्री या ककसी केंरीय अधिननयम, प्रांतीय अधिननयम या राज्य अधिननयम ढिंारा या उसके आिनस्ावपतयामान्धता प्राप्तिवश िविद्यालय ढिंारा प्रािनकी गई कोई समतुल्य अहाता, कजसमें िश िविद्यालय अनुिान आयोग अधिननयम 1956 (1956 का 3) की िारा 4 के आिनवश िविद्यालय अनुिान आयोग ढिंारामान्धता प्राप्त कोई भी संस्ा या भारत के बाहर ककसी भी िश िविद्यालय या संस्ा ढिंारा अनुित्तकी गई और भारत सरकार ढिंारामान्धता प्राप्त कोई समतुल्य अहाता शालमलहै; और

(ख) ड्रडग्री अलभ प्राप्त करने के पश्चात् खनन के क्षेत्रमें पया िेक्षी क्षमतामें काम करने का पांचिषा का िृवत्तक अनुभि।

(2) पट्टे िार का यह िानयत्ि होगा कक िह यह सुननक्श्चत करे कक उत्पादन योजना भारतीय खान ब्यूरौ ढिंारा इस संबंधि में तैयार ककए गए मैनुअल के अनुसार तैयार की जाए।

17. उत्पादन योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया— (1) उत्पादन योजना ननयम 14 में ननदिष्ट समर्ा प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उप-ननयम (1) के आिन अनुमोिन के ललए प्रस्तुत प्रत्येक उत्पादन योजना के सार् ऐसी फीस की जाएगी, जैसा कक भारतीय खान ब्यूरौ ढिंारा विननदिष्ट ककया जाएगा।

(3) ननयम 14 में ननदिष्ट समर्ा प्राधिकारी उत्पादन योजना के अनुमोिन के ललए आिे िन का ननपटान ऐसे आिे िन की प्राक्क की तारीख से नब्बे दिन की अधि के भीतर करेगा:

परंतुक कक नब्बे दिनों की उतत अधि के िल तभी लागू होगी जब उत्पादन योजना सभी प्रकार से पूणा हो, और उत्पादन योजना के अनुमोिन के ललए प्रारंलभक प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समर्ा प्राधिकारी ढिंारा बाि में सुझाए गए ककसी उपांतरण की िशामें, उतत अधि उस तारीख से लागू होगी कजसमें ऐसे उपांतरण ककए गए हों और समर्ा प्राधिकारी को नए लसरे से प्रस्तुत ककए गए हों।

- (4)ननयम 14 में ननदिष्ट समर्ा प्राधिकारी ललखखत अिेश द्ारा ककसी भी समय उत्पािन योजना में पररितान करने का ननिश िे सकता है या उत्पािन योजना में ऐसी शतें लगा सकता है, कजन्द्हे िह आश्यक समझे।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

9

18. उत्पादन योजना का उपांतरण और पुनर्विलोकन— (1) एक बार अनुमोदित उत्पािन योजना, विधिित ननष्पादित उत्पािन पट्टा विलेख के ननष्पािन की तारीख से प्रारंभ होकर प्रत्येक पांच िषा के अंतराल पर पुनर्विलोकन और अद्यतन के अीन होगी।

(2)उपननयम (1) में विननदिष्ट प्रत्येक पांच िषा की अिधि की समाक्त से कम से कम एक सौ बीस दिन पूर्ा, पट्टेार, ननयम 16 के अनुसार तैयार की गई पश्चातितीपांच िषों की अिधि के ललए उत्पािन संकियाओं के ललए उत्पािन योजना प्रस्तुत करेगा, कजसका ननपटान ननयम 17 के अनुसार ककया जाएगा।

(3)उत्पािन पट्टे का िारक अनुमोदित उत्पािन योजना में कजन्द्हे िह उधचत समझता हो, कारबार िातािरण में पररितान को ध्यान में रखते हुए या उत्पािन क्षमता में िक्षता बढ़ाने के ललए या सुरक्षक्षत और िैज्ञाननक खनन, खननजों के संरक्षण, पयाारिण की सुरक्षा या भूैज्ञाननक कारणों से पट्टे की अिधि के िौरान या उत्पािन पट्टे के िारक द्ारा ललखखत रूप में विननदिष्ट ककसी अन्ध कारण से ऐसे उपांतरणों की मांग कर सकता है।

(4)उत्पािन योजना में उपांतरण ककिशा में, ननयम 16 और ननयम 17 के उपबंि यर्ािश्यक पररितानों सदहत लागू होंगे।

19. उत्पादन पट्टे के अीन उत्पादन संक्रिया— यदि उत्पािन संकिया अनुमोदित उत्पािन योजना के अनुसार नहीं ककए जाते हैं या उत्पािन योजना में अंतविष्ट कोई सूचना गलत, भ्रामक या इन ननयमों सदहत लागू विधियों का अनुपालन न करने िाली पाई जाती है, तो समर्ा प्राधिकारी अिेश द्ारा सभी या ककसी भी उत्पािन संकिया को ननलंत्रबत कर सकता है और केिल ऐसी संकिया को जारी रखने की अनुमनत िे सकता है, जो पट्टा क्षेत्र में ऐसी संकियाओं से प्रभावित समु्र तल के प्राकूनतक पुन्यास को समर्ा करने के ललए आश्यक हैं, कजसमें अनुमोदित उत्पािन योजना या उपांतररत उत्पािन योजना के अीन पररककृत ऐसे संबंि में केन्द्रीय सरकार द्ारा समय-समय पर विननदिष्ट ककए जाने िाले कोई भी उपाय शालमल हैं:

परंतुक कक पट्टेार को उल्लंघन के बारे में ललखखत रूप में सूधचत ककया जाएगा और यदि उल्लंघन पैतालीस दिनों की अिधि के भीतर ठीक नहीं ककया जाता है, तो कारण बताओ नोटस जारी ककया जाएगा कजसमें कारण पूर्ा जाएगा कक उत्पािन संकियाओं को ननलंत्रबत तयों न कर दिया जाए और, इसके अनतररतत, यदि तीस दिनों की अिधि के भीतर कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उत्पािन संकियाओंको ननलंत्रबत कर दिया जाएगा:

परंतुयहऔरककसमर्ा प्राधिकारी इस संबंि में बताए गए उल्लंघन को सुार कर अनुपालन के पश्चात् ननलंबन को रद्ि कर सकता है।

20. उत्पादन संक्रियाओं का ननरीिण— (1) उत्पािन पट्टे का िारक ककसी भी प्राधिकृत अधिकारी को ककसी भी समय उसके द्ारा रखे गए लेखाब्यौरे की जांच करने की अनुमनत िेगा और प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सूचना और विरिखणयां उपलब्ि कराएगा, कजनकी प्राधिकृत अधिकारी अपेक्षा करे।

(2)उत्पािन पट्टे का िारक ककसी भी प्राधिकृत अधिकारी को उसके द्ारा ककए जाने िाले ककसी भी उत्पािन संकिया का ननरीक्षण करने की अनुमनत िेगा, कजसमें उत्पािन संकियाओं के िौरान उत्पन्द् कोर लॉग और नमूने भी शालमल हैं।

21. खोज संबंिी संक्रियाएं और उत्पादन संक्रियाएं— (1) खोजसंबंिी संक्रियाएं और उत्पािन संक्रियाएं इस प्रकार की जाएंगी कजससे खननज भंडारों का व्िक्सूत विकास, खननजों का संरक्षण और समुरी पयाारिण की सुरक्षा सुननक्शत हो सके।

(2)संयुतत अनुज्ञकृत िारक अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 में दिए गए मानिंडों के अनुसार खोज करेगा:

परंतु परमाणु खननजों के संबंि में खोजसंबंिी सक्न्द्रयम, खोजसंबंिी और अनुसंिान के ललए परमाणु खननज ननिशालय द्ारा विननदिष्ट ककए जाएंगे।

(3)उत्पािन पट्टे का िारक, उत्पािन पट्टे के अीन सम्पूणा संभावित खननजयुतत क्षेत्र पर विस्तृत गिषण [(जी1 स्तर)] यर्ाक्सूनत, अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 या परमाणुखननजोंकेसंबंिमेंप्रालभकमूल्यकेबराबरयाउससेअधिकग्रेडालेखननजोंकेसंबंिमेंार 35केअीनब

नायेगएननयमोंमें विननदिष्ट रीनत में, ऐसे उत्पािन पट्टे के ननष्पािन के पश्चात खान खुलने की तारीख से पांच िषा की अधि के भीतर करेगा।

- (4) उप-ननयम (3) के अीन ककए गए खोजके ललए, उत्पािन पट्टा िारक खोजसंकिया पूरा होने के तीन मास के भीतर, अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 में विननदिष्ट रीनतमें तैयार भूिज्ञाननक अध्ययन ररपोटा प्रशासननक प्राधिकारी और भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा।
- (5) प्रशासननक प्राधिकारी इस ननयम के अीन प्रस्तुत भूिज्ञाननक अध्ययन ररपोटा का सत्यापन हेतु तकनीकी लेखा-परीक्षण करेगा और यदि पट्टेार इस प्रकार विननदिष्ट अपने कताव्यों का पालन करने में असफल रहता है, तो प्रशासननक प्राधिकारी पट्टेार को सुनाई का असर िने के पश्चात् अनुपालन लागू करने के ललए ऐसी कारािई कर सकेगा, जैसा िह उधचत समझे।
- (6) अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 की पहलीअनुसूची के भाग 3 के अनुसार, ननयलमत अंतराल पर, अधिमानतः मीटर िार या उससे कम, पूरे खननज भाग के ललए ड्रडल कोर का नमूना ललया जाएगा और सभी नमूनों के ललए प्रमुख रेडडकल का रासायननक विश्लेषण ककया जाएगा।
- (7) खननज संसािनों का आकलन समय-समय पर ककए गए खोजके आार पर ककया जाएगा तर्ा संसािनों का आकलन खननज के प्रारंभकमूल्य तक ककया जाएगा, जैसा कक भारतीय खान ब्यूरो द्ारा समय-समय पर अधिसूधचत ककया जा सकता है तर्ा अद्यतन संसािनों को पांच िषा के अंतराल पर उत्पािन योजना केपुनवालोकन में प्रस्तुत ककया जाएगा।
- (8) भारतीय खान ब्यूरो पणाररयों के परामशा से समय-समय पर खननजों के प्रारम्भकमूल्यों कापुनवालोकनकरेगा।

22. मशीनरी और संयंत्र— (1) उत्पािन पट्टे का िारक प्रत्येक जलयान, सििक्षण उपस्कर, नमूना उपस्कर, ड्रेजर, लाभकारी संयंत्र, मशीनरी के संबंधि में अपने प्रबंधि या खनन इंजीननयर द्ारा सम्यकतः प्रमाखणत लॉग बुक बनाए रखेगा, कजसमें तारीखार, सििक्षण लाइनों सदहत सििक्षण स्ान, नमूना स्ान, मौसम की क्सनत, समुर की क्सनत, काम ककए गए घंटों का लेखा-जोखा, काम न ककए गए घंटे, काम न करने के कारण, ईिन या ऊजाा और स्नेहक की खपत और संबंधित काया समयाधि के िौरान मशीन का आउटपुट दिखाया जाएगा।

(2) उप-ननयम (1) में विननदिष्ट प्रत्येक मशीन, जलयान, उपस्कर और संयंत्र कीसंकियाका सारांश प्रत्येक मास के अंत में लॉग बुक में िजा ककया जाएगा, कजसमें ऐसी मशीन, जलयान, उपस्कर और संयंत्र की

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

11

उपलबिता का प्रनतशत और उपयोग का प्रनतशत, औसत प्रनत घंटा ननष्पािन और प्रनत घंटा औसत ईिन या ऊजाा खपत िशाई जाएगी।

(3) लॉग बुक इलेतरॉननक रूप में या हाडा कॉपी में रखी जाएगी तर्ा भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को मांगने पर उपलब्ि कराई जाएगी।

23. खान में उत्पादन संक्रियाओं के प्रारंि की सूचना— उत्पािन पट्टे का प्रत्येक िारक पहलीअनुसूची के प्ररूप-ग में ननमललखखत को सूचना भेजेगा:—

(क) यर्ाक्सनत, एक प्रशासननक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरोकाप्राधिकृतअधिकारी, नौसेना मुख्यालय (नौसेना खुकफया ननिशालय), रक्षा मंत्रालय के प्राधिकृत अधिकारी और भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर, को खान में उत्पािन संक्रिया के प्रारंभ होने से कम से कम िो मास पहले प्रस्तुत करना होगा, कजसके सार् अनुमोदित उत्पािन योजना की एक प्रनत संलग्न होगी।

(ख) भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफरको नौहन चाटा पर प्रकाशन करने तर्ा उत्पािन संक्रिया शुरू करने से कम से कम पंरह दिन पहले समुर में नाविकों और स्ानीय मिआरों की सुरक्षा के ललए नौसंचालन क्षेत्रको चेतािनी जारी करने के ललए पत्र ललखा जाएगा।

24. खानों का पररत्याग—(1) उत्पािन पट्टे का िारक, उत्पािन पट्टे की अधि के िौरान भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी की ललखखत पूर्ा अनुमनत के त्रबना खान का पररत्याग नहीं करेगा।

(2) उत्पािन पट्टे का िारक भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को पहलीअनुसूची के प्ररूप-घ में खान को िोड़ने के अपने इराि की सूचना भेजेगा, जो ऐसी पररत्याग की अपेक्षत तारीख से कम से कम नब्बे दिन पूर्ा उन तक पहुंच जाए, कजसके सार् ननयम 30 में विननदिष्ट पैमाने पर मानधचत्र, खंड और प्रोफाइल संलग्न होंगे, कजसमें सूचना प्रस्तुत करने के समय तक खान में ककए गए संक्रिया को सटीक रूप से िशाया जाएगा, कजसमें पररत्यतत खान या उसके भाग, उसके पहुंच मागों और पयाारिण की सुरक्षा के ललए पररकक्पत उपाय शालमल होंगे:

परंतु कक भारतीय खान ब्यूरो का प्राधिकृत अधिकारी मानधचत्रों, खंडों और प्रोफाइलों को ककसी अन्ध उपयुतत पैमाने पर तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगा।

- (3) भारतीय खान ब्यूरो का प्राधिकृत अधिकारी, प्रस्तावित पररत्याग तारीख से पूर्ण ललखखत आदेश द्वारा पररत्याग को प्रनतवषद् कर सकता है या आदेश में विननदिष्ट शर्तों के सार पररत्याग की अनुमनत दे सकता है।
- (4) उत्पािन पट्टे का िारक तब तक ककसी खान का पररत्याग नहीं करेगा जब तक कक समर्ा प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खानकोअनतमरूपसे बं करने की योजना कायाकन्द्ित नहीं कर िी जाती है, और इस प्रयोजन के ललए, पट्टेार को भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कक पट्टेार ने खानकोअनतमरूपसे बं करने की योजना के अनुसार या समर्ा प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसे उपांतरणों के सार उत्पािन संकियाओं से प्रभावित समुतल के प्राकृतक पुन्यास को समर्ा करने के ललए सभी आशयक किम उठा ललए हैं, कजनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विननदिष्ट ककए जाने िले उपाय भी शालमल हैं।
- (5) उत्पािन पट्टे का िारक, उत्पािन पट्टे के पट्टा क्षेत्र में उत्पािन संकियाओं से प्रभावित समुतल के प्राकृतक पुन्यास को समर्ा बनाने के ललए, सुरक्षात्मक उपायों के ललए तर्ा सभी आशयक किम उठाने के ललए प्रशासनक प्राधिकारी द्वारा ककए गए ननष्पािन सुरक्षा के अनतररतत ककसी भी व्यय का संिाय करने के ललए उत्तरायी बना रहेगा, कजसके िन समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विननदिष्ट ककए जाने िले उपाय भी शालमल हैं।

25. खान को अनतम रूप से बंद करने की योजना प्रस्तुत करना— (1) प्रत्येक उत्पािन पट्टा िारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर तैयार ककए गए मागािशकलसद्ितों और रूपविान के अनुसार खान कोअनतम रूपसेबं करने की योजना तैयार करने के ललए किम उठाएगा।

- (2) उत्पािन पट्टे के िारक को प्रस्तावित खान कोअनतमरूपसेबं करने या उत्पािन पट्टे के सम्पूणा या आंलशक क्षेत्र को समवपात करने से िो िषा पूर्ण अनुमोिन के ललए समर्ा प्राधिकारी को खानकोअनतमरूपसे बं करने की योजनाप्रस्तुत करनी होगी, कजसके सार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विननदिष्ट फीस भी िेना होगा।
- (3) समर्ा प्राधिकारी खानकोअनतमरूपसे बं करने की योजनाकी स्िकृत या अस्िकृत की सूचना उत्पािन पट्टे के िारक को उसकी प्राकृत की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर िेगा।
- (4) उप-ननयम (1) के िन विननदिष्ट अधि के भीतर खानकोअनतमरूपसे बं करने की योजनाप्रस्तुत न करने पर ननष्पािन सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी।

26. खान को अनतम रूप से बंद करने की योजना में उपांतरण— (1) अनुमोदित खानकोअनतमरूपसे बं करने की योजनामें उपांतरणों कीईप्सा के इक्िक उत्पािन पट्टा िारक को, आशनयत उपांतरणों को ननाररत करते हुए तर्ा ऐसे उपांतरणों के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुमोिन के ललए समर्ा प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

- (2) समर्ा प्राधिकारी उपननयम (1) के िन प्रस्तुत उपांतरणों को अनुमोदित कर सकता है या ऐसे पररितानों के सार अनुमोदित कर सकता है, कजन्हें िह उधचत समझे।

27. उत्पादन पट्टा िारक का उत्तरदानयत्व— उत्पािन पट्टा िारक का उत्तरानयत्िहोगाकक िह अनुमोदित अनतम खान बंीयोजना के अनुसार या समर्ा प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसे उपांतरणों के सार, उत्पािन संकियाओं से प्रभावित समुतल के प्राकृतक पुन्यास को समर्ा करने के ललए सभी आशयक किम या उपाय करे, कजनमें केरीय सरकार द्वारा समय-समय पर विननदिष्ट ककए जा सकने िले उपाय भी शालमल हैं।

28. खानों में कायय के अस्ायी रूप से बंद होने की सूचना तर्ा पट्टेदारों के दानयत्व— (1) िारा 7 के उपबंों के िन रहते हुए, उत्पािन पट्टा िारक भारतीय खान ब्यूरोकेप्राधिकृत अधिकारी, प्रशासनक प्राधिकारी के औरभारतसरकारकेमुख्यहाइड्रोग्राफरको पहलीअनुसूची के प्ररूप-ड में सूचना भेजेगा, जब खान या उसके ककसी भाग में उत्पािन या खननज प्रसंकरण संकियाएं नब्बे दिन से अधिक अधि के ललए बं कर िी जाती हैं, ताकक िह उन्हें ऐसे अस्ायी बं होने की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर पहुंच जाए।

- (2) जहां उत्पािन पट्टे के िारक के ननयंत्रण से परे ककसी प्राकृतक आपि के पररणामस्िरूप या ककसी प्रितिवधिकेिनि स्ावपत ककसी कानूनीप्राधिकरण या ककसी अधिकरण या न्यायालयद्वारा जारी ककसी आदेश या ननिशों के अनुपालन में बं ककया जाता है, िहां पहलीअनुसूची केप्ररूप-ड में इस तरह के बं

होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अधि के भीतर भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को एक नोटिस प्रस्तुत ककया जाएगा।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का राऱिपत्र : असाधारण

13

(3)ककसी खान या उसके ककसी भाग के अस्ायी रूप से बंि होने के िौरान, उत्पाऱि पट्टा िारक का उत्तरिनयत्िहोगाकक िह—

(क) अनाधिकृत प्रिश को ननबाधित करने के ललए युक्ततयुतत प्रनतििात्मक उपायों का अनुपालन

करना;

(ख)विद्युतऔरयांत्रकप्रनतष्ठानों, कायाकलापोंऔरअन्धसभीसंरचनाओंकेसंभावितखतरनाक स्रोतोंकेललएसुरक्षात्मकउपायउपबंिकरना;

(ग)यह सुननक्श्त करना कक सभी िूवषत अपलशष्टों को ननयंत्रत ककया जाए और सभीभौनतक, रासायननक, जैविकमॉनीटरीकायािमजारीरहे।

29. **खान को पुनः खोलने की सूचना**— उत्पाऱि पट्टे का िारक, अस्ायी रूप से बंि ककए जाने के पश्चात् खान को पुनः खोलने से कम से कम तीस दिन पहले, प्रशासननक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी, नौसेना मुख्यालय (नौसेना खुकफया ननिशालय), रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के मुख्यहाइड्रोग्राफर को पहलीअनुसूची के प्ररूप-ग में सूचना भेजेगा।

अध्याय4

मानधचत्र, अनुिाग और प्रोफाइल

30. **मानधचत्रों, अनुिागों और प्रोफाइलों के बारे में सामान्य अपेिाए**— (1) इन ननयमों के उपबंिों के अनुसार

तैयार या प्रस्तुत प्रत्येक मानधचत्र, अनुभाग या प्रोफाइलमें—

(क) खानऔरउत्पाऱिपट्टािारककानामिशाएंतरािहप्रयोजनबताएंकजसकेललएमानधचत्र, अनुभागयाप्रोफाइलतैयारकीगईहै;

(ख)सहीउत्तरयाचुंबकीयमध्याह्नरेखाऔरिअलोकनकीतारीखिशाए;

(ग)मानधचत्रकाएकपैमानादिखाएंजोकमसेकमपच्चीससेंटीमीटरलंबाऔरउपयुततरूपसे उप-विभाकजतहो;

(घ) जबतकककअन्धर्ाउपबंितनहो, एकपैमानेपरहोगाकजसकाप्रनतननधिकारकहोगा—

(i)1:1,000 याउससेकम, यदिपट्टाक्षेत्रमेंिहमानकब्लॉकहों; तर्ा

(ii)1:5,000 याउससेकम, यदिपट्टाक्षेत्रमेंिहसेअधिकमानकब्लॉकहों:

परन्तुसमर्ाप्राधिकारीललखखतिओशद्िरातराउसमेंविननदिष्टशतोंकेिीनरहतेहुए मानधचत्रोंकोककसीअन्धउपयुततपैमानेपरतैयारकरनेकीअनुमनतिसकेगायाअपेक्षा करसकेगा;

(ड) भारतीयखानब्यूरोद्िराविननदिष्टरूपवििानमेंडूडकजटलरूपसेतैयारककयाजाएगा।

(2)मानधचत्र, खंड और प्रोफाइल त्रुदट की ऐसी सीमाओं के भीतर सटीक होंगे जैसा महाननयंत्रक सामान्य या विशेष आिश द्िरा विननदिष्ट करें।

(3)इन ननयमों के िीन अपेक्षक्षत मानधचत्र, खंड और प्रोफाइल को अद्यतन रखा जाएगा तर्ा उस िषा से संबंधित विलभन्ध गनतविधियों के ललए अनुमोदित उत्पाऱि योजना का संबंधित प्रस्ताि भी तीन मास के भीतर िशाया जाएगा।

31. **मानधचत्रों, खंडों और प्रोफाइलों के प्रकार**— (1) उत्पाऱि पट्टे का िारक डूडकजटल रूप से तैयार ककए गए ननम्रललखखतमानधचत्र, खंड और प्रोफाइल रखेगा, अर्ातः—

(क) एकमानधचत्रकजसमेंमाकारबॉयज़(यदिनैतातहैं) कास्ानऔरसंख्या, उसकेअक्षांशऔर िेशांतरमान, उत्पाऱिपट्टेकीसीमाओंकेभीतरसमुरतलकीप्रत्येकआकृनतसंबंिविशेषता,

रिसंचारकेबल, विद्युतसंचरणलाइन, अपतटपिनटरबाइनजनरेटर, अपतटविद्युतसबस्टेशन, तेलप्लेटफामायापाइपलाइन, पानीकेनीचेकेपुराताक्त्तिकस्रल, डंपऔरडंपंगक्षेत्र, समुरी अभयारण्य, मानकब्लॉकोंकाननपटान, रॉकआउटिंपऔरउत्पािनपट्टेमेंिशालाएगएअन्ध कामकाजहों;

(ख)उत्पािनपट्टेकेक्षेत्रकाभूिज्ञाननकमानधचत्रकजसमेंिशालायागयाहै—

- (i) एक मीटर से कम अंतराल पर गहराई समोच्च के सार् बैधर्मेदरक मानधचत्र;
- (ii)नमूने का स्ान, तलिट वितरण, खोजसंबंिी गड्डे, ड्रेज लाइनें, कोररंग या ड्रडल कोर और खोजसंबंिी या उत्पािन संकियाओं के ललए बनाए गए अन्ध उद्घाटन;
- (iii)अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों कीविद्यमानता) ननयम, 2024 में यर्ाविननदिष्ट गिषण स्तर जैसे कक जी1, जी2, जी3 और जी4;
- (iv)खननज वितरण मानधचत्र;
- (v)भूकंपीय सिक्षण या उप-तल प्रोफाइलर सिक्षण के आार पर विलभन्ध तलिट परतों को िशालानेके ललए 1:500 पैमाने या बड़े पैमाने पर ऊर्ध्ािर पैमाने पर उप-तल भाग;
- (vi)कोर नमूनों और/या ड्रडल कोर के आार पर खननज सामग्री के सार् तलिट संबंिी या ललर्ोलॉक्जकल लभन्धता दिखाने िाले भाग;
- (vii)एक मीटर अंतराल तलिट मोटाई पर ग्रेड के सार् मानक ब्लॉक-िर खननज आकलन।

(2)ननयम 31 के उप-ननयम (1) के खंड (ख) के आिन विननदिष्ट मानधचत्रों में प्रस्तावित ड्रेज लाइनों को त्रबन्ध्िबद्धि रेखाओं के रूप में और पूणा की गई ड्रेज लाइनों को स्तरार ननक्श्त रेखाओं के रूप में िशालाया जाएगा;

(3)प्रत्येक खननज भंडार का काया-क्षेत्र अलग मानधचत्र पर िशालाया जाएगा:

परन्तु जहां पट्टा क्षेत्र की सम्पूणा सीमा को उसी मानधचत्र पर िशाला संभि न हो, िहां ककसी अन्ध उपयुतत पैमाने पर ऐसी सीमाएं तर्ा काया क्षेत्र की रूपरेखा िशालाने िाला एक अनतररतत मुख्य मानधचत्र भी रखा जाएगा।

(4)उत्पािन पट्टािरक को ननम्रललखखत को रखना होगा, अर्ातः—

(क) 1:50,000 केपैमानेपरएकप्रमुखयोजनाकजसमेंननम्रललखखतशालमलहोंगे:

[भागIII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

15

- (i) उत्पािन पट्टे की सीमा तर्ा उसके िस ककलोमीटर के भीतर क्स्त समीपिती क्षेत्र को िशालाने िाला मानधचत्र;
- (ii) तटरेखा और तटीय भूलम धचह, कजनके अन्धतराल मेंपाँच मीटर से अधिक िूरी न हो;
- (iii) ऐनतहालसक और पुराताक्त्तिक महत्ि के स्ान;
- (iv) संरक्षकत क्षेत्र, कजसके आिन समुरी राष्ट्रीय उद्यान, समुरी अभयारण्य या कोई अन्ध क्षेत्र शालमल है, जैसा कक केंरीय सरकार द्िरा अधिसूधचत ककया जा सकता है;
- (v) रिसंचार केबल, अपतट पिन टरबाइन जनरेटर, अपतट त्रबजली सबस्टेशन, अपतट तेल प्लेटफामा या पाइपलाइन, पानी के नीचे के पुराताक्त्तिक स्रल, रक्षा प्रनतष्ठान या कोई ननकटिती बंरिगाह क्षेत्र;
- (vi) नौहिन के प्रयोजनों के ललए मान्धता प्राप्त समुरी मागा; और
- (vii) कोई अन्ध सुसंगत विशेषताएं:

परंतुक कक जहां बैधर्मेरी चाटा को ननबाधित के रूप में िगीकृत ककया गया है, िहां उपखंड (i) से (vii) में ननदिष्ट विरण उपलब्ि सीमा तक मुख्य योजना में शालमल ककए जाएंगे;

(ख)उत्पािनपट्टेकेक्षेत्रकीपयािरणयोजना, कजसमेंपट्टाक्षेत्रकीसीमाकेसौमीटरकेभीतर केआसपासकेक्षेत्रको 1: 5,000 पैमानेपर, ननम्रललखखतकोशालमलककयागयाहै:

- (i) उत्पािन पट्टे की सीमा को िशालाने िाला मानधचत्र;
- (ii) पांच मीटर के अंतराल पर समोच्च रेखाएं;

- (iii) उपरोक्त खंड (क) के उपखंड (iii) और (iv) में इंधनगत सभी विशेषताएं;
- (iv) खान संकियाओं द्वारा अधिगृह्यत क्षेत्र, डंप द्वारा आच्छादित क्षेत्र तथा डंप की ऊंचाई, स्थायी प्रनतष्ठान (यदि कोई हो), प्रसंस्करण संयंत्र;
- (v) यह क्षेत्र कजसके ललए उत्पािन संकियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनिरास को समर्ा करने के ललए किम और उपाय ककए गए हैं;
- (vi) कोई अन्ध सुसंगत विशेषताएँ.

- (5) समर्ा प्राधिकारी ललखखत आिश द्वारा इन ननयमों के आिन रखे जाने िले मानधचत्रों, खंडों और प्रोफाइलों पर ऐसे अनतररतत ब्यारे िशाने की अपेक्षा कर सकेगा या ऐसे ब्यारे िशाने िले मानधचत्रों, खंडों और प्रोफाइलों को ऐसे पैमाने पर और ऐसे समय के भीतर तैयार करने और बनाए रखने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा िह आिश में विननदिष्ट करे।
- (6) समर्ा प्राधिकारी ललखखत आिश द्वारा उत्पािन पट्टे के िारक से यह अपेक्षा कर सकेगा कक िह उसे ऐसे समय के भीतर ऐसे मानधचत्र, खंड और रूपरेखा उपलब्ि कराए जैसा कक िह आिश में विननदिष्ट करे।
32. **मानधचत्रों, खंडों और प्रोफाइलों की प्रनतयां प्रस्तुत की जाएंगी**— उत्पािन पट्टे का िारक प्रत्येक िषा 30 जून को या उससे पहले भारतीय खान ब्यूरो के अधिकृत अधिकारी को मानधचत्रों, खंडों और प्रोफाइलों की प्रनतयां प्रस्तुत करेगा। प्रशासनिक प्राधिकारी को और भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर, को इन ननयमों के ननयम 31 के आिन बनाए गए भूिज्ञानिक मानधचत्रों, खंडों और प्रोफाइलों की मुदरत प्रनत के सार्-सार् ड्रडकजटल प्रनत, िावषाक विरिणी के सार् प्रस्तुत की जाएगी।
33. **मानधचत्रों की तैयारी**— (1) ड्रडकजटल रूप से तैयार ककए गए सभी मानधचत्र, खंड और प्रोफाइल तर्ा उनकी मुदरत प्रनतयां पट्टा क्षेत्र में जलयान या स्ापना में रखी जाएंगी, जहां उत्पािन संकियाएं ककए जा रहे हैं और उन्हेँ उपयुतत रूप से अनुिलमत ककया जाएगा।
- (2) सभी मानधचत्र, खंड और प्रोफाइल ड्रडफरेंलशयल ग्लोबल पोजशननंग लसस्टम का उपयोग करके या भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस संबंध में यर्ाविननदिष्ट तैयार ककए जाएंगे।
- (3) इन ननयमों के आिन तैयार ककए गए प्रत्येक मानधचत्र, खंड और प्रोफाइल पर उसकी शुद्धिता का प्रमाण-पत्र होगा तर्ा उस पर खनन इंजीनयर और भूविज्ञानी द्वारा तारीख सदहत हस्ताक्षर ककए जाएंगे।
- (4) इन ननयमों के आिन प्रस्तुत या अनुरक्षित मानधचत्र, खंड और प्रोफाइल की प्रत्येक प्रनतललवप पर उस मूल मानधचत्र, खंड और प्रोफाइल का संिभा अंककत होगा, कजससे उसकी प्रनतललवप बनाई गई री और उत्पािन पट्टे के िारक द्वारा उसे मूल योजना, खंड और प्रोफाइल की सत्य प्रनतललवप के रूप में प्रमाखणत ककया जाएगा।

अध्याय 5

सुरि उपाय

34. **खनन ननषेि बािा िेत्र की स्ापना**— (1) अनुज्ञकृत क्षेत्र और पट्टा क्षेत्र की सीमाओं के सार्-सार् 7.5 सेकंड का "खनन ननषेि बािा क्षेत्र" रखा जाएगा और अनुज्ञकृतिारी या पट्टेार इस क्षेत्र के भीतर यर्ाक्सूनत कोई खोजसंबिी संकिया या उत्पािन संकिया नहीं करेगा, ताकक सुरक्षित संकियाएं सुननक्षत करने के ललए अपतट क्षेत्र के भीतर िो आसन्ध खननज ब्लॉकों के बीच 15 सेकंड का अिरोि उपबिं ककया जा सके।
- (2) समुद्र तट के ननकट समुद्री गनतविधियों की सुरक्षा के ललए, उत्पािन पट्टे का िारक समुद्र तट की ननम्र ज्ार रेखा से एक समुद्री मील की िूरी के भीतर न तो कोई उत्पािन संकिया करेगा और न ही अपलशष्ट पिरा िोड़ेगा।
35. **जलयानों के संबंध में सुरि**— यर्ाक्सूनत, अनुज्ञकृतिारी या पट्टेार, हर समय यह सुननक्षत करेगा कक—
- (क) खोजसंबिी संकियाओं या उत्पािन संकियाओं के ललए तैनात या तैनात ककए जाने िले सभी जलयान, प्लेटफॉर्मा, प्रनतष्ठान या कोई अन्ध असंरचना जो अच्ीमरम्मत, सुरक्षित और अच्ी वस्नतमें हो, पयाप्तरूप से मानियुतत हो और ननयम 36 का अनुपालन करता हो;
- (ख) तैनात ककये गये या तैनात ककए जाने िले सभी ऐसे जलयानों, प्लेटफॉर्मों, प्रनतष्ठानों या ककसी अन्ध असंरचना को उपयुतत श्रेणी का नामिदया जाएगा और ऐसी संकियाओं की अधिके ललए िसी श्रेणी में बने रहेंगे।

36. **विधियों, रीनत-ररवाजों और अंतरराष्ट्रीय संधियों का अनुपालन**— (1) यर्ाक्सूनत, अनुज्ञप्तिारी या पट्टेार, भारतीय विधियों और विननयमों, उच्च समुहों को ननयंत्रत करने िाली विधियों और रीनत-ररवाजों और [भागII—खण् ड3(i)] भारत का रापित्र : असाधारण

17

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या संधियों का अनुपालन सुननक्वत करेगा, क्जनमें भारत एक पक्ष है, क्जसमें समुह में जीिन की सुरक्षा, समुह में टकराि की रोकर्ाम, नौपररिहन, विमान, मिली पकड़ने और मत्स्य पालन की सुरक्षा और चालक िल के सिस्सों के उपचार के सार्-सार् समय-समय पर अपनाए गए ककसी भी लागू ननयम, विननयमन, प्रकिया और मानकों के ललए लागू कानून शालमल हैं।

(2) यर्ाक्सूनत, अनुज्ञप्तिारी या पट्टेार, लागू अंतरराष्ट्रीय पोत सम्मेलनों के िीनअपेक्षक्षत िैि प्रमाणपत्रों की प्रनतयां प्रशासनक प्राधिकारी या ककसी अन्ध प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे अनुरोि पर उपलब्ि कराएगा।

37. **काभमयकों की सुरा**— यर्ाक्सूनत, अनुज्ञप्तिारी या पट्टेार, यह सुननक्वत करेगा कक—

(क) अपनेकताव्योंकोसंभालनेसेपहले, इसकेसभीकलमार्योकेपासिआश्यकअनुभि, प्रलशक्षण औरअहाताएंहोतीहैंऔरिअपनेकताव्योंकोसुरक्षक्षत, समर्ातापूिाकऔरलागूननयमोंके अनुपालनमेंकरनेमेंसमर्ाहोतेहैं;

(ख) खोजसंबंिीसंकियाओंयाउत्पािनसंकियाओंमेंलगेसभीकालमाकोंकोउनकेकायासेउत्पन्द् होनेिालेव्यािसानयकऔरपयाारिणीयजोखखमोंतराऐसेजोखखमोंसेननपटनेकीरीनतकेबारे मेंसूधचतकरनेकेललएएकव्यािसानयकस्िास्य, सुरक्षाऔरपयाारिणजागरूकतायोजना लागूकीजातीहै; और

(ग) इसकेसभीकालमाकोंकेअनुभि, प्रलशक्षणऔरअहाताओंकाअलभलेखरखाजाताहैतराअनुरोि ककएजानेपरउसेप्रशासनकप्राधिकारीयाककसीअन्धप्राधिकृतअधिकारीकोउपलब्िकराया जाताहै।

38. **आपातकालीन तैयारी और सुरा योजना**— महाननयंत्रक, आपातकालीन तैयारी, सुरक्षा उपायों और संकिया संबंधिी अधिकार िारक द्ारिा कायााक्न्दि ककए जाने िाले ककसी अन्ध उपाय पर ऐसे अनतररतत ननिश जारी करेगा, जो आश्यक हो।

अध्याय 6

समुद्री पयायवरण

39. **ारणीय खनन**— (1) संकियासंबंिी अधिकार का प्रत्येक िारक, यर्ाक्सूनत, अनुज्ञक्त क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र में खोजसंबंिी संकिया, उत्पािन संकिया या सज्जीकरण करते समय, िारणीय खनन करने के ललए सभी संभि साििननयां बरतेगा।
- (2) उत्पािन पट्टे का प्रत्येक िारक भारतीय खान ब्यूरो द्ारिा समय-समय पर इस ननलमत विननदिष्ट रूपविान में स्टार रेदटंग के टेम्पलेट के अनुसार अपने उत्पािन संकियाओं और संबद्ि गनतविधियों की मॉनीटरीकरेगा, और वपिले वित्तीय िषा के ललए प्रत्येक िषा 1 जुलाई से पहले भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय ननयंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी को अपनी स्ि-ननिारण ररपोटा ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।
- (3) स्टार रेदटंग की पुक्ष्ट भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्ारिा ननरीक्षण के माध्यम से की जा सकती है।
40. **गन्द्गी और अवसादन के वरूद्ि साविनी**— संकियासंबंिी अधिकार का प्रत्येक िारक, यर्ाक्सूनत, खोज संबंधिी संकिया या उत्पािन संकिया, इस प्रकार करेगा कक समुह तल में न्दयूनतम विक्षोभ हो और गन्द्गी, केन्द्रीय सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्ारिा विननदिष्ट अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर बनी रहे।
41. **वायु प्रदूषण के वरूद्ि साविनी**— प्रत्येक संयुतत अनुज्ञक्त या उत्पािन पट्टे का िारक खोज संबंधिी संकियाओं, उत्पािन संकियाओं या सज्जीकरण और संबंधित गनतविधियों के िौरान िुएं, उत्सजान (गैसीय और कखणकीय) के कारण होने िाले िायु प्रूषण को अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर रखने के ललए सभी संभि उपाय करेगा।
42. **वषातत ठोस और तरल अपभशष्ट का व्यवक्स्त ननपटान**— (1) संकियासंबंिी अधिकार का प्रत्येक िारक, यर्ाक्सूनत, अनुज्ञक्त क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र के भीतर खोजसंबंिी संकियाओं, उत्पािन संकियाओं, सज्जीकरण या प्रसंस्करण संकियाओं से उत्पन्द् होने िाले खतरनाक अपलशष्ट सदहत ठोस या तरल अपलशष्ट का व्यक्स्त ननपटान सुननक्वत करने के ललए, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्ारिा विननदिष्ट उपाय करेगा।

(2) यदि खोजसंबंधी संकियाओं या उत्पािन संकियाओं के िौरान उत्पन्न खतरनाक अपलशष्टों सदहत अपलशष्टों का ननमाण और अन्ध प्रयोजनों के ललए लमतव्यनयतापूर्ाक उपयोग ककया जा सकता है, तो अधिनयमकीपहलीअनुसूचीमेंयर्ा विननदिष्ट रॉयल्टी के संिाय पर, यर्ाक्सनत, अनुज्ञकत क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र से, पररिहन ककया जा सकता है:

परंतु कक यदि ऐसे खतरनाक अपलशष्ट को ननपटान के सािन के रूप में तट पर या अपतट स्रान पर डंप ककया जाना अपेक्षकत हो, तो संकियासंबंधी अधिकार का िारक खोजसंबंधी संकियाओं या उत्पािन संकियाओं से उत्पन्न होने िाले खतरनाक अपलशष्टों सदहत ऐसे अपलशष्टों के ननपटान के ललए सभी आिश्यक उपाय करेगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्ारा समय-समय पर विननदिष्ट ककया जा सकता है।

(3) संकियासंबंधी अधिकार के प्रत्येक िारक को अपतट क्षेत्रों में विषैले और आपवत्तजनक तरल अपलशष्टों के ननिहन को रोकने के ललए सभी आिश्यक साििननयां बरतनी चादहए, विशेषतया जहां अपतट क्षेत्रों के भीतर लाभकारी संयंत्र, कायाशाला या ऐसी कोई अन्ध सुविाएं विकलसत की गई हैं और यदि अपेक्षकत हो तो ऐसे अपलशष्टों को समुर में िोड़ने से पहले उपयुतत रूप से उपचाररत ककया जाना चादहए, ताककयह इस संबंधि में समय-समय पर केंरीय सरकार द्ारा अधिकधर्त मानकों के अनुरूप हो।

43. **शोर के प्रनत साविनी**— संयुतत अनुज्ञकत या उत्पािन पट्टे का िारक खोजसंबंधी संकियाओं, उत्पािन संकियाओंया स्रोत पर सज्जीकरण से उत्पन्न शोर को ननयंत्रत करने या कम करने के ललए सभी संभि उपाय करेगा ताकक इसे अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर रखा जा सके।

44. **अनुज्ञेय सीमाएं और मानक**— ननयम 40, 41, 42, 43 और 45 में ननदिष्ट सभी प्रिषकों, विषातत पारों और ध्निन के मानक और अनुज्ञेय सीमाएं ऐसी होंगी, जो संबंधित प्राधिकाररयों द्ारा तत्समय प्रित्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के िीन अधिसूधचत की जाएंगी।

45. **समुद्री पयायवरण, वनस्पनत और जीव-जंतुओं का संरिण**— (1) संयुतत अनुज्ञकत या उत्पािन पट्टे का प्रत्येक िारक, लागू विधियों, अंतरराष्ट्रीय अलभसमयों और संधियों, कजनका भारत एक पक्ष है, और उच्च समुर को ननयंत्रत करने िाली विधियों और रीनत-रशिजों, कजनमें पयाारिण संरक्षण, प्रिषण ननयंत्रण और खतरनाक अपलशष्टों से संबंधित विधि और रीनत-रशिज शालमल हैं, यर्ाक्सनत, के अनुसार खोजसंबंधी संकियाएं या उत्पािन संकियाएं, इस प्रकार करेगा कजससे संयुतत अनुज्ञकत या उत्पािन पट्टे के िीन िाररत क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के समुरी पयाारिण, िनस्पनत और जी-जंतुओं को कम से कम क्षनत पहुंचे।

(2) संकियासंबंधी अधिकार का प्रत्येक िारक हर समय केन्द्रीय सरकार द्ारा समय-समय पर यर्ा विननदिष्ट सभी आिश्यक साििननयां और उपाय करेगा—

(क) अपतटपयाारिणकेप्रिषणकोरोकना;

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

19

(ख) खोजसंबंधी संकियाओं या उत्पािन संकियाओं के िौरान समुरी पयाारिण और जीवित संसािनों, विशेषकर मत्स्य संसािनों की सुरक्षा को समर्ा बनाना।

(3) संकियासंबंधी अधिकार िारक को, यर्ाक्सनत, प्रशासनक प्राधिकारी या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को ललखखत रूप में ककसी भी ऐसी घटना के घदटत होने के बारे में तुरन्त सूधचत करना होगा, कजससे समुरी पयाारिण और समुरी जीों तर्ा अन्ध समुरी संसािनों को गंभीर क्षनत पहुंचती है या पहुंच सकती है।

(4) संकियासंबंधी अधिकार का िारक प्रशासनक प्राधिकारी, भारतीय तटरक्षक या ककसी अन्ध प्राधिकारी को, जैसा नन दिष्ट ककया जाए, समुरी पयाारिण के संरक्षण और सुरक्षा तर्ा समुरी प्रिषण की रोकर्ाम और ननयंत्रण के ललए ककए एउपायों के बारे में ललखखत रूप में सूधचत करेगा।

46. **पुराताक्त्वक या ऐनतहाभसक प्रकृनत की वस्तु को नुकसान के वरुद्धि एहनतयात**—

यर्ाक्सनत, अनुज्ञकितारी या पट्टेार, पुरातत्ि या ऐनतहालसक प्रकृनत की ककसी िस्तु, जलयान के अिशेष और अपतट क्षेत्र में उसके स्रान के बारे में, यर्ाक्सनत प्रशासनक प्राधिकारी या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को तुरंत सूधचत करेगा और ऐसा प्राधिकारी, यर्ाक्सनत ऐसी सूचना भारतीय पुरातत्ि सिक्षण, संस्कृनत मंत्रालय या पोत, पत्तन और जलमागा मंत्रालय को प्रेवषत करेगा।

47. **समुद्री पयायवरण को होने वाली हानन से सुरिा के भलए आपातकालीन आदेश**— भारतीय खान ब्यूरो का यर्ाक्सनत, प्राधिकृत प्राधिकारी या प्रशासनक अधिकारी, ननमल ललखखत मामलों में आपातकालीन आिश जारी करेगा, अर्ातः—

- (क) जब ऐसे प्राधिकारी को ककसी अनुज्ञप्ति जारी या पट्टे द्वारा सूधत ककया जाता है या उसे ककसी क्षेत्र में ठेके द्वारा की गनत विधिके पररणाम स्वरूप या उसके कारण हुई ककसी घटना की सूचना होती है, कजस से समुरी पयाारण को गंभीर क्षनत पहुंची है या पहुंचने की संभािना है, तो ऐसा प्राधिकारी अनुज्ञप्ति जारी या पट्टे द्वारा कोललखखतरूप में घटनाओं की साारण अधिसूचना, ननिशया आिशजारी करेगा।
- (ख) ऐसा प्राधिकरण समुरी पयाारण को होने के लेक कसी भी गंभीर नुकसान को रोकने, ननयंत्रत करने और न्दयूनतम करने के ललए ऐसी अस्ायी प्रकृत के तत्काल उपाय करेगा जो पररक्खनतयों में व्यािहाररक और युक्ततयुतत हो और इसी ओश में अस्ायी प्रकृत के उपाय की अधिपर प्रकाश डाला जाएगा।
- (ग) यदि अनुज्ञप्ति जारी या पट्टे द्वारा क्षेत्र में गनत विधियों से उत्पन्न समुरी पयाारण से संबंधित ककसी आपातकालीन ओशयान ननिशकातुरंत अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसा प्राधिकारी स्ियंया अपनी ननलम तूसरों के सान्विस्ा के माध्यम से ऐसे व्यािहाररक उपाय करेगा जो समुरी पयाारण को ककसी भी गंभीर नुकसान को रोकने और न्दयूनतम करने के ललए आिशक हैं।

अध्याय 7

सूचनाएं और ववरणणयां

48. **माभसक और वार्षिक ववरणणयां**— (1) सरकार, या कोई सरकारी कंपनी, या िारा 8 के िीन उत्पािन पट्टा िेने के ललए, यरक्खनत, चयननत ननगम या संकिया संबंधिी अधिकार का िारक, पहली अनुसूची के प्ररूप-च में विननदिष्ट िेने के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उपबंधित पोटाल पर खुि को ऑनलाइन रक्जसीकृत कराएगा और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आंदटत रक्जरीकरण संख्या का उपयोग ऑनलाइन ररपोदटिंग और उससे संबंधित पत्राचार के सभी प्रयोजनों के ललए ककया जाएगा:

परंतु कक यदि सरकार, या कोई सरकारी कंपनी, या िारा 8 के िीन उत्पािन पट्टा िेने के ललए चयननत ननगम या संकिया संबंधिी अधिकार िारक ने खान और खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) के िीन बनाए गए खननज संरक्षण और विकास ननयम, 2017 के ननयम 45 के उपबंधों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उपबंधित ऑनलाइन पोटाल पर पहले से रक्जसीकरण ककया है, तो ऐसे व्यक्त को ऐसे ऑनलाइन पोटाल पर अपने विद्यमान रक्जसीकरण को अद्यतन करने के िीन इस उप-ननयम के िीन अलग से रक्जसीकरण करने की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) अधिननयम के अनुसार अपतट क्षेत्रों से प्राप्त खननजों के व्यापार या भंडारण या अनंतम उपयोग या ननयात या आयात में लगा हुआ कोई भी व्यक्त या कंपनी:—

- (क) खान और खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) के िीन बनाए गए खननज संरक्षण और विकास ननयम, 2017 के ननयम 45 के उपबंधों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उपलब्ि कराए गए पोटाल पर, जैसा भी मामला हो, स्ियं को ऑनलाइन रक्जसीकृत कराया अपने मौजूार रक्जसीकरण को अद्यतन करेगा;

- (ख) खान और खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) के िीन बनाए गए खननज संरक्षण और विकास ननयम, 2017 के ननयम 45 में विननदिष्ट रीनत में, ड्रडक्जटल रूप से हस्ताक्षर तिविरणी इलेतरॉननक रूप में संबंधित प्राधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा;

- (ग) यदि ऐसा व्यक्त तयाकंपनी मालसक या िावषाकि विरणी में अूरीया गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत करती है या विननदिष्ट तारीख के भीतर विरणी प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो ऐसे व्यक्त तयाकंपनी की ऐसी कारािाईयाननक्षियता को राज्य सरकार द्वारा खान और खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) के िीन बनाए गए खननज संरक्षण और विकास ननयम, 2017 के ननयम 45 में विननदिष्ट रीनत में विननयलमत ककया जाएगा और उस सीमा तक प्रशासननक प्राधिकारी को ऐसे व्यक्त तयाकंपनी के विननयमन के संबंध में ऐसी राज्य सरकार को लसफाररशें करने का अधिकार होगा।

(3) उत्पािन पट्टा िारक को प्रत्येक खान के संबंध में क्षेत्रीय ननयंत्रक और भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को ननम्ललखखत रीनत में ऑनलाइन विरणी प्रस्तुत करनी होगी, अर्ात:—

- (क) मालसकि विरणी, जो पूर्ािती मास के संबंध में प्रत्येक मास की ििंति तारीख से पहले पहली अनुसूची के प्ररूप-ि में ड्रडक्जटल रूप से हस्ताक्षरत इलेतरॉननक रूप में प्रस्तुत की जाएगी; तरा

(ख) िावषाक विरिणी, जो प्रत्येक 1 जुलाई से पहले पूर्ण िति वित्तीय िषाके ललए पहली अनुसूची के प्ररूप-ज में डूडकजटल रूप से हस्ताक्षररत इलेतरॉननक रूप में प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु ककसी खान के पररत्यततहोने की क्सनत में, िावषाक विरिणी, िोड़ने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(4) यदि यह पाया जाता है कक उत्पािन पट्टा िारक ने मालसक या िावषाक विरिणी में अपूणा या गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत की है या विननदिष्ट तारीख के भीतर विरिणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; तो क्षेत्रीय ननयंत्रक या प्रशासननक प्राधिकारी का प्राधिकृत अधिकारी:—

[भाग II—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

21

- (i) खान में सभी उत्पािन संकियाओं और प्रेषणों को ननलंत्रबत करने का आिश िेसकेगा तर्ा उधचत अनुपालन सुननक्श्त करने के पश्चात ही ननलंबन आिश को रद्ि कर सकेगा;
- (ii) इन ननयमों के आिन अलभयोजन आरंभ करने के ललए कारािाई करसकेगा;
- (iii) यदि सूचना को िबाना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना आि खनन को बढािा िेने या लमलीभगत का संकेत िेता है तो उत्पािन पट्टे को समाप्त करने की लसफाररश की जाएगी।

(5) (i) उप-ननयम (4) के आिन विननदिष्ट ककसी भी कारािाई करने से पहले, प्राधिकृत अधिकारी, उत्पािन पट्टा िारक को उप-ननयम (4) के आिन ककए गए उल्लंघन के बारे में सूधचत करते हुए कारण बताओ नोदटस जारी करेगा और कारण पूेगा कक ऐसे िारक के खखलाफ उप-ननयम (4) के आिन कारािाई तयों नहीं की जाए और इस तरह के नोदटस में उक्लखखत उल्लंघन के जािब और सुार के ललए तीस दिन का समय िेगा;

(ii) यदि संकियासंबिी अधिकार का ऐसा िारक—

- (क) कारण बताओ नोदटस में उक्लखखत उल्लंघन को ठीक कर लेता है और विरिणी प्रस्तुत करने की ननयत तारीख से उल्लंघन को ठीक करने की तारीख तक की अधि के ललए िूसरी अनुसूची में विननदिष्ट रकम, उतत तीस दिन की अधि के भीतर जमा कर िेता है, तो आगे कोई कारािाई नहीं की जाएगी;
- (ख) यदि उतत तीस दिन की अधि के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है या उल्लंघन को ठीक नहीं ककया जाता है, तो उत्पािन संकियाओं और प्रेषणों को ननलंत्रबत ककया जा सकता है और उप-ननयम (4) के आिन कोई भी कारािाई शुरू की जा सकती है;

(iii) उत्पािन संकियाओं का ननलंबन केिल उल्लंघन-सह-कारण बताओ नोदटस में उक्लखखत उल्लंघन के सुार के पश्चात तर्ा विरिणी प्रस्तुत करने की ननयत तारीख से उल्लंघन के सुार की तारीख तक की अधि के ललए िूसरी अनुसूची में विननदिष्ट रकम जमा करने के पश्चात ही िापस ललया जा सकेगा।

(6) उत्पािन पट्टे के िारक द्ारि मालसक और िावषाक विरिणी की ररपोदटिंग के ललए, 'वियकीमत' और 'खान-द्ारिकीमत' शब्ों का िही अर्ा होगा जो अपतट क्षेत्र संकियासंबिी अधिकार ननयम, 2024 के अध्याय 7 के आिन दिया गया है।

(7) यदि एक ही खान से एक से अधिक खननज उत्पादित होते हैं, तो प्रत्येक खननज के ललए विननदिष्ट प्ररूप के सुसंगत भागों के सार् विरिणी अलग से प्रस्तुत की जाएगी।

(8) उत्पािन संकियाओं के अस्ायी रूप से बि होने या उत्पािन संकियाओं के ननलंबन के मामले में, उत्पािन पट्टा िारक को उस खननज के ललए विननदिष्ट प्ररूप में विरिणी प्रस्तुत करनी होगी कजसके ललए विरिणी पहले प्रस्तुत की गयी री और सुसंगतिलशष्टनयांप्रस्तुत करनी होगी, कजसमें "शून्ध" सूचना, यदि कोई हो, शालमल होगी।

(9) संिभा अधि के िौरान खान का स्िलमत्ि मेंपरवितानकीहोनेकीिशामें, प्रत्येक स्िलमी द्ारि स्िलमत्ि

की संबंधित अधि के ललए अलग-अलग विरिणी िाखखल की जाएगी।

49. कनतपय ननयुक्ततयों की सूचना— संयुतत अनुज्ञक्त्त या उत्पािन पट्टे का िारक,—

- (क) जबननयम 53 के उपननयम (1) के आिन ककसी अलभकता, खननइंजीननयर, भूविज्ञानी या

ककसीव्यक्ततकीनईननयुक्ततकीजातीहै; या

(ख) जबककसीऐसेव्यक्ततका ननयोजनसमाप्तकरिदयाजाताहैयाकोईऐसाव्यक्ततउतत ननयोजनोड़िताहै; या

(ग) जबककसीऐसेव्यक्ततकेपतेमेंकोईपररितानहोताहै,

ऐसी ननयुक्तत, सेिा समाप्त, िोड़ने या पते में पररितान की तारीख से पंरह दिन के भीतर, यर्ाक्सूनत, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को पहलीअनुसूची के प्ररूप-झ में सूचना िेे।

50. कनतपय घटनाओं की सूचना— अधिननयम या उसके अीन बनाए गए ककसी ननयम या संकिया संबंधी अधिकार के ननयमों और शतों के उपबंधों पर प्रनतकूल प्रभाि डाले त्रबना, ऐसे संकियासंबंधी अधिकार का प्रत्येक िारक ननम्रललखखत में से ककसी भी घटना के घदटत होने पर प्रशासननक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय तटरक्षक, भारतीयनौसेनाऔर अन्य संबंधित प्राधिकाररयों को तुरंत सूधचत करेगा:—

(क) ककसीव्यक्ततकीमृत्यु; या

(ख) गुमशुिाव्यक्तत; या

(ग) धचककत्साननकासी; या

(घ) आगयाविस्फोटकेपररणामस्िरूपचोटयाबड़ीक्षनतयाहाननहुईहो; या

(ङ) टतकरकेपररणामस्िरूपचोटयाबड़ीक्षनतयाहाननहुईहो; या

(च) अपतटसंकियाकेसंबंधिमेंिुघाटनाकजसकेकारणजीिनकीहाननयागंभीरशारीरकचोटहो; या

(ि) विस्फोट; या

(ज) तीव्रतासेबाहरननकलना; या

(झ) भीषणआग; या

(ञ) ककसीपाइपलाइनयाउपस्कर, भाप संपीडइतिहायाअन्धिपार्ायुततपाइपलाइनकाफटना कजससेव्यक्ततयोंकीसुरक्षाखतरेमेंपड़नेकीसंभािनाहो; या

(ट) ककसीसंरचना, उपस्करयाप्रणालीकाटूटना, खंडूडतहोनायाविफलहोना, कजससेव्यक्ततयोंकी सुरक्षाखतरेमेंपड़नेकीसंभािनाहो; या

(ठ) विस्फोटकोंयारेडूडयोिमीपिर्ोंकेकारणकोर्डिुघाटना; या

(ड) ककसीहेलीकॉप्टरयाजलयानकाप्रनतष्ठानसेटकराना; या

(ढ) हेलीकॉप्टरिुघाटना; या

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

23

(ण) आिमीकापानीमेंधगरना; या

(त) विषाततऔरहाननकारकिपार्ोंकाउत्सजानकजससेव्यक्ततयों, प्रनतष्ठानोंयासमुरीपयाारिण कीसुरक्षाखतरेमेंपड़नेकीसंभािनाहो; या

(र) समुरमेंजलयानयािस्तुकीअननयंत्रतगनत, कजससेअपतटप्रनतष्ठानपरमौजूिव्यक्ततयों यास्ियंप्रनतष्ठानकीसुरक्षाखतरेमेंपड़सकतीहै; या

(ि) ककसीअपतटप्रनतष्ठानयाजलयानपोतयाहेलीकॉप्टरपरमौजूिकोईव्यक्ततलापतापाया जाताहै; या

(ि) खतरनाकिपार्ाकामहत्पिणाररसाि; या

(न) अनाधिकृतखननननिहन; या

- (प) प्रनतकूलपयाारिणीयपररक्स्नतयाँक्जनकेकारणमहत्पूणासुरक्षाऔर/यापयाारिणीयपररणाम होनेकीसंभािनाहो; या
- (फ) सुरक्षाकामहत्पूणाखतरायाउल्लंघन; या
- (ब) आपातकालीनप्रनतकियाऔरआकस्मकयोजनाकाकायान्दियन; या
- (भ) ककसीप्रनतष्ठानयाजलयानकीसततअखंडतायाआपातकालीनतैयाररयोंसेसमझौताकरने िालीप्रमुखहाननयाक्षनत; या
- (म) सुरक्षायापयाारिणकीदृष्टसेमहत्पूणाउपस्करोंकोहाननया क्षनत; या
- (य) मिलीपकड़नेकेउपस्करकेसामहत्पूणासंपका; या
- (र) पनडुब्बीपाइपलाइनोंयाकेबलोंकेसान्संपका; या
- (ल) समुरीकृवषगनतविधियोंऔरकृत्रमलभवत्तयोंकेललएसंरचनाकोनुकसानपहुंचाना; या
- (ि) कोईअन्धघटनाजैसाविननदिष्टककयाजाए।

51. अंतरीनतयों को अभिलेखों का अंतरण— जब अधिननयम के उपबंिों या उसके िीन बनाए गए ककसी ननयम

के अनुसार संयुतत अनुज्ञक्त या उत्पाि पट्टे का स्िलमत्ि अंतररत ककया जाता है, तो पूिा स्िामी या उसका अलभकता स्िलमत्ि के अंतरण के सात दिन की िधि के भीतर नए स्िामी या उसके अलभकता को बोरहोल कोर, अलभलेखों और नमूनों सदहत, यदि कोई हो, अधिननयम, उसके िीन बनाए गए ननयमों या िेशों के अनुसरण में बनाए गए सभी मानधचत्र, खंड, प्रोफाइल, ररपोटा, रक्जस्टर और अन्ध अलभलेख तर्ा संयुतत अनुज्ञक्त या उत्पाि पट्टे से संबंधित उससे संबंधित सभी पत्राचार सौप िेगा; और जब इन ननयमों की अपेक्षाओं का सम्यततः अनुपालन कर दिया गया हो, तो यर्ाक्स्नतपूिा और नए स्िामी या उनके संबंधित अलभकता, प्रशासननक प्राधिकारी और भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को अंतररत ककए गए बोरहोल कोर, मानधचत्र, खंड, प्रोफाइल, ररपोटा, रक्जस्टर और अन्ध अलभलेखों की विस्तृत सूची तुरंत भेज िेंगे।

52. नोटर्टस और वर्वरणयों तर्ा ररपोर्टय की प्रनतयां रखी जाएंगी— उत्पाि पट्टे का िारक या संयुतत अनुज्ञक्त

का िारक श्रलमक उपक्स्नत रक्जस्टर, उत्पाि और प्रेषण रक्जस्टर, रॉयल्टी ननारण रक्जस्टर रखेगा, कजसमें ननमललखखत शालमल होंगे—

- (क) अपतटक्षेत्रखननजन्दासऔरअंतरराप्रीयसमुतलप्राधिकरणकोदिगएयोगिनकाब्यौरा;
- (ख) नीलामीप्रीलमयमकेरूपमेंकेन्द्रीयसरकारकोककएगएसंिायकाब्यौरा;
- (ग) खानबंिकरनेकीकियाकलापोंपरककएगएव्ययकावििरण, रासायननकिवश्लेषणररपोटाके सान्बोरहोललॉग, खननजिवश्लेषणररपोटा, ग्रेडकेसान्उप-ग्रेडयाखननजअस्िीकृततरकजस्टर; तर्ा
- (घ) खननमशीनरीकाब्यौरातर्ाइनननयमोंकेिीनभारतीयखानब्यूरोकेप्राधिकृतअधिकारी याप्रशासननकप्राधिकारीयाक्षेत्रीयननयंत्रककोप्रस्तुतसभीनोटर्टसोंऔरिविरखणयों, मानधचत्रों, अनुभागों, प्रोफाइलोंऔरयोजनाओंकीप्रनतयां,

उसक्षेत्रमेंस्ावपतकायालयमेंजहांउत्पािनाखोजसंबंिीसंकियाएंकीजातीहैंयाननयम63

केिीनिवननदिष्टस्ानीयकायालयमें,

ननरीक्षणकेललएउपलब्िकराएजाएंगेऔरइन्हेंकियाकलापोंपरक्स्नतभारतीयखानब्यूरोकेप्राधिकृतअधिकारीयाप्र शासननकप्राधिकारीयाक्षेत्रीयननयंत्रक, कोननरीक्षणकेललएसभीउधचतसमयपरउपलब्िकरायाजाएगा।

अध्याय 8

िर्वज्ञाननयों और खनन इंजीननयों का ननयोजन

53. िर्वज्ञाननकों और खनन इंजीननयों का ननयोजन— (1) इन ननयमों के अनुसार खोजसंबंिी संकियाएं या उत्पाि संकियाएं करने के प्रयोजन के ललए,—

- (क) प्रत्येक संयुक्त अनुज्ञप्ति िारक को एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी को नियुक्त करना होगा;
- (ख) उत्पािन पट्टे के प्रत्येक िारक को एक पूर्णकालिक खनन इंजीनियर और एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी को नियुक्त करना होगा।
- (2) इस प्रकार की नियुक्तियां से िा समाप्त की सूचना नयम 48 के अीन प्रस्तुत ककए जाने िले मालिक और िवषयक विरिणी में िी जाएगी।
- (3) संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पािन पट्टे के िारक द्ारा ननयोजित खनन इंजीनियर या भूविज्ञानी के पास नीचे विनदिष्ट अहाताएं होनी चादहए, अर्ातः—

- (क) भूविज्ञानी: भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या भूभौतिकी या समुद्री भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधियां भारत में कसी केन्द्रीय अधिनयम या राज्य अधिनयम द्ारा स्ावपत या अीन ननगलमतिवश्विद्यालय या संसिके अधिनयम द्ारा स्ावपत शैक्षणिक संस्ाया विश्विद्यालय अनुिान आयोग अधिनयम, 1956 (1956 का 3) की िारा 4 के अीन स्ावपत विश्विद्यालय अनुिान आयोग के अीनमाननतिवश्विद्यालय घोषित द्ारा अनुित्त कोई समतुल्य अहाता या भारत के बाहर कसी विश्विद्यालय या संस्ा द्ारा अनुित्त और भारत सरकार द्ारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अहाता;
- (ख) खनन इंजीनियर: खनन इंजीनियरी में डूडग्रीया कसी के रीय अधिनयम, प्रांतीय अधिनयम या राज्य अधिनयम द्ारा या उसके अीन स्ावपत या अीन ननगलमतिवश्विद्यालय द्ारा अनुित्त कोई समतुल्य अहाता, कजस में विश्विद्यालय अनुिान आयोग अधिनयम, 1956 (1956 का 3) की िारा 4 के अीन स्ावपतिवश्विद्यालय अनुिान आयोग द्ारा मान्यता प्राप्त कोई संस्ा या भारत के बाहर कसी विश्विद्यालय या संस्ा द्ारा अनुित्त की गई और भारत सरकार द्ारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अहाता शामिल है।

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

25

54. िूर्वज्ञानी के कतयव्य— (1) भूविज्ञानी का यह कतयव्य होगा कक िह इन ननयमों के उपबंों के अनुसार खोज

संबंिी संकियाएं या उत्पािन संकियाएं संचालित करे।

(2) ननयम 53 में ननदिष्ट भूविज्ञानी—

- (क) खनन जसंसािों के अधिक अद्यतन, बोरहोल कोरयानमूनों और बोरहोल लॉग के ररखाि केललए उत्तरियायी होंगे;
- (ख) अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र में खनन जसंसािों के संरक्षण और खननजों और अयस्कों के इष्टतम उपयोग के ललए योजना;
- (ग) अनुमोदित खोज संबंधिी योजना या उत्पािन योजना के अनुसार काया करना और ऐसी योजना के अनुसार जांच संकिया करना;
- (घ) आश्यक भूिज्ञाननकमानधचत्र, खंड और प्रोफाइल तैयार करना जो अयस्कननकायकोधचत्र त्रत करने के ललए अपेक्षित हैं;
- (ङ) खनन जयुतत क्षेत्रों का शैलविज्ञान संबंधिी और खनन जिवज्ञान संबंधिी अध्ययन करना;
- (च) अयस्क संसािों और भंडार और उसके ग्रेड की गणना करना;
- (ि) उत्पादित खननजों की गुणिता या ग्रेड को ननयंत्र त्रत करने के ललए अपेक्षित सभी सूचना प्रािन करने के ललए उत्तरियायी होना;
- (ज) इन ननयमों के अीन खोज संबंधिी संकियाओं, उत्पािन संकियाओं और बोरहोलों के अलभलेखों का उधचत अलभलेख बनाए रखना;
- (झ) नमूना लेने की उपयुततिवधि पर काया करना तर्ातिनुसार नमूनों की तैयारी सुननक्श्त करना;
- (ञ) प्रत्येक खनन जक्षेत्र के आकार और आकृति का निारण करने के ललए सभितकनीकी डाटा बनाए रखना;

- (ट) कायारतखानकेमामलेमेंप्रत्येकिषाकेअंतमेंसंसाधनऔरआरक्षक्षतडाटाकोग्रेड-िारऔर श्रेणी-िार, मानकब्लॉक-िारअद्यतनकरना;
- (ठ) संबद्धिखननजोंकीपहचानकरनातर्गैर-त्रिबियोग्ययाननम-श्रेणीकेअयस्कोंऔरउत्पादित खननजोंकेढेरोंकाउधचतअलभलेखरखना;
- (ड) ऐसेसभीआिेशोंऔरननिशोंकोकायाकद्धितकरनाजोइनननयमोंकेअीनमहाननयंत्रकया प्रशासननकप्राधिकारीकेप्राधिकृतअधिकारीद्विाराललखखतरूपमेंदिएजाएँऔरऐसेसभी आिेशोंयाननिशोंकीएकप्रनतललवप, यर्ाक्स्नत, संयुततअनुज्ञप्ताउत्पािणपट्टेकेिारक कोभेजना।
- 55. खनन इंजीननयर के कतयव्य**— (1) खनन इंजीननयर का यह कताव्य होगा कक िह उत्पािण संकियाओं की योजना बनाने और संचालन के ललए सभी आिश्यक किम उठाए, ताकक इन ननयमों के अनुसार पट्टा क्षेत्र में और उसके आसपास खननजों का संरक्षण, खननज भंडारों का व्किस्सत विकास और पयाारिण की सुरक्षा सुननक्श्त की जा सके।
- (2)खनन इंजीननयर इन ननयमों के अनुसार योजनाओं, खंडों, ररपोटों और स्कीमों की तैयारी और रखरखाि के ललए उत्तरियायीहोगा।
- (3)खनन इंजीननयर को संबंधित चट्टानों और खननजों का अध्ययन करने, उनकी पहचान करने और उत्पादित विलभन्द् खननजों को अलग-अलग संग्रहीत करने की उत्तरिनयत्िहोगा।
- (4)खनन इंजीननयर ऐसे सभी आिेशों और ननिशों का भी पालन करेगा, जो इन ननयमों के अीन प्रशासननक प्राधिकारी या महाननयंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्विारा ललखखत रूप में दिए जाएँ और ऐसे आिेशों या ननिशों की एक प्रनत, यर्ाक्स्नत, संयुतत अनुज्ञप्ता या उत्पािण पट्टे के िारक को भेजेगा।
- (5)खनन इंजीननयर यह सुननक्श्त करेगा कक इन ननयमों और इसके अीन जारी आिेशों के उपबंिों के कायान्दियन के ललए खान में हर समय समुधचत सामग्री, उपस्कर और सुवििाओं का पयााप्त उपबंि हो और जहां िह उत्पािण पट्टे का िारक नहीं है, िहां िह पूिोतत प्रयोजन के ललए अपेक्षक्षत ककसी भी चीज के ललए ऐसे उत्पािण पट्टे के िारक से ललखखत रूप में मांग करेगा।
- (6)उपननयम (5) में ननदिष्ट प्रत्येक अधियाचना की एक प्रनत इस प्रयोजन के ललए रखी गई क्जलंबिं पृष्ठांककत पुस्तक में अलभललखखत की जाएगी और ऐसी अधियाचना प्राप्त होने पर उत्पािण पट्टा िारक खनन इंजीननयर द्विारा अधियाचना की गई सामग्री और सुवििाएं यर्ाशीघ्र उपलब्ि कराएगा।

अध्याय 9

खननजों की जांच और ननदेश जारी करना

- 56. ननदेश जारी करने की शक्त्त**— (1) संकियासंबंिी अधिकार का िारक खननज भंडारों के व्किस्सत विकास, खननजों के संरक्षण तर्ा िारणीय खनन के ललए ऐसे ननिशों का अनुपालन करेगा, क्जसेयर्ाक्स्नत, महाननयंत्रक या ननिशक, परमाणु खननज गिषण और अनुसंिान ननिशालय, समय-समय पर जारी कर सकते हैं।
- (2)ककसी विशेष खान को जारी ककए जाने िाले प्रस्तावित ननिशों की एक प्रनत यर्ाक्स्नतमहाननयंत्रक या ननिशक, परमाणु खननज गिषण और अनुसंिान ननिशालय, द्विारा संकियासंबंिी अधिकार के िारक और प्रशासननक प्राधिकारी को भेजी जाएगी और नोदटस की तामील की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे संकियासंबंिी अधिकार के िारक और प्रशासननक प्राधिकारी से प्राप्त ककसी भी दटप्पणी पर, ऐसे ककसी भी ननिश को जारी करने से पहले उनके द्विारा सम्यकत विचार ककया जाएगा।
- (3)ककसी खान पर लागू सामान्ध ननिश, प्रशासननक प्राधिकारी के परामशा से केन्द्रीय सरकार के पूिा अनुमोिण से, क्षेत्रीय ननयंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्विारा जारी ककए जाएंगे।
- 57. खननज िण्डारों की जांच और नमूने लेना**— भारतीय खान ब्यूरो का प्राधिकृत अधिकारी इन ननयमों के प्रयोजनों के ललए ककसी भी समय संयुतत अनुज्ञप्ता या उत्पािण पट्टे के अीन ककसी भी क्षेत्र में ककसी भी खननज भण्डार की जांच कर सकता है और िहां से नमूने ले सकता है।
- 58. कनतपय मामलों में तैनाती पर प्रनतबंि**— यदि कोई खान या उसका कोई भाग, जो मुख्य खान ननयंत्रक या खान ननयंत्रक या क्षेत्रीय ननयंत्रक की राय में खननजों के संरक्षण या समुरी पयाारिण या खान के िारणीय विकास के ललए गंभीर और तत्काल खतरा पैिा करता है, तो िह संकियासंबंिी अधिकार के िारक को ललखखत आिेश द्विारा उससे ऐसे उपाय करने की अपेक्षा कर सकता है, जैसा आिेश में विननदिष्ट ककया जा

सकता है और जब तक आिेश में विननदिष्ट अपेक्षाओं का उसके संतोषप्रि रूप से अनुपालन नहीं हो जाता, तब तक आिेश की अपेक्षाओं के अनुपालन के ललए अपेक्षक्षत व्यक्ततयों के अलािा ककसी अन्ध व्यक्तत की तैनाती पर रोक लगा सकता है।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

27

अध्याय10

अपील और जुमायना

59. अपील— इन ननयमों के आिन प्रित्त शक्ततयों का प्रयोग करते हुए ककसी अधिकारी द्ारा ककए गए ककसी आिेश से व्यधर्त कोई व्यक्तत, उसे आिेश के संसूधचत होने की तारीख से तीन मास के भीतर अपतट क्षेत्र प्रचालन अधिकार ननयम, 2024 के अध्याय 11 के उपबंिों के अनुसार केंरीय सरकार को अपील कर सकता है:

परंतुक कक ऐसी कोई अपील तीन मास की उतत अधि के पश्चात भी ग्रहण की जा सकेगी, यदि अपीलकता केन्द्रीय सरकार को यह समािान कर िे कक उसके पास समय के भीतर अपील न करने के ललए पयाप्त कारण र्ा।

60. दंड— (1) अधिननयम में ननदहत ककसी भी बात पर प्रनतकूल प्रभाि डाले त्रबना, ननयम 6, 7, ननयम 9 के उप-ननयम (1), 10, 11, 12, 13, 15, 16, ननयम 18 के उप-ननयम (1), 19, 20, 24, 25, 27, 31 से 46, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 67 और 74 का उल्लंघन करने पर कारािास, कजसकी अधि पांच िषा तक हो सकेगी या पचास लाख रुपए का जुमाना, जो एक करोड़ रुपए तक हो सकेगा, या िोनों से िंडनीय होगा और जारी उल्लंघन की क्सनत में अनतररतत जुमाना, जो पहले उल्लंघन के ललए िोषलसद्धि के पश्चात प्रत्येक दिन के ललए पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, कजसके िौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है।

(2) अधिननयम में अंतविष्ट ककसी भी बात पर पूिाग्रहकेत्रबना, ननयम 18 के उप-ननयम (2), 21, 22, 23, 28, 29, 49 और 53 का कोई भी उल्लंघन तीसरी अनुसूची में विननदिष्ट रकम के जुमाने से िंडनीय होगा।

(3) इन ननयमों के आिन िंडनीय ककसी अपराि का, अलभयोजन शुरू होने के पहले या बाि में, अधिननयम की िारा 30 के आिन उस अपराि के संबंि में न्यायालय में लशकायत करने के ललए प्राधिकृत व्यक्तत द्ारा, परमाणु खननजों के संबंि में प्रारंभकमूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड िाले खननजों के संबंि में, यर्ाक्सनत, महाननयंत्रक या ननिशक, परमाणु खननज गिषण और अनुसंिान ननिशालय द्ारा इस संबंि में विननदिष्ट रालश का, उस व्यक्तत को सरकार को जमा करने के ललएसंिाय करने पर, शमन ककया जा सकेगा:

परंतुक कक केिल जुमाने से िंडनीय अपराि के मामले में, ऐसी रालश जुमाने की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी जो उस अपराि के ललए लगाई जा सकेगी:

परंतुक यह और कक जहां ककसी अपराि का इन ननयमों के आिन शमन ककया जाता है, िहां इस प्रकार शमन ककए गए अपराि के संबंि में यर्ाक्सनत, अपरािी के विरुद्ध कोई कायािाही या आगे की कायािाही, नहीं की जाएगी और अपरािी, यदि दहरासत में है, तो उसे तत्काल ररहा कर दिया जाएगा।

अध्याय11

र्वि

61. संक्रिया का ननलंबन— (1) यदि प्रशासनक प्राधिकारी को लगता है कक पयाप्त कारण प्रस्तुत ककए गए हैं तो िह संयुतत अनुज्ञक्त या उत्पािन पट्टे से संबंधित संक्रिया को िह मास से अधिक अधि के ललए ननलंबन करने के ललए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) प्रशासनक प्राधिकारी, यदि िह पूिोतत ननलंबन को प्राधिकृत करता है, यर्ाक्सनतखोजसंबंिी संक्रियाओं या उत्पािन संक्रियाओं के संरक्षण के ललए या खननज संसािनों के संरक्षण के ललए या ककसी अन्ध प्रयोजन के ललए ऐसी शतें अधिरोवपत कर सकता है, अनुज्ञक्ितारक या पट्टेार ऐसी शतों का अनुपालन करेगा, मानो िे संयुतत अनुज्ञक्त या उत्पािन पट्टे में सक्मललत हों:

परंतुक कक प्रशासनक प्राधिकारी उपननयम (1) के आिन संयुतत अनुज्ञक्त या उत्पािन पट्टे से संबंधित संक्रियाओं के ननलंबन को रद्धि कर सकेगा, यदि उसका यह समािान हो जाए कक ऐसे ननलंबन के कारण समाप्त हो गए हैं या अनुज्ञक्ितारक या पट्टेार, ने ऐसी शतों को पूरा कर ललया है, जो प्रशासनक प्राधिकारी द्ारा ननिाररत की जाए।

62. कोर आटद का संरिण— (1) संक्रियासंबंिी अधिकार का प्रत्येक िारक और िारा 5 की उपिरा (1) के परन्तुक के आिन प्राधिकृत प्रत्येक अलभकरण, ड्रडललंग संक्रियाओं के िौरान प्राप्त सभी कोर और विलभन्ध

जाने प्रकार के अिसािो, चट्टानों, खननजों और पपाटीकरण के नमूनों को अनतम भूिैज्ञाननक ररपोटा प्रस्तुत ककए तक परररक्षक्षत और अक्षुण्ण रखेगा और उन्द्हें पहचान धचह्नों के सार् िमानुसार व्किस्त्त करेगा, कजसमें िह उत्तरोत्तर गहराई िशाई जाएगी कजस पर िे प्राप्त ककए गए हैं।

- (2)यर्ाक्स्नत, भारतीय खान ब्यूरो का प्रशासननक प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी ललखखत अिेश द्ारा संकियासंबिी अधिकार के िारक या िारा 5 की उपपारा (1) के परन्द्तुक के अीन प्राधिकृत अलभकरण को विननदिष्ट िेिन निरों या िेिन से प्राप्त अिसािो, चट्टानों, खननजों और पपाटीकरणों के कोर या नमूनों को विननदिष्टरीनतमेंया ककसी विननदिष्टिअधि के ललए परररक्षक्षत करने की अपेक्षा कर सकेगा या इस ननयम के उपबंिो को उस सीमा तक लशधर्ल कर सकेगा, जैसा िह उधचत समझे।
- (3)उप-ननयम (1) और (2) के अनुसार उत्पादित और संरक्षक्षत ककसी भी कोर या नमूने को यर्ाक्स्नत, मुख्य खान ननयंत्रक या प्रशासननक प्राधिकारी, कोष से ललखखत में पूा अनुमनत के त्रबना नष्ट नहीं ककया जाएगा।
- (4)भारतीय भूिैज्ञाननक सिैक्षण राप्रीय कोर कोष और क्षेत्रीय िेिन कोर कोष में िेिन कोर को उपयुतत अनुमिण और सूचीकरण के सार् संग्रदहत करने के ललए नोडल अलभकरण होगा।
- (5)क्षेत्रीय िेिन कोर कोष राप्रीय कोर कोष के उपग्रह के रूप में काया करेंगे।
- (6)िारा 5 की उपपारा (1) के परन्द्तुक के अीन अधिकृत संकियासंबिी अधिकार िारक या कोई अन्ध अलभकरण, भारतीय भूिैज्ञाननक सिैक्षण द्ारा समय-समय पर तैयार ककए गए मैनुअल में यर्ा उपबंथित कोर के संरक्षण और प्रस्तुतीकरण की प्रकिया का पालन करेगा और अनतम भूिैज्ञाननक ररपोटा प्रस्तुत ककए जाने के समय सभी अपेक्षक्षत अध्ययनों के पूरा हो जाने के पश्चात भारतीय भूिैज्ञाननक सिैक्षण द्ारा एकत्रत ककए जाने िाले पहचान ककए गए िेिन निर कोर का संरक्षण करेगा।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

29

63. स्ानीय कायायलय का रखरखाव और नोडल अधिकारी का पदनाम— (1) संकियासंबिी अधिकार िारक के पास, यर्ाक्स्नत, उसके पट्टा क्षेत्र या अनुज्ञक्षत क्षेत्र के ननकट तटिती तटीय क्षेत्र में एक स्ानीय कायायलय होगा, जो अधिननयम और ननयमों के अीन संकियासंबिी अधिकार िारक द्ारा प्रस्तुत या अनुरक्षक्षत ककए जाने के ललए अपेक्षक्षत सभी िस्तािेजों, फाइलों, ररपोटों, डाटा, विरिखणयों और ककसी अन्ध सूचना का अलभलेख बनाए रखेगा।

(2)संकियासंबिी अधिकार का िारक अपने अीन ककसी व्यक्तत को ऐसे स्ानीय कायायलय का प्रभारी नोडल अधिकारी अलभदहत करेगा।

64. अनुसंिान या प्रभशिण करने के भलए सुविां— प्रत्येक संयुतत अनुज्ञक्षत या उत्पािन पट्टे का िारक सरकारी कमाचाररयों या संस्ाओं के प्रलशक्षण के ललए सभी सुविां प्रािन करेगा और केंरीय सरकार या राज्य सरकार द्ारा अनुमोदित खनन, भूिैज्ञाननक और खननज प्रसंस्करण संस्ाओं के शोकिताओं या िात्रों को उनके द्ारा संचाललत खानों और संयंत्रों का अनुसंिान करने या व्यािहाररक प्रलशक्षण प्राप्त करने की अनुमनत िेगा और ऐसे प्रलशक्षण के ललए अपेक्षक्षत सभी सुविां प्रािन करेगा।

65. िूर्वज्ञान या खनन या समुद्री र्वज्ञान में अनुसंिान के संबि में अभिलेखों या ररपोटों का प्रस्तुतीकरण— (1) कोई व्यक्तत, संस्ा या अलभकरण जो भूविज्ञान या खनन या समुद्री विज्ञानयाखननजसज्जीकरण में ककसी अनुसंिान से संबंथित खोजसंबिी संकियाएं या उत्पािन संकियाएं कर रही है िह, अनुसंिान से संबंथित ऐसी संकियाओं के प्रारंभ होने के तीस दिन की अिधि के भीतर, यर्ाक्स्नत, प्रशासननक प्राधिकारी, महाननयंत्रक या परमाणु खननज गिषण और अनुसंिान ननिशालय के ननिशक को, सूधचत करेगी, कजसमें ऐसे अनुसंिान के अीन शालमल ककए जाने िाले प्रस्तावित पहलुओं के सार्-सार् ऐसे अनुसंिान संकिया करने िाले व्यक्तत, संस्ा या अलभकरण का नाम और पता और अनुसंिान से संबंथित संकियाओं की अपेक्षक्षत अिधि का संक्षेप में उल्लेख होगा।

(2)उतत अनुसंिान संकिया के पूरा होने पर, उतत अनुसंिान संकिया के पररणामस्िरूप प्राप्त प्रेक्षणों, विश्लेषण और ननष्कषों का िणान करने िाली एक ररपोटा भूविज्ञान और समुद्री विज्ञान संबिी अनुसंिान के ललए महाननिशक, भारतीय भूिैज्ञाननक सिैक्षण को और खनन अनुसंिान के ललए यर्ाक्स्नतप्रशासननक प्राधिकारी, मुख्य खान ननयंत्रक या ननिशक, परमाणु खननज गिषण और अनुसंिान ननिशालय को, इसके पूरा होने के तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(3)उप-ननयम (2) में ननदिष्ट प्राधिकारी रसीि में िी गई सूचना को गोपनीय रखेंगे और यदि आश्यक हो तो संबंथित प्राधिकारी उतत सूचना का उपयोग सामान्ध अध्ययन, योजना या नीनत ननमाण के प्रयोजन के ललए कर सकते हैं।

(4) उप-ननयम (1) और (2) के उपबंि अनुसंिान संकिया करने िाली केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ककसी अलभकरण पर भी यर्ािश्यक पररितानों सदहत लागू होंगे।

66. **खान ननयंत्रक और िेत्रीय ननयंत्रक का प्रादेभशक अधिकार िेत्र**— महाननयंत्रक, आधिकारक राजपत्र में अधिसूचना द्िारा, इन ननयमों के प्रयोजनों के ललए खान ननयंत्रक और क्षेत्रीय ननयंत्रक के प्रािलशक अधिकार क्षेत्र की सीमाएं विननदिष्ट कर सकता है।
67. **अन्य सूचना देने की बाध्यता**— संकियासंबंिी अधिकार का िारक अपने खोजसंबंिी संकियाओं या उत्पाि संकियाओं या उससे संबंधित ककसी मामले के संबंि में ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा, कजसकी भारतीय खान ब्यूरो का प्राधिकृत अधिकारी ललखखत आिश द्िारा अपेक्षा करे और सूचना ऐसे आिश में विननदिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
68. **इन ननयमों के उपबंिों का प्राधिकृत अभिकरणों पर लागू होना**— िारा 5 की उपिारा (1) के परन्दतुक के िीन प्राधिकृत अलभकरण, जो संयुतत अनुज्ञप्त के त्रबना खोजसंबंिी संकियाएं करते हैं, इन ननयमों के सभी उपबंिों से उसी रीनतमें आबद्ध होंगी, कजस रीनतमें िे संयुतत अनुज्ञप्त िारकों पर लागू होते हैं।
69. **शक्ततयों का प्रयोग**— (1) इन ननयमों के िीन क्षेत्रीय ननयंत्रक को िी गई ककसी शक्तत का प्रयोग खान ननयंत्रक द्िारा ककया जा सकेगा।
(2) खान ननयंत्रक को िी गई शक्ततयों का प्रयोग मुख्य खान ननयंत्रक द्िारा ककया जा सकता है तर्ा मुख्य खान ननयंत्रक को िी गई शक्ततयों का प्रयोग महाननयंत्रक द्िारा ककया जा सकता है।
(3) इन ननयमों के िीन परमाणु खननज गिषण और अनुसंिान ननिशालय के प्राधिकृत अधिकारी को अनुत्ति गई ककसी शक्तत का प्रयोग ननिशक, परमाणु खननज गिषण और अनुसंिान ननिशालय द्िारा ककया जा सकेगा।
70. **1962 के अधिननयम 33 की व्यावर्त**— इन ननयमों की कोई बात खान और खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग ख में विननदिष्ट खननजों के संबंि में परमाणु ऊजाा अधिननयम, 1962 (1962 का 33) और उसके िीन बनाए गए ननयमों के उपबंिों पर प्रभाि नहीं डालेगी।
71. **रूपविनि, टेम्पलेट्स, र्ववरणणयों और मैनुअल का पुनर्वयलोकन**— यर्ाकस्नत, महाननयंत्रक या ननिशक, परमाणु खननज खोजसंबंिी और अनुसंिान ननिशालय, पणिररयों के परामशा के पश्चात् खोजसंबंिी योजना, उत्पाि योजना, खानको अनंतम रूपसेबंि करने की योजना और इसके द्िारा प्रान की गई विरिणी और खानों की स्टार रेदटंग के रूपविधानों को उधचत समझे जाने िाले अंतराल पर पुनरीक्षकत या अद्यतन कर सकते हैं।
72. **ककसी अपेिा के पूरा होने का टदन**— जब इन ननयमों के िीन ककसी अपेक्षा के पूरा होने का दिन सािाजननक िुट्टी के दिन पड़ रहा हो, तो पूरा होने का दिन अगले काया दििस को पूरा होने का दिन माना जाएगा।
स्पष्टीकरण.— इन ननयमों के प्रयोजनों के ललए, "सािाजननक अिकाश" में शननिर, रविार और केन्द्रीय सरकार द्िारा सािाजननक अिकाश घोवषत ककयागया कोई अन्य दिन सम्मललत है।

अध्याय 12

अपतट खनन र्वननयमन प्रणाली

73. **अपतट खनन र्वननयमन वेब पोर्टल**— (1) भारतीय खान ब्यूरो इन ननयमों के उपबंिों के कायान्दियन अनुपालन के ललए एक अपतट खनन विननयमन िेब पोर्टल तैयार करेगा।
(2) इन ननयमों के उपबंिों के कायान्दियन और अनुपालन के ललए यर्ाकस्नत भारतीय खान ब्यूरो या परमाणु खननज खोजसंबंिी और अनुसंिान ननिशालय के प्रशासननक प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्िारा की जा रही विननयामक संकियाओं के सभी पहलुओं को इन प्रयोजनों के ललए विकलसत मानक प्रकिया शीटों या टेम्पलेट्स में िजा ककया जाएगा और इस संबंि में सूचना उप-ननयम (1) में ननिदिष्ट पोर्टल पर उपलब्ि कराई जाएगी:

[भाग II—खण् ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

31

परंतुक कक उतत िेब पोर्टल में उपलब्ि कराई गई िाखणक्यक सूचना की पहुंच इस प्रकार विननयलमत की जाएगी कक सूचना केिल संबंधित संकिया संबंिी अधिकार िारक, महाननयंत्रक, केन्द्रीय सरकार, प्रशासननक प्राधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी और िेब पोर्टल के प्रशासक द्िारा ही प्राप्त की जा सके।

74. **इलेटरॉननक मॉनीटरी प्रणाली**— (1)संकियासंबिी अधिकार िारक को भारतीय खान ब्यूरो द्ारा य्ाविननदिष्ट एक इलेटरॉननक मॉनीटरी प्रणाली स्ावपत करनी होगी, जो भारतीय खान ब्यूरो द्ारा य्ाविननदिष्ट, खोज संबिी संकियाओं और उत्पािन संकियाओं से संबंधित सभी सुसंगत डाटा को स्िचाललत रूप से अलभलेख करने में समर्ा होगी, कजसमें जलयानों की सटीक रैककंग, अपतट क्षेत्रों में संकियाओं की मॉनीटरी और ऐसी संकियाओं के ललए िीड्रडयो फीड की ररकॉड्रडिंग शालमल है, लेककन यह इन्द्हीं तक सीलमत नहीं है।
- (2)उप-ननयम (1) के ऒीन एकत्रत सभी डाटा भारतीय खान ब्यूरो को भारतीय खान ब्यूरो द्ारा विननदिष्ट रीनतमें प्रस्तुत ककए जाएंगे।

पहली अनुसूची

प्ररूप—क

(ननयम 11 िेखखए)

(सूचना के प्रारंभिक आवीणि और खोज संबिी संक्रिया)

प्ररूप िरने के भलए महत्वपूणय अनुदेश

- यहप्ररूपसम्यकरूपसेभराहुआ, ननयमानुसार, संबंधितप्राधिकाररयोंकेपास ऑनलाइनया ईमेलद्ारापहुंचनाचादहए:
 - खोजसंबिीसंकियाऔरिीक्षणासंकियाप्रारंभकरनेकेललए, खोजसंबिीसंकिया प्रारंभहोनेसेकमसेकमोमासपहलेसूचनािेनीहोगी।
 - समुरमेंनाविकोंऔरस्ानीयिमुआरोंकीसुरक्षाकेललए, ऒीक्षणासंकियाओंऔर खोजसंबिीसंकियाओंकोशुरूकरनेसेकमसेकमपरहिदनपहलेनौसंचालनचाटापर प्रकाशनऔरएनएिएआरईए(निररया) चेतािनीजारीकरना।
- इसेउसक्षेत्रीयननयंत्रककोभीभेजाजानाचादहएकजसके राज्यक्षेत्रीयअधिकाररतामेंसंकिया संबिीअधिकारआताहै, जैसाअपतटक्षेत्रखननजसंरक्षणऔरिवकासननयम, 2024 केननयम 66 केऒीनमहाननयंत्रकद्ारासमय-समयपरअधिसूधचतककयाजाताहै।
- प्ररूपपरसंबिितव्यक्ततद्ाराड्रडकजटलहस्ताक्षरहोनाचादहए।

1.	संक्रिया संबिी अधिकार/संक्रिया का प्रकार	जाँचेंकककौनसालागूहै
	(क)संयुततअनुज्ञक्प्त	
	(ख)खोजसंबिीसंकिया (केिल िारा 5 की उपिारा (1) के उपबंि के ऒीनप्राधिकृतअलभकरणोंपरलागू)	
	(ग)ऒीक्षणासंकिया (केिल िारा 5 की उपिारा (1) के परंतुक के ऒीन प्राधिकृतअलभकरणोंपरलागू)	
2.	आईबीएम रक्जसीकरण संख्या	
3.	अद्वसरी आईबीएम संक्रिया संबिी अधिकार संख्या	
	(क)संयुततअनुज्ञक्प्त	
	(ख)खोजसंबिीसंकिया/ऒीक्षणासंकियासंख्या (केिलारा 5 की उपिारा (1) के उपबंि के ऒीन प्राधिकृतअलभकरणोंपरलागू)	
4.	खननज या खननजों का नाम कजसके भलए आवीणि संक्रिया या खोज संबिी संक्रिया क्रकया जाएगा या कजसके भलए संयुतत अनुज्ञक्प्त प्रदान क्रकया गया है	(सूचना लसस्टम द्ारा तैयार की जाएगी।प्ररूप'च'कीप्रविक्षट6केसानललंककीजाएगी।)
5.	िारा 5 की उपिारा (1) के उपबंि के ऒीन प्राधिकृत अनुज्ञक्प्तारी या एजेंभसयों का नाम और पता	(सूचना लसस्टम द्ारा तैयार की जाएगी।प्ररूप'च'कीप्रविक्षट6केसानललंककीजाएगी।)

6.	संक्रिया संबंधी अधिकार का वर्णन:	(सूचना लसस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूपचकी प्रविष्ट 6 के सानल क की जाएगी।)
7.	अनुज्ञप्त िेत्र/खोज संबंधी िेत्र/आवीणि िेत्र का स्ान	(सूचना लसस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूपचकी प्रविष्ट 6 के सानल क की जाएगी।)
8.	अनुज्ञप्त िेत्र/ खोज संबंधी िेत्र/आवीणि िेत्र के भलए ननयोजत िूर्वज्ञानी और खनन इंजीननयर का	
	(क) नाम और पता	
	(ख) ई-मेल पता	
	(ग) फोन नंबर और मोबाइल नंबर	
	(घ) अहाता	
	(ङ) ननयुक्त तकी तारीख	
9.	तैनात क्रकये जाने वाले जलयान का वर्णन	
	(क) जलयान का नाम:	
	(ख) आयाम:	
	(ग) जलयान का रूप विान:	
	(घ) कॉल साइन:	
	(ङ) रकज सीकरण का िेश:	
	(च) रकज सीकरण का िषा:	
	(ि) तयास भी प्रमाण पत्र िहैं; यदि हां, तो िैिता की तारीख के सान्र माण पत्रों का ब्यौरा उपलब्िकराएं:	
	(ज) तया जलयान और काल माकों के ललएस भी आशयक मंजूर रयां प्राप्त कर ली गई हैं:	
	(झ) जलयान पर चालकिल का विरण:	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

33

	(ज) जलयान पर िज्ञानन क उपस्कर और मशीनरी की सूची:	
	(ट) िैज्ञानन क उपस्कर संचालन करने के ललए जलयान पर मौजू ितकनी की लोगों का विरण:	
	(ठ) िहि अधिकजस के ललए जलयान तैनात कया जाएगा	
10.	अन्य वर्णन	
	(क) ऐसी संक्रियाओं को करने के ललए अनुज्ञप्त क्षेत्र में जलयानों, प्लेटफॉर्मा, स्ापना या ककसी अन्द्य बुनन या िीढांचे की तैनाती की अधि; और	
	(ख) अनुज्ञप्त क्षेत्र के भौगोलक ननिशांक जहां ऐसे कायाकक एजा ने हैं।	
11.	खोज संबंधी संक्रिया/आवीणि संक्रिया प्रारंि होने की तारीख	
स्ान: तारीख:	हस्ताक्षर नाम में भरा हुआ: पिकाना नाम: स्िामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीननयर	

प्ररूप—ख

[ननयम13(1), 13(3), 13(4)िेखए]

(नतमाही/वषय के में की गई खोज संबंधिी संक्रियाओं की अद्यतन प्रगनत ररपोर्टय)

प्ररूप िरने के भलए महत्वपूर्णय अनुदेश

- i. यहप्ररूप, सम्यकरूपसेभराहुआवदहतननयमानुसारसंबंधितप्राधिकाररयोंकेपासऑनलाइनयाईमेलद्वारा पहुंचनाचादहए:
(1)संयुततअनुज्ञक्ितारककेललए:
(क)त्रैमालसकप्रगनतअद्यतनररपोटाकीिशामेंनतमाहीसमाक्त्केतीसिदनोंकेभीतर;
(ख)िावषाकप्रगनतअद्यतनररपोटाकीिशामेंिषासमाक्त्केसाठिदनोंकेभीतर;
(ग)खोजसंबिीसंकियाओंकेपररत्यागकीतारीखसेतीसिदनोंकीअधिकेभीतर।
(2)िरा 5कीउपिरा (1)केपरंतुककेअिनप्राधिकृतअलभकरणकेललए:
(क)िावषाकप्रगनतअद्यतनररपोटाकीिशामेंआीक्षणसंकियाओंयाखोजसंबिीसंकियाओंकेप्रारंभ कीतारीखसेप्रत्येकबारहमासकीसमाक्त्केसाठिदनोंकेभीतर;
(ख)आीक्षणसंकियाओंयाखोजसंबिीसंकियाओंकोिोड़नेकीतारीखसेतीसिदनोंकीअधिके भीतर।
- ii. इसेक्षेत्रीयननयंत्रककोभीभेजाजानाचादहए, कजसकेराज्यक्षेत्रीयअधिकाररतामेंसंकियासंबिीअधिकार आताहै, जैसाककअपतटक्षेत्रखननजसंरक्षणऔरिवकासननयम, 2024केननयम66केअिनमहाननयंत्रक द्वारिसमय-समयपरअधिसूधचतककयाजाताहै।
- iii. प्ररूपपरसंबंधितव्यक्ततद्वाराडूडकजटलहस्ताक्षरककएजानेचादहए।

1.	संक्रिया संबंधिी अधिकार/संक्रिया का प्रकार	जोलागूहैउसकीजांचकरें
	(क)संयुततअनुज्ञक्त्	
	(ख)खोजसंबिीसंकिया (केिलिरा 5कीउपिरा (1)केपरंतुककेअिनप्राधिकृतअलभकरणपरलागू)	
	(ग)आीक्षणसंकिया (केिलिरा 5कीउपिरा (1)केपरंतुककेअिनप्राधिकृतअलभकरणपरलागू)	
2.	आईबीएम रक्जस्रीकरण संख्या	
3.	र्वभशष्ट आईबीएम संक्रिया संबंधिी अधिकार संख्या	
	(क)संयुततअनुज्ञक्त्	
	(ख) खोज संबंधिी संक्रिया/आीक्षण संक्रिया संख्या (केिलिरा 5 की उपिरा (1) के परंतुक के अिन प्राधिकृतअलभकरणपरलागू)	
4.	खननज या खननजों के नाम कजसके भलए आवीण संक्रिया या खोज संबंधिी संक्रिया की जाएगी या कजसके भलए संयुतत अनुज्ञक्त् प्रदान की गई है	(सूचना भसस्र्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रर्वक्षट्ट 6 के सार् भलंक की जाएगी।)
5.	िरा 5 की उपिरा (1) के परंतुक के अिन प्राधिकृत अनुज्ञक्ितारी या अभिकरण का नाम और पता	(सूचना भसस्र्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रर्वक्षट्ट 6 के सार् भलंक की जाएगी।)
6.	संक्रिया संबंधिी अधिकार का र्ववरण:	(सूचना भसस्र्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रर्वक्षट्ट 6 के सार् भलंक की जाएगी।)

7.	अनुज्ञकृत क्षेत्र/खोज संबंधी क्षेत्र/आवीर्ण क्षेत्र का स्नान	(सूचना भसस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रर्वक्षट्ट 6 के सार् भलंक की जाएगी।)
8.	आवीर्ण/खोज संबंधी संक्रियाओं की वस्नत (कृपया जो भी लागू हो उससे धक्कत करें)	
	(क) प्रगनत पर है	आरंलभक और अनंत मतारीख अंककत करें।
	(ख) पूरा हो गया	
	(ग) पररत्यत	
9.	यटद आवीर्ण/ खोज संबंधी संक्रिया पूरी हो गई है या पररत्याग कर टदया गया है, तो ऐसे पूरा होने या पररत्याग	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

35

	की तारीख	
10.	आज की तारीख तक कुल अपतर्ट क्षेत्र को आवीर्ण/खोज संबंधी संक्रिया के अीन ले भलया गया है (अिंश और देशांतर में तर्ा मानक ब्लॉकों की संख्या में)	
11.	आवीर्ण/ खोज संबंधी संक्रिया संपन्न (ननम्रललखखत प्रत्येक मि के सामने संक्रिया का संक्षक्षप्तिविरणतर्ाप्रयुततजलयानों, उपकरणों, प्लेटफामा, प्रनतष्ठा नों, इंजनों, मशीनों, यंत्रों और अन्धबुननयािीं ढांचे का विरिणदयाजाए गा)	
	(क) क्षेत्रीयिसेक्षण	
	(ख) विस्तृतिसेक्षण	
	सबमजा इन्डसटालेशन की अक्षांश औरिशांतर, ऊंचाई और गहराई, संरचना (आकार और रंग), कजसमें फोटोग्राफ भीशालमल हैं, प्रकालशत िस्तुओं का विरिण और विशेषताएं, स्ावपतशीषाधक्कतों/रडारसमीटर का विरिण, यदि को ईहो	
12.	संरक्षित ककए गए क्षेत्र और प्रस्तुनत के पैमाने सटहत समुद्र तल मानधचत्रण	
	(क) समुद्र तल मानधचत्रण	
	(i) बैधर्मेरी	
	(ii) सब-बॉटम प्रोफाइल लंग	
	(iii) मल्टीबीम बैधर्मेरी	
	(iv) साइड-स्कैन सोनारिसेक्षण	
	(v) कोई अन्ध	
	(ख) भूभौनतकीयिसेक्षण	
	(i) भूकंपीयिसेक्षण	
	(ii) कोई अन्ध	
	(ग) भू-तकनीकी जांच	
	(घ) समुद्री पर्याारिण अध्ययन	
	(ङ) भूरसायन	

	(च) भू-विज्ञान नक़्शे- नमूनाकरण: संख्या, प्रभाक्षेत्र, मीटर रेज अंतराल और नमूनाकरण	
	(ि) अयस्क नमूनाकरण की प्रकृत और संरचना	
	(ज) अयस्क को या खनन जों का विश्लेषण	
13.	वषय के दौरान आवीण/खोज संबंधी संक्रिया का समापन	
14.	(क) समुद्र तल के नमूने	
	(i) ग्रेबनमूनों की संख्या	
	(ख) समुद्र तल कोर नमूनाकरण	
	(i) ग्रेविटी / डिब्रोकोर की संख्या	
	(ii) लंबाई (मीटर में) औसत: अधिकतम: न्यूनतम:	
14.	(ग) वेन	नतमाही के दौरान
	(i) पूणाक कये गये बोर होलों की संख्या	आज तक
	(ii) ड्रिल कक एग एमीटर रेज (मीटर में)	
14.	(घ) वेन मशीनों का वर्वरण	
	प्रकार	ननमायण
		मिता
		वेनों की संख्या
14.	(ङ) गवेषणात्मक खनन, यटद कोई हो	नतमाही के दौरान
	(i) तलकषाणों की संख्या	आज तक
	(ii) कुल तलकषाण क्षेत्र (किगकमी)	
	(iii) ग्रेड के सा-उत्पादित अयस्क की मात्रा	
14.	(च) वर्श्लेषत नमूनों की संख्या	नतमाही के दौरान
	(i) विश्लेषत नमूनों की संख्या	आज तक
	(ii) मुख्य घटकों की संख्या (कृपया विनन दिष्ट करें) (रासायनिक)	
	(ii) पूणा विश्लेषण की संख्या (रासायनिक/परमाणु अिशोषण स्पेटरोस्कोपी)	
	(iv) तलिटिवज्ञान संबंधी अध्ययनों की संख्या	
	(v) पेट्रोग्राफी/पेट्रोलॉजिकल अध्ययन/खनन जिवज्ञान संबंधी अध्ययनों की संख्या	
	(vi) भू-तकनीकी गुणों की संख्या	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

37

15.	अनुज्ञकृत िेत्र/खोज संबंधी िेत्र/आवीण िेत्र में काययरत काभमयकों की संख्या:				
		ारतीय नागररक	वदेशी नागररक		कुल
		पुरुष	मदहला	पुरुष	मदहला
	कंपनी कालमाक				

	सर्वदा काभमयक				
	कुल				
16.	यटद पररत्याग क्रकया गया				
	(क) पररत्याग की तारीख				
	(ख) पररत्याग के कारण				

दटप्पण: कृपया अपतट क्षेत्र (खनन जसंसाधनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 में विननदिष्ट रूप विननके अनुसार विषयक भू-ज्ञान नकररपोटा संलग्न करें, कजसमें कक एग एसिसेक्षण संकियाओं या खोज संबंधी संकियाओं का विवरण हो।

स्रान:
तारीख:

हस्ताक्षर

नाम:

पिकानाम: स्मि/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर

प्ररूप—ग

(ननयम 23 और 29 देखिए)

(खान के उत्पादन संक्रियाओं के प्रारंभ होने / खान पुनः खोलने की सूचना की नोटिस)

प्ररूप िरने के भलए महत्वपूर्ण अनुदेश:

i. सम्यकरूपसे भरा गया यह प्ररूप ननयम के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों के पास ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से पहुंचना चाहिए:

(क) खान की उत्पादन संक्रिया शुरू करने के ललए, खान की उत्पादन संक्रिया शुरू होने से कम से कम 30 दिनों पहले; या

(ख) नौसंचालन चाटा पर प्रकाशन और नाविकों और स्रानीयिमुआरों की समुद्र सुरक्षा के ललए नररया चेतानी जारी करने के ललए, उत्पादन संक्रिया शुरू करने से कम से कम 30 दिनों पहले।

(ग) खान के कफर से खुलने की सूचना के ललए, खान के कफर से खुलने से कम से कम 30 दिनों पहले।

ii. इस क्षेत्रीय ननयंत्रक को भी भेजा जाना चाहिए, कजसके राज्य क्षेत्रीय अधिकार रतामें संक्रिया संबंधी अधिकार आता है, जैसा कक अपतट क्षेत्र खनन जसंक्षण और विकास ननयम, 2024 के ननयम 66 के अीनमहाननयंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कया जाता है।

iii. प्ररूप पर संबंधित व्यक्त तद्वारा ड्रड कजटल हस्ताक्षर कक एजाने चाहिए।

1.	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2.	उत्पादन पट्टा कोड	
3.	खान कोड	
4.	खान का नाम	
5.	पट्टेदार/स्वामी का नाम और पता	(सूचना लसस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 4 के सललंक की जाएगी।)
6.	खान के उत्पादन संक्रिया प्रारंभ होने / खान को पुनः खोलने की तारीख	
7.	पुनः खोलने की क्स्नत में, बंद करने की तारीख	
8.	उत्पादन पट्टे (पीएल) का वर्वरण	(सूचना लसस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 5 के सललंक की जाएगी।)
9.	पट्टा िेत्र का स्रान	(सूचना लसस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप 'च' की प्रविष्टि 5 के सललंक की जाएगी।)
10.	पछले स्वामी का नाम और पता यटद कोई हो और खान पररत्याग की तारीख	

	(क)नाम	
	(ख)पता	
	(ग)ई-मेल	
	(घ)मोबाइलनं.	
	(ङ)पररत्यागकीतारीख	
11.	खान अभिकताय का नाम और पता	
	(क)नाम	
	(ख)पता	
	(ग)ई-मेल	
	(घ)मोबाइलनं.	
12.	खान में काययरत खनन इंजीनयर का वर्वरण	(सूचनालसस्टमद्ारातैयारकीजाएगी।प्र रूप'झ'कीप्रविष्ट8और9केसानललं ककीजाएगी।)
13.	खान में काययरत िूर्वज्ञानी का वर्वरण	(सूचनालसस्टमद्ारातैयारकीजाएगी।प्र रूप'झ'कीप्रविष्ट8और9केसानललं ककीजाएगी।)
14.	खान में काययरत प्रबंिक का वर्वरण	(सूचनालसस्टमद्ारातैयारकीजाएगी।प्र रूप'झ'कीप्रविष्ट8और9केसानललं ककीजाएगी।)

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

39

15.	तैनात क्रकये जाने वाले जलयान का वर्वरण	
	(क)जलयानकानाम:	
	(ख)आयाम:	
	(ग)जलयानकारूपवििान:	
	(घ)कॉलसाइन:	
	(ङ)रक्जस्रीकरणकािश:	
	(च)रक्जस्रीकरणकािषा:	
	(ि)तयासभीप्रमाणपत्रिहैं;यदिहां,तोिैिताकीतारीखकेसान्प्रमाणप त्रोंकाब्यौराउपलब्िकराएं:	
	(ज)तयाजलयानकेललएसभीआश्यकमंजूरीप्राप्तकरलीगईहै:	
	(झ)जलयानपरचालकिलकावििरण:	
	(ञ)जलयानपरिज्ञाननकउपस्करऔरमशीनरीकीसूची:	
	(ट)िैज्ञाननकउपस्करप्रचाललतकरनेकेललएजहाजपरमौजूितकनी कीलोगोंकावििरण:	
	(ठ)िहिअधिकजसकेललएजलयानतैनातककयाजाएगा:	
16.	अन्य वर्वरण	
	(क) ऐसे कार्यों को करने के ललए पट्टा क्षेत्र में जलयानों,प्लेटफामा,स्ापनायाककसीअन्धबुननयािीढांचेकीतैना तीकीअधि;तर्ा	
	(ख)पट्टाक्षेत्रकेभौगोललकननिशांकजहांऐसीसंकियाएंकीजानीहैं।	

17.	पत्र संख्या और तारीख कजसके माध्यम से िरतीय खान ब्यूरो द्वारा उत्पादन योजना को मंजूरी दी गई	
स्ान: तारीख:	हस्ताक्षर नाम: पिकानाम:स्िामी/भूविज्ञानी/खननइंजीनयर	

प्ररूप—घ

[ननयम 24(2) देणखए]

(खान अर्वा खान के िांग को पररत्यतत करने के आशय का नोटर्स)

प्ररूप िरने के भलए महत्वपूणय अनुदेश:

- यहप्ररूपसम्यकरूपसेभराहुआ, ननयमकेअीनिवदहतसंबंधितप्राधिकाररयोंकेपास, पररत्यागकी तारीखसेनब्बेदिनकेभीतर, ऑनलाइनयाईमेलकेमाध्यमसेपहुंचजानाचादहए।
- इसेक्षेत्रीयननयंत्रककोभीभेजाजानाचादहए, कजसकेराज्यक्षेत्रीयअधिकाररतामेंपट्टाक्षेत्रआताहै, जैसा अपतटक्षेत्रखननजसंरक्षणऔरिवकासननयम, 2024केननयम66केअीनमहाननयंत्रकद्िरासमय-समयपरअधिसूधचतककयाजाताहै।
- प्ररूपपरसंबंधितव्यक्ततद्िराड्डकजटलहस्ताक्षरकएजानेचादहए।

1.	आईबीएम रक्जस्रीकरण संख्या	
2.	उत्पादन पट्टा कोड	
3.	खान कोड	
4.	खान का नाम	
5.	पट्टेदार/स्वामी का नाम और पता	(सूचनालसस्टमद्िरातैयारकीजाएगी।प्र रूप'च'कीप्रविक्षट4केसानललंककीजाएगी।)
6.	उत्पादन पट्टे (पीएल) का वर्वरण	(सूचनालसस्टमद्िरातैयारकीजाएगी।प्र रूप'च'कीप्रविक्षट5केसानललंककीजाएगी।)
7.	उत्पादन पट्टे का स्ान	(सूचनालसस्टमद्िरातैयारकीजाएगी।प्र रूप'च'कीप्रविक्षट5केसानललंककीजाएगी।)
8.	पत्र संख्या और तारीख कजसके माध्यम से िरतीय खान ब्यूरो द्वारा खान को अनंतम रुप से बंद करने की योजना को मंजूरी दी गई	
9.	पररत्याग की तारीख	
10.	पररत्याग के कारण:	[कृपयाजोभीलागूहोउसेधचक्हतकरें]
	(क)मांगकीकमी	
	(ख)अयस्क/खननजकीसमाक्प्त	
	(ग)गैर-आधर्ाकसंकिया	
	(घ)अन्ध(कृपयाननदिष्टकरें)	
11	यूएनएफसी के अनुसार पट्टा िेत्र में खननज(ओं) के कुल संसांिन (टन में)	
	(क) खननज िंडार	

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

41

	(i)प्रमाणितभंडार(111)	
	(ii)संभावितभंडार(121और122)	
	(ख) शेष संसाधन	
	(i)व्यहयाताखननजसंसाधन(211)	
	(ii)पूर्णा-व्यहयाताखननजसंसाधन(221और222)	
	(iii)मापेगएखननजसंसाधन(331)	
	(iv)संकेततखननजसंसाधन(332)	
	(v)अनुमानतखननजसंसाधन(333)	
	(vi)अभिक्षणखननजसंसाधन(334)	
	(ग) कुल संसाधन (क + ख) (टन)	

12.	खान में काययरत कभमयों की संख्या				
	राष्ट्रीय नागरिक		वैदेशी नागरिक		
		पुरुष	मदहला	पुरुष	मदहला
	कंपनीकालमाक				
	संविधिकालमाक				
	कुल				

टिप्पण: कृपयाननयम30 मेंनदिष्टपैमानेपरमानधचत्र, अनुभागऔरप्रोफाइलसंलग्नकरें, कजसमेंनोदसप्रस्तुतकरनेकेसमयतकखानमेंकएगएकायाकोसटीकरूपसेशियागयाहो, कजसमेंपररत्यतखानयाउसकेभाग, उसकेपहुंचमागोंऔरपयागिरणकीसुरक्षाकेलएपरकल्पतउपायशालमलहों।

संज्ञा:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम:

पिकानाम:स्वामी/भूविज्ञानी/खननइंजीनयर

प्रारूप—ड:

[ननयम28(1) और28(2) मेंखखए]

(खान के अस्वीकृत रूप से बंद करने का नोटिस)

प्रारूप करने के भले महत्वपूर्ण अनुदेश

- सम्यकरूपसेभरागयाहप्रारूपननयमकेअनुसारसंबंधितप्राधिकारयोंकेपास, खानमेंकामकेअस्वीकृत रूपसेबिहोनेकेएकसौबीसिदनोंकेभीतर, ऑनलाइनयाईमेलकेमाध्यमसेपहुंचनाचादहए।यदि कामबिहोनेकाकारणपट्टेदारकेननयंत्रणसेपरेप्राकृतकआपियासरकारीअधिकारकेकारणहै, तोयह सूचनाऐसीघटनाकेपंरहिदनोंकेभीतरऑनलाइनयाईमेलकेमाध्यमसेभेजीजानीचादहए।
- इसेक्षेत्रीयननयंत्रणकोभीभेजाजानाचादहए, कजसकेराज्यक्षेत्रीयअधिकाररतामेंपट्टाक्षेत्रआताहै, जैसा ककअपतटक्षेत्रखननजसंरक्षणऔरविकासननयम, 2024केननयम66केअनिमहाननयंत्रणकद्वारासमय-समयपरअधिसूचितकयाजाताहै।
- प्रारूपपरसंबंधितव्यक्ततद्वाराड्डकजटलहस्ताक्षरकएजानेचादहए।

1.	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2.	उत्पादन पट्टा कोड	
3.	खान कोड	
4.	खान का नाम	

5.	पट्टेदार/स्वामी का नाम और पता	(सूचना लसस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप'च'की प्रविष्ट 4 के सानललंककी जाएगी।)
6.	उत्पादन पट्टे (पीएल) का वर्ण	(सूचना लसस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप'च'की प्रविष्ट 5 के सानललंककी जाएगी।)
7.	उत्पादन पट्टे का सान	(सूचना लसस्टम द्वारा तैयार की जाएगी। प्ररूप'च'की प्रविष्ट 5 के सानललंककी जाएगी।)
8.	असायी रूप से बंद करने की तारीख	
9.	असायी रूप से बंद करने के कारण	[कृपया जो भी लागू हो उसे ध्यानपूर्वक करें]
	(क) मांग की कमी	
	(ख) श्रमकों की अनुपलब्धता	
	(ग) बारिश/चिंत	
	(घ) प्राकृतिक आपा	
	(ङ) परिहर्न अडचन	
	(च) हड़ताल/तालाबंी	
	(ि) संकिया अलाभकारी हो जाना	
	(ज) अन्य कारण (विनंदिष्ट करें)	
10.	खान के पुनः खुलने की संिवर्त तारीख	
सान: तारीख:		हस्ताक्षर नाम: पिकानाम: स्ामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

43

प्ररूप—च

[नियम 48(1) के अंतर्गत]

(खोज संबंधी संक्रिया या उत्पादन संक्रिया करने के लिए नियम 48 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन)

प्ररूप िरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- यदि रजिस्ट्रेशन के बािक कसी भी क्षेत्र में कोई परितान होता है, तो प्ररूप को तिनुसार अद्यतन कया जा सकता है और ननयंत्रक महालेखापरीक्षक को सूचित कया जा सकता है।
- प्ररूप पर संबंधित हस्ताक्षरकता प्राधिकारी द्वारा ड्रडकटल हस्ताक्षर होना चाहिए।

1. आवेदक का प्रकार: (कृपया सही कानन शान लगाएं)

- o सरकार, या सरकारी कंपनी, याननगम
- o संक्रिया संबंधी अधिकारकारिक
- o िारा 5 की उपिारा (1) के परंतु के अंतर्गत प्राधिकृत अलभकरण

2. आवेदक का प्रवगय: (कृपया सही कानन शान लगाएं)

- o व्यक्त
- o व्यवषकों का संगम
- o फमा
- o कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कृत कंपनी

3. कारबार/क्रियाकलाप का प्रकार: बद्धि विकल्प चुननेकी अनुमति

(कृपया नीचे दिए गए विकल्प पर सही कानन शान लगाएं)

- आीक्षणसंकिया
- खोजसंबंधी संकिया
- उत्पादनसंकिया

4. आवेदक का वर्णन:

(कृपया सही का ननशान लगाएं):

सरकार कंपनी || या अन्य ||

(क) व्यक्तगत आवेदक के मामले में (प्रत्येक खान के स्िामी, अलभकता, खनन इंजीनियर या प्रबंधिक शालमल हैं):

(i)	नाम	श्री / श्रीमती. (पहला नाम) / (मध्य नाम) / (अंनतम नाम)
(ii)	खान में क्स्नत (कृपया विकल्प पर सही कानन शान लगाएं)	○ स्िामी ○ अलभकता ○ खनन इंजीनियर ○ प्रबंधिक
		○ भूविज्ञानी
(iii)	पता	(िरिजा संख्या/ त्रबक्लडंगसंख्या/ प्लॉटसंख्या)
	ब्लॉक	(सीटसंख्या / ब्लॉकसंख्या)
	तालुका	
	क्िला	
	राज्य / संघ राज्य िेत्र	
	पिन कोड	
	ई-मेल	
(iv)	टेलीफोन	कार्यालय : फैक्स : ननिसस्ान मोबाईल :
(v)	पैन संख्या	
(vi)	आार संख्या	
(vii)	पासपोर्ट नंबर	

(ख) व्यक्स्टकों के संगम की दशा में:

(i)	संगम का नाम, या हस्तािर करने वाले संगम के प्राधिकारी का नाम संगम	
(ii)	पता	(िरिजा संख्या/ भिनसंख्या/ प्लॉटसंख्या)
	ब्लॉक	(गलीसंख्या / ब्लॉकसंख्या)
	तालुका	
	क्िला	

	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	
	पैन कोड	
	ई-मेल	
(iii)	टेलीफोन	कायालय : फैतस : ननिस : मोबाईल :

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

45

(iv)	सहयोगियों का वर्णन	नाम	पैननंबर	आधार नंबर	नागरिकता	पासपोर्टनंबर
(v)	खान अधिनियम, 1952 की धारा 76 के अंतर्गत नामननटदयष्ट स्वामी का वर्णन	नाम पिकानाम पता फोन नंबर पैननंबर पासपोर्टनंबर			कायालय: ननिस: मोबाईल: ईमेल:	

(ग) फर्म की दशा:

(i)	फमय का नाम					
(ii)	पता	(िरिाजा संख्या/ इमारत संख्या/ प्लॉट संख्या)				
	ब्लॉक	(गली संख्या / ब्लॉकसंख्या)				
	तालुका					
	क्िला					
	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र					
	र्पन कोड					
	ई- मेल					
(iii)	टेलीफोन	कायाालय : फैतस : ननिस : मोबाईल :				
(iv)	फमय में िागीदारों की संख्या	िागीदा र का नाम	पैन नंबर	आार नंबर	नागररकता	पासपोर्टय नंबर

	फमय का प्रकार (धचक्कननत करें)	रक्जस्रीकृत/अरक्जस्रीकृत			
(v)	फमय की रक्जस्रीकरण संख्या (भारतीयभागी ारीअधिननयम, 1932केअीन रक्जस्रीकृत)				
	पैननंबर	टीआईएननंबर		टीएएननंबर	
(vi)	राज्य का नाम जहां रक्जस्रीकृत है				
(vii)	रक्जस्रीकरण की तारीख	(दिन/मास/िषा)			
(viii)	खान अधिननयम, 1952 की िारा 76 के अीन नामननटदयष्ट्ट स्वामी का वर्वरण	नाम			
		पिकानाम			
		पता			
		फोन संख्या	कायालय: ननिस: मोबाईल: ईमेल:		
		पैननंबर			
		पासपोटानंबर			

(घ) कंपनी की दशा:

(i)	कंपनी का नाम					
(ii)	रक्जस्रीकृत पता					
	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र					
	र्पन कोड					
	ई- मेल					
(iii)	टेलीफोन	कायालय : फैतस : मोबाईल :				
(iv)	कंपनी के ननदेशकों का वर्वरण	नाम	पैननंबर	आारनंबर	नागररकता	पासपोटानंबर

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का र्ापित्र : असाधारण

47

--	--	--	--	--	--

(v)	कंपनी की रजिस्ट्रेशन संख्या (कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत)		
		टीएन नंबर	टीआईएन नंबर
(vi)	राज्य का नाम जहां रजिस्ट्रीकृत है		
(vii)	रजिस्ट्रेशन की तारीख	(दिन/मास/वर्ष)	
(viii)	खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 76 के अंतर्गत नामनोटद्वारा स्वामी का वर्णन	नाम	
		पिकानाम	
		पता	
		फोन नंबर	कार्यालय: नमिनास: मोबाईल: ईमेल:
		पैननंबर	
		पासपोर्टनंबर	

(ड) राज्य अनुज्ञप्त वर्णन (अंतर्गत 35 की उपधारा (2) के खंड (पीए) के अंतर्गत केवल राज्य अनुज्ञप्त अंतर्गत के भले)

राज्य अनुज्ञप्त संख्या	कारबारक्षेत्र / कजला	जारी करने की तारीख	(दिन/मास/वर्ष) तक	जारी करने वाला प्राधिकरण	खननजों के नाम

5. कृपया रजिस्ट्रेशन के भले आवेदन करते समय अंतर्गत खानों का ब्यौरा दें, यह कोई हो, या रजिस्ट्रेशन के बाद

व्यक्त/व्यक्तियों के संगम/फर्म या कंपनी द्वारा क्रकए गए क्रकसी अंतर्गत परवतयन के कारण सूचना को अद्यतन करें।

मि. संख्या	खानकानाम	आईबीएम अंतर्गत पट्टा कोड दिया गया	आईबीएम अंतर्गत खानकानाम दिया गया
	पट्टाक्षेत्रका अंतर्गत	पीएलके अंतर्गत अंतर्गत क्षेत्र (अक्षांश और देशांतर समेत मानक ब्लॉकों की संख्या में)	खननजों के नाम
			पी.एल. के रजिस्ट्रेशन की तारीख
			पट्टा की अधि
			से
			तक

खानकोड	एनएचओचाटानं.	क्षेत्रफल कि.मी. ^२	ब्लॉक कोड (१० दिश लिट मी)	तट/ समुद्र	अपत क्षेत्र	ननकटत मतीय स्थान	पानी की गहराई(मीट रमें)	ननकटत मबंरगा ह/ पोटा					

6. कृपया रक्जस्रीकरण के ललए आिेिन करते समय िाररत संयुतत अनुज्ञप्त का ब्यौरा िेे, यदि कोई हो, या रक्जस्रीकरणकेबािव्यक्षक/व्यक्षकोंकेसंगम/फमायाकंपनीद्ारिकएगएकसीभीपररितानकेकारणोंकी सूचनाकोअद्यतनकरें।

अनुज्ञप्त क्षेत्रकास्थान									अनुज्ञप्त केअीन ाररतक्षेत्र (अक्षांश और िशंता रमेंतरा मानक ब्लॉकोंकीसं ख्यामें)	खनन जोंकेनाम	सीीकृत कीतारीख	खोज संबंी अनुज्ञ प्तके ननष्पान कीतारी खसंयुतत अनुज्ञ प्तकाविले ख
आईबीए मद्िा रा दिया गया विलशष्ट संख्या	एनएच ओचाटानं.	क्षेत्रफल कि.मी. ^२	ब्लॉक कोड (१० दिश लिट मी)	तट/ समुद्र	अपत क्षेत्र	ननकटत मतीय स्थान	पानी की गहराई(मीट रमें)	ननकटत मबंरगा ह/ पोटा				

7. यटद खननज आाररत उद्योग के माध्यम से उत्पादन या र्वननमायण में लगे हैं, तो कृपया खननज खपत का र्ववरण दें या रक्जस्रीकरण के पश्चात् क्रकसी िी पररवतयन के कारणों की सूचना को अद्यतन करें।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

49

िमांक	सयतकासरानजहाखननजकाउपयोगककयाजाताह						सयतकाना म	खननज उपयोगकक एगएखननज	औसतखपत प्रनतिषा	दटप्पणी
	गाँि	तालका			अक्षांश (ddmmss)	िशंतांर (ddmmss)				

सत्यापन

मैं, ----- पुत्र/पुत्री/पत्नी ----- आयु -----

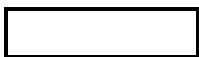
व्यिसाय----- ननिासी -----

----- गाँि/कस्बा/शहरडाकघर-----

पुललसस्टेशन----- तालुका -----

कज़ला----- राज्य-----प्रमाखणतकरताहूँककउपरोततीगईसूचनापूनाहैऔरसहीहै।

स्थान:



हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

आवेदक द्वारा नहीं रिया जाए।
(भारतीय खान ब्यूरो के आंतरिक उपयोग
हेतु)

आईबीएम द्वारा रीगिस्ट्रेशन संख्या:

प्ररूप—छ

[ननयम 48(3)(क) के अंतर्गत
ए]

मास.....20.....

माभसक र्ववरणी

[सभी खनन जो के लल ए उपयोग क क या जाना है]

से रीमें

(i) क्षेत्रीय ननयंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्र,

वपन:

(कृपया क्षेत्रीय ननयंत्रक को संबोधित करें, वजसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में खान आती है, जैसा क अपतट क्षेत्र
खनन संरक्षण और विकास ननयम, 2024 के ननयम 66 के अंतर्गत महाननयंत्रक द्वारा समय-समय पर
अधिसूचित क क या जाता है)।

(ii) प्रशासनिक प्राधिकारी और

(iii) भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी

रीग—1

(सामान्य और श्रम)

(प्रोफाइल अद्यतन करते समय सूचना एक बार री जाएगी)

1. खान का र्ववरण	
(क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आंदतर रजिस्ट्रेशन संख्या (पट्टे री/संरक्षण)	
(ख) खान कोड (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आंदतर)	
(ग) खनन जकाना	
(घ) खान का नाम	
(ङ) उसी खान से उत्पादित अन्धखनन जो के नाम, यदि कोई हो	
(च) अनु रीन का तरीका (नीलामी/आरक्षण):	
(री) नीलामी प्रीलमयम (%)	
(ज) खान का स्ान	
(क) एनएचओ चार्टर	
(ख) क्षेत्र फलिंगा क क मी में	
(ग) खनन जल्लॉक में शालमलमान कल्लॉकों की संख्या	
(घ) ब्लॉक के सीमान निशांक (रिशमलि ड्रिड ग्री में)	
(ङ) तट/ समुर	
(च) अपतट क्षेत्र	
(री) ननकट तम तटीय स्ान	
(ज) पानी की गहराई (मीटर में)	
(झ) ननकट तम रीरगाह/पोटा	

2. पट्टेदार/स्वामी का नाम और पता (फैतस संख्या और ई-मेल सहित):

(क) नाम का पट्टेदार/स्वामी	
(ख) पता	
(ग) कजला	
(घ) राज्य	
(ई) वपन कोड	
(च) फैतस:	
(ि) ई-मेल:	
(ज) फोन:	
(झ) मोबाइल:	

3. मास में संदाय ककए गए ककराए/ रॉयल्टी/ नीलामी प्रीभमयम / ननक्श्त ककराया / अपतर्त िेत्र खननज न्यास के भलए अंशदान / अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के भलए अंशदान का वर्वरण

(I) ककराया चुकायागया (₹)	
(ii) रॉयल्टी चुकायागया (₹)	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

51

(iii) नीलामीप्रीलमयम(₹)		
(iv) तय ककराया चुकायागया (₹)		
(v) ककयागया संिायअपतटक्षेत्रखननजन्दास को (₹)		
(vi) अंतरराष्ट्रीयसमु्रतलप्राधिकरणकोककयागयासंिाय(₹)		
(vii) कोईअन्धसंिाय(₹) (जैसाविननदिष्टहो)		
4.खान में कायय का र्ववरण :		
(i)खानमेंकायादिनोंकीसंख्या:		
(ii) मासकेिौरानखानमेंकायारुकनेकेकारण(हड़ताल, तालाबंिी, भारीिषा, चििात, प्राकृनतकआपिा, श्रलमकोंकीअनुपलब्िता, पररिहनबािा, मांगकीकमी, अलाभकारीसंकियाआदिकेकारण)तर्ाप्रत्येककारणसेकायारुकनेकेदिनोंकीअलग-अलगसंख्यािशाएं।	कारण	दिनोंकीसंख्या

5. औसत दैनिक ननयोजन और कुल वेतन/मजदूरी का संदाय #:

पट्टा िेत्र में	प्रत्यि		सर्वदा		कुल वेतन/मजदूरी (₹)	
	पुरुष	मदहला	पुरुष	मदहला	प्रत्यक्ष	संविा
उत्पािन संकिया में संलग्न						
सहायक कायामें संलग्न						
कुल						

अपतट खान सल पर खान और संलग्न काया शालाया खननज प्रसंस्करण संयंत्र के सभी कमाचाररयों को इसमें शालमलक कयाजाए।

िाग-2 (उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक)

(प्रत्येक खननज के ललए अलग से प्रस्तुत कयाजाए)

(मात्रा की इकाई टन में)

(िाग 2—क)

ननमायण ग्रेड भसभलका रेत, गैर-ननमायण ग्रेड कैल्केररयस रेत,
 कैल्केररयस भमट्टी या चूना भमट्टी, फॉस्फेटर्क तलछर्ट,
 पॉलीमेटर्भलक नोड्यूल, सोना और चांदी के भसवाय सी

खननजों के भलए

(त्रबंिक1, क2औरक3कोभराजानाहै)

क1. उत्पादत खननज का नाम :

(ननमायण ग्रेड भसभलका रेत, गैर-ननमायण ग्रेड कैल्केररयस रेत, चूना भमट्टी, फॉस्फेट तलछट)

क2. उत्पादन , प्रेषण और स्टॉक (टन) :

खननजकाऔसतग्रेड	खानमुखप्रारंभकस्टॉक	उत्पांिन	खान-मुखसेप्रेषण	खान-मुखसमापनस्टॉक

क3. घरेलू प्रयोजनों और ननयायत बबिी/ प्रेषण से प्रिर्वत:

खननज काऔसतग्रेड	प्रेषणकीप्रकृनत	आईबीएम रक्जस्रीकरणसंख्या ##	आईबीएम रक्जस्रीकरणकेअनुसार प्राप्तकताकानाम	प्रेषणकांिश	मात्राटनमें	विियकीमतरुपयेमें
क	ख	ग	घ	ड	च	छ
खननज काऔसतग्रेड	घरेलू					
	स्यिकाउपभोग					
	ननयातकाप्रयोजन					
	कुल				सित:	

खनन जकाऔस तग्रेड	प्रेषण की प्रकृनत	ज . ननयम 48 के उपननयम (6) के अनुसार पट्टा िेत्र से परे कटौती (रु./टन)						vii) अन्धप्रभार (स्पष्टरूपसेनन द्दिाष्टकरें)
क	ख	ज(I)	ज(ii)	ज(iii)	ज(iv)	ज(v)	ज(vi)	ज(vii)
खनन जकाऔस तग्रेड	घरेलू							
	स्यिंद्िा राउपभोग							
	ननयात प्रयोजन							
	कुल							

खननजका औसतग्रेड	प्रेषणकीप्रकृनत
ए	बी
खननज का	घरेलू

पट्टाक्षेत्रसेपरेकुलकटौती H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) रुपये/टन	कुलकटौती रु.	शुद्धिविवियकीमत रु.	संबंधितपक्षत्रिबी / आम्सालेनत्रिबीनहीं (हां/नहीं)
एच	आई=एफ*एच	जे=जीआई	क

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राशिपत्र : असाधारण

53

औसतग्रेड	स्यिंदिराउपभोग				
	ननयातप्रयोजन				
	कुल			कुलयोग	

यदिएकसेअधिकैताहोंतोअलगसेईधगतकरना।

दटप्पण:- खानमाललकोंकोऊपरउक्ल्लखखतप्रत्येकग्रेडकेअयस्ककेललएघरेलूत्रिबीकीमत/एफओबीकीमत
कोचालानकीप्रनतकेसान्प्रमाखणतकरनाआशयकहै (ररटनाकेसान्प्रस्तुतनहींकयाजानाहै; जबभी
आशयकहोप्रस्तुतककयाजानाहै)।

क 4. उत्पादत अयस्क का खान द्वार कीमत (र प्रनत इकाई)

प्रेषणकीप्रकृत (डाटासारणीक3से)	कुलप्रेषणमात्रा (केलिगैर- संबंधितपक्षोंकीत्रिबी)स्तंभ-चसे (टन)	स्तंभ- जसेप्रेषणोंकाशुद्धिविवियककन त(केलिगैर- संबंधितपक्षोंकीत्रिबी) (रु.)	खानद्वारकीमत (रुपये/टन)
	क	ख	ग = ख / क
घरेलू/ननयातत्रिबी			

(िाग 2—ख)

पॉलीमेटेभलक नोड्यूलस, सोना और चांदी के भलए लागू

(त्रबंिुख1, ख2, ख3, ख4, ख5 औरख6 कोभरनाहै)

(प्रत्येक खननजकेललएअलगसेप्रस्तुतककयाजाए)

(टनमेंमात्राकीइकाई)

ख 1. उत्पादत खननज का नाम:**ख 2. आरओएम अयस्क का उत्पादन और स्टॉक:**

खननजकाऔ सतग्रेड	खानशीषामें प्रारंल भकस्टॉक	उत्पािन	खानशीषासेप्रेषण	खानशीषामेंसमापनस्टॉक

ख 3. कंसरेटर/भमल/प्लार्ट में ररकवरी:

प्रारंभिक शेयरी का अयस्क सांद्रक/संयंत्र पर	खान अयस्क प्राप्त से	अयस्क उपचाररत

मात्रा (टन)	िंतु सामग्री/ श्रेणी	मात्रा (टन)	िंतु सामग्री/ श्रेणी	मात्रा (टन)	िंतु सामग्री/ श्रेणी
सांद्र * प्राप्त		अवशेष		सांद्रों का अनंतम स्टॉक सांद्रक/संयंत्र पर	
मात्रा (टन)	िंतु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	िंतु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	िंतुसामग्री/ ग्रेड

*में मामला का कोई लीडिंग तरीका अपनाया, िंने मात्रा बरामि और श्रेणीअलगसेसमादहत।

ख 4. रकवरी पर स्मेल्टर/भमल/प्लांट:

प्रारंभक शेयरों का स्मेल्टर/प्लांटमेंसांर		सांरक/संयंत्रसेप्राप्तसांर		सेप्राप्तसांरता अन्धस्रोत(ननदिष्टकरें)		बचगएसार(यदि कोईहो)	
मात्रा (टन)	िंतुसामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	िंतुसामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	िंतुसामग्री/ ग्रेड	माता (टन)	
उपचाररतसांर		सांरताकेसमापनस्टॉक स्मेल्टर/प्लांट		िंतुएं (*) बरामि (ननदिष्टकरें)		अनयउप-उतपाि, यदि कोईहो, ि बराम	
मात्रा (टन)	िंतु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टन)	िंतु सामग्री/ ग्रेड	माता (टन)	शणी	कीमत(र)	माता (टन) शणी कीमत(र)

(*) कृपयाश्रेणीारब्यौरािंजैसेक्वल्स्टर, आग पररष्कृततांबा, कैर्ोड, विद्युतअपघटनीतांबेकेतारकीिंड़ें, सीसा
लसक्लयां, कजंकैर्ोड, कजंकड्रॉस, सोना, टंगस्टनआदि।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

55

ख 5. मास के दौरान बर्बि :

िंतु/ उत्पाि	िंतुओं/उत्पािों काप्रारंभकस्टॉक		त्रबिकास्रा न	िंतु/बेचेगएउत्पाि (@)			िंतुओं/उत्पािोंकाअनंत मस्टॉक	
	मात्रा (टन)	श्रेणी		मात्रा (टन)	श्रेणी	कीमत(#)(र)	मात्रा (टन)	श्रेणी

दटप्पणी:

(#) कृपयाप्लांटसेत्रबिकीमतबताएं।

(@) कृपयाबेचीगईिंतुओंऔरअन्धउत्पािोंकाश्रेणीारब्यौरािंजें।

ख6. घरेलू प्रयोजनों और ननयायत के भलए की गई बर्बि/प्रेषण:

ग्रेड/ सांर	प्रेषणकीप्रकृत	आईबीएम रक्जसीकरणसं ख्या ##	आईबीएम रक्जसीकर णके अनुसार प्राप्तक ताका नाम	प्रेषणका ेश	मात्राटनमें	त्रिबीकीमतरुपयेमें
क	ख	ग	घ	ड	च	छ
ग्रेड/सांर	घरेलू					
	स्ियंकाउपभोग					
	ननयातप्रयोजन					
कुल					कुल	

ग्रेड/सांर	प्रेषणकी प्रकृत	ज . ननयम 48 के उपननयम (6) के अनुसार पट्टा िेत्र से परे कटौती (रु./टन)						vii) अन्ध प्रभार (स्पष्टरूपसे न नदिष्टकरें)
		I) पररिहन कीलागत						
क	ख	ग	घ	ड	च	छ	ज	झ
ग्रेड/सांर	घरेलू							
	स्ियंका उपभोग							
	ननयात प्रयोजन							
कुल								

ग्रेड/ सांर	प्रेषणकीप्रकृत	पट्टाक्षेत्रसेपरे कुलकटौती H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) रुपये/टन	कुलकटौती रु.	शुद्त्रिबीकी मत रु.	संबंधितपक्ष त्रिबी / आम्सालेंत्रिबीनहीं (हां/नहीं)
क	ख	ज	झ = च * ज	ज = छ झ	क
ग्रेड/सांर	घरेलू				
	स्ियंकाउपभोग				
	ननयातप्रयोजन				
	कुलयोग			कुल	

यदि एक से अधिक ताहों तो अलग से इंधगत करना।

दटप्पण:- खानमाललकोंकोऊपरउक्ल्लखखतअयस्क/सांरकेप्रत्येकग्रेडकेललएघरेलूत्रिबीकीमत/एफओबीकीमत

कोचालानकीप्रनतकेसांन्रमाखणतकरनाआशयकहै (वििणीकेसांन्रस्तुतनहींककयाजानाहै; जबभी
आशयकहोप्रस्तुतककयाजानाहै)।

ख 7. उत्पाटदत अयस्क का खान द्वार कीमत (र प्रनत इकाई)

प्रेषण की प्रकृत (डार्टा सारणी – ख6 से)	कुल प्रेषण मात्रा (केवल गैर संबंधित पार्टी बबी) स्ति - च से (टन)	प्रेषण का शुद् विंय कीमत (केवल गैर संबंधित पार्टी बबी) स्ति - ज से (रु.)	खान के अनतर
--	--	--	-------------

	क	ख	
घरेलू/ननयातत्रिबी			
6. पछले मास की तुलना में मास के दौरान उत्पादन में वृद्धि/कमी/शून्य उत्पादन (यटद कोई हो) के कारण बताएं।			
(क)			
(ख)			
(ग)			
7. पछले मास की तुलना में मास के दौरान ग्रेडवार खान द्वार कीमत में वृद्धि/कमी, यटद कोई हो, के कारण बताएं।			
(क)			
(ख)			
(ग)			
8. टर्टप्पणी/टर्टप्पणी, यटद कोई हो:			

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

57

मैंप्रमाणितकरताहूँककऊपरीगईसूचनासभीप्रकारसेसहीएिपूणाहै।

स्रान:	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम:
	पिकानाम:स्िामी/भूविज्ञानी/खननइंजीननयर

प्ररूप—ज

[ननयम 48(3)(ख) देणखए]

वित्तीयिषा 1अप्रैल, 20____ से 31माचा, 20____ केललए
िावषाकिविरिणी
[सभीखननजोंकेललएउपयोगककयाजानाहै]

सेिामें

- (i) क्षेत्रीयननयंत्रक
भारतीयखानब्यूरो
____ क्षेत्र,
वपन:

(कृपयाक्षेत्रीयननयंत्रककोसंबोधितकरें,
जैसाककअपतटक्षेत्रखननजसंरक्षणऔरिवकासननयम,
समयपरअधिसूधचतककयाजाताहै)।

कजसकेक्षेत्रीयअधिकारक्षेत्रमेंखानआतीहै,
2024केननयम66केअीनमहाननयंत्रकद्िारासमय-

- (ii) प्रशासनकप्राधिकारीऔर
(iii) भारतीयखानब्यूरोकेप्राधिकृतअधिकारी

िाग—1 (सािारण)

1. खान का वर्वरण	
(क)	
भारतीयखानब्यूरोटिाराआंदटवरकसीकरणसंख्या (यटदेिार/ख)	
(ख) खानकोड(भारतीयखानब्यूरोटिाराआंदटत)	
(ग) खननजकानाम	
(घ) खानकानाम	
(ङ) उसीखानसेउत्पादितअन्धखननजोंकानाम, यदिकोईहो	

(च) अनुमानकातरीका (नीलामी/आरक्षण):	
(ि) नीलामीप्रीलमयम(%)	
2. खान का सरान	
(क) एनएचओचाटानं.	
(ख) क्षेत्रफलगाककमीमें.	
(ग) खननजब्लॉकमेंशालमलमानकब्लॉकोंकीसंख्या	
(घ) ब्लॉककेसीमाननिशांक(िशमलिडूडग्रीमें)	
(ङ) तट/ समुर	
(च) अपतटक्षेत्र	
(ि) ननकटतमतटीयस्रान	
(ज) पानीकीगहराई(मीटरमें)	

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

59

(झ) ननकटतमबंरिगाह/पत्तन	
3. पट्टेदार/स्वामी का नाम और पता (फैतस संख्या और ई- मेल सटहत):	
(क) पट्टेार/स्ामीकानाम	
(ख) पता	
(ग) कजला	
(घ) राज्य	
(ई) वपन कोड	
(च) फैतस:	
(ि) ई-मेल:	
(ज) फोन:	
(झ) मोबाइल:	
4. पट्टेदार का रक्जस्रीकृत कायायलय:	
5. प्रिरी ननदेशक:	
6. अभिकताय:	
7. प्रबंिक:	
8. प्रिरी खनन इंजीननयर:	
9. प्रिरी िर्वज्ञानी:	
10. अतरणकता (रपछला सवामी), यटद कोई हो, और अतरण कीतारीख	
11. पट्टा िेत्र का र्ववरण	
(क) भारतीयखानब्यूरोद्ाराआंदटतपट्टासंख्या.....	
(ख) पट्टेकेअीनक्षेत्र(अक्षांशऔरिशांतरऔरमानकब्लॉकोंकीसंख्याअंकोमें):	
(i) प्रनतबद्ि/संरक्षक्षतक्षेत्र	
(ii) गैरप्रनतबद्ि /संरक्षक्षतक्षेत्र	
(iii) कुल	

(ग) उत्पािनपट्टाविलेखकेननष्पािनकीतारीख	
(घ) ननष्पादितउत्पािनपट्टाविलेखकेरक्जसीकरणकीतारीख	
(ङ) पट्टेकीसमाप्तकीतारीख	
12. वषय के अंत में पट्टा िेत्र का उपयोग (अक्षांश औरिशांतर औरमानकब्लॉकोंकीसंख्याअंकोंमें):	
(क) पहलेसेहीिोहनककयागयाऔरपररत्यतत	
(ख) ितामानकामकाजकेअीनसंरक्षककयागया	
(ग) पुनिलालसत	
(घ) अपलशष्टननपटानकेलएउपयोगककयागया	
(ङ) ककसी जलयान, पलटफाम, पनतषठान या ककसी अनय बननयािी असरचनाद्ाराकब्जाकरलयागया	
(च) ककसी अन्धप्रयोजनकेलएउपयोगककयाजाताहै (विननदिष्टकरें)	
(ि) िषिकौरानखानबिकरनकीपगनतशीलयोजनाकिअीनककयागयाकाया	
13. खानकास्िलमत्ि: (सािाजननकक्षेत्र/ननजीक्षेत्र/संयततक्षेत्र)	

िाग—2 (ननयोजन और मजदूरी)

1. खानमेंननयोजतपयािेक्षीकमाचाररयोंकीसंख्या	
वििरण	
(i) खननइंजीननयर	
(ii) भूविज्ञानी	
(iii) सििक्षक	
(iv) अन्धप्रशासननकऔरतकनीकीपयािेक्षीकमाचारी	
कुल:	
2. (क) खानमेंकामकरनेिालेदिनोंकीसंख्या:	
(ख) प्रनतिदनपारीकीसंख्या:	
(ग) िषाकेिौरानखानमेंकामरुकनेकेकारणबताएं (हड़ताल, तालाबंिी, भारीबाररश, चिात, प्राकृनतक आपि, श्रमकीअनुपलब्िता, पररिहनबािा, मांगकीकमी, अलाभकारीसंचालनआदिकेकारण) औरप्रत्येककारककेलएकामरुकनेकेदिनोंकीसंख्याअलग-अलगिशाए।	कारण
	दिनोंकीसंख्या

--	--	--

3. ननयोजन और संदत्त वेतन/मजदूरी #:

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

61

िगीकरण (पट्टाक्षेत्रपर)कीकुलसं ख्या	िषाकेिौरानकामककएग एमानिदििसोंकीकुल संख्या			िषाके िौरान काम ककएगएिद नोंकीसंख्या	ननयोजतव्यक्तत योंकीऔसतिननक संख्या			िषाकेललएकु लमजिरी / ितन (र)
	प्रत्यक्ष	संविाि आारपर	कुल		पुरुष	मदह ला	कुल	
(1)	2(क)	2(ख)	2(ग)	(3)	4(क)	4(ख)	4(ग)	(5)
उतपािन सकियाओ मलगेहुएहैं								
सहायककायामेलगेहु एहैं								
कुल	स्ि:	स्ि:	स्ि:		स्ि:	स्ि:	स्ि:	स्ि:

खानऔरसंलग्नकायाशालायाअपतटखानसूलपरखननजप्रसंस्करणसंयंत्रकेसभीकमाचारर्योंकोशालमल
करना।

िाग-3 (सामग्री की खपत)

1. वषय के दौरान उपिोग की गई सामग्री की मात्रा और लागत			
वििरण	इकाई	मात्रा	कीमत(र)
(i) ईिनि			
(क)कोयला	टन		
(ख)डीजलतेल	लीटर.		
(ग)पेरोल	लीटर.		
(घ)गैस	तयूत्रबकमीटर		
(ii) बबजली			
(क)उपभोगकीगई	कक.िा./घ.		
(ख)सृक्जत	कक.िा./घ.		
(iii) पुजे और िंडार			
2. रॉयल्टी, नीलामी प्रीभमयम, क्रकराया, अपतर्ट िेत्र खननज न्यास के प्रनत योगदान और अंतरायष्ट्रीय समुद्र तल्			

X	ितामानिषाकेलएककयाग यासंियाय	वपिलेिषाकाबकाया संियाय
(क)रॉयल्टी		
(ख)नीलामीप्रीलमयम		
(ह)ननक्श्चतककराया		
(घ)ककराया		
(ड)अपतटक्षेत्रखननजन्दासकोककयागयासंियाय (च)अतराषरीयसमरतलपाधिकरणकोककयागयासाय		
(ि)कोईअन्धसंियाय(र) (जैसाविननदिष्टहै)		
3. अन्य व्यय (र):		
(i)उपररव्यय		
(ii)रखरखाि		
(iii)कालमाकोकोसंित्तअन्धलाभौकामौदरकमूल्य		
(iv)िृतकअलभकरणोंकोककयागयासंियाय		

िाग—4 (सािारण िूर्वज्ञान)

(मि 2 और3 प्रत्येकखननजकेलएअलग-अलगप्रस्तुतकएजानेहैं)

1. खोज संबंधिी

1(i). िषाकेिौरानखोजसंबिीकियाकलाप:

		िषाकी शुरुआतपर	िषाकेिौरान	संचयी	धग्रडररक्तत/आयाम
खोजसंबिी	ग्रेबसेंपललंग(सं.)				
	कोरसेंपललंग(सं.)				
	बार्मेरी (लाइनककमी)				
	सब-बॉटम प्रोफाइललं ग				
	मल्टीबीम बार्मेरी				

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

63

	(क्षेत्रफलिगाककमीमें)				
	भूकंपीयिसेक्षण(लाइनककमी)				

	पयांरण समाघात ननारण(प्राचल)				
	कोईअन्ध(िूरस्रूपसेसंचा ललत िाहन, पानी केनीचेकािीडडयोआदि)				
िेिन	बोरहोलकीसंख्या				
	मीटरेज				
खोजसंबिीपरव्यय(र)					X

1(ii). िषाकेिौरानकोईअन्धखोजसंबिीसंकिया

2. अनुमाननतभंडारऔरसंसािन(टनमें):

विंरण	कोड	नीनतम अनुमोदित उत्पािन योजना, के अनुसारिषाकेआरं भ 1.4.20____ से	िषाके िौरान मूल्यांकन	िषाके िौरान भंडारकीक मी	शेषसंसािन 31.3.20....तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3+4-5)
क. खननज िण्डार					
1.लसद्िखननजभण्डार	111				
2.संभावितखननजभंडार	121				
	122				
3.कुलआरक्षण					
ख. शेष संसािन					
1.खननजसंसािन विहायाता	211				
	221				
2.खननजसंसािनकीपूिंसंभाव्यता	222				
	331				
3.मापेगएखननजसंसािन	332				
4.उपिलशातखननजसंसािन	333				
5.अनुमाननतखननजसंसािन	334				
6.आीक्षणखननजसंसािन					

कुल (क + ख)					
--------------	--	--	--	--	--

3. ड्रेजिंग जलयान का प्रकार:

1. तनात डकजग जलयान की सख्या वर्वरण			कल टदनो की सख्या	ननषकरषत माता (रन)
जलयाना (नाम, िेश, कॉलधचन्ह)				
(i) ड्रेजरकाप्रकार				
(ii) ड्रडज़ाइनकीगईक्षमता/दिन				
(iii) िास्तविकउत्पािनि/दिन				
जलयानII (नाम, िेश, कॉलधचन्ह)				
(i) ड्रेजरकाप्रकार				
(ii) ड्रडज़ाइनकीगईक्षमता/दिन				
(iii) िास्तविकउत्पािनि/दिन				
जलयानIII (नाम, िेश, कॉलधचन्ह)				
(i) ड्रेजरकाप्रकार				
(ii) ड्रडज़ाइनकीगईक्षमता/दिन				
(iii) िास्तविकउत्पािनि/दिन				
कुल :				

4 (i) खननज प्रसंस्करण संयंत्र का वर्वरण, यटद कोई हो: तैनातककएगएउपकरणोंकीप्रकियाक्षमताऔरउसकी उपलब्िताकासंक्षक्षप्तिविरिणिं। (संयंत्रकीफलोशीटऔरसामग्रीसंतुलनअलगसेजमाकरें)

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

65

मि	टन	औसतगड
फीड:		
सार/प्रसंस्कृतउत्पाि :	(नामबताएं)	
उप-उत्पाि/सह-उत्पाि:	(नामबताएं)	
टेललंग:		

िाग—5 (उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक)

(प्रत्येकखननजकेललएअलगसेप्रस्तुतककयाजानाहै)

(मात्राकीइकाईटनमें)

(िाग 5—क)

सी खननजों के भलए लागू, जैसे क्रक ननमायण ग्रेड भसभलका रेत, गैर-ननमायण ग्रेड कैलकेररयस रेत, कैलकेररयसपंक या चूना पंक , फॉस्फेटर्टक तलछर्ट, पॉलीमेटैभलक नोड्यूल, सोना और चांदी के भसवाय

(त्रबंिुक1, क2 औरक3 भरनाहोगा)

क1. उत्पाटदत खननज का नाम:

(खननज— ननमायण ग्रेड भसभलका रेत, गैर-ननमायण ग्रेड कैलकेररयस रेत, चूनाभमट्टी,
फॉस्फेटर्टक तलछर्ट)क2.उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक: [र्टन में]

खननजकाऔसतग्रेड	खान-प्रमुखपरप्रारंभकार्यक	उत्पािन	खानशीषासेप्रेषण	खानशीषापरअंनतमस्टॉक

क3.घरेलू प्रयोजनों और ननयायतों के भलए की गई बबि/प्रेषण:

खननजका औसतग्रेड	प्रेषणकीप्रकृतनत		आईबीएम रकजस्रीकरणसंख्या ##	आईबीएम रकजस्रीकरणकेअनुसार परेवषतीका नाम	प्रेषणकािेश	मात्राटनमें	त्रिबीकीमतरूपयेमें	
क	ख		ग	घ	ड	च	छ	
खननजका औसतग्रेड	िरेलू							
	स्िउपभोग							
	ननयाातकाप्रयोजन							
	कुल					सकलयोग		
खनन जका औसतग्रेड	प्रेषणकीप्रकृतनत	ज. ननयम 48 के उप-ननयम (6) के अनुसार पट्टा िेत्र से परे कटौती (रू./टन)						
		i) पररिहन कीलागत	ii) भराईऔर उतराई प्रभार	iii) रेलि भाड़ा, यदिलागूहो	iv) पोटा हैंडललंगप्रभार /ननयाातप्रभार	v) नमूनाकरणऔर विश्लेषण केललए प्रभार	vi) स्टॉककंगयाडामें प्लॉटकाकराया	vii) अन्धप्रभार (स्पष्टविननीकरें)
क	ख	ज(i)	ज(ii)	ज(iii)	ज(iv)	ज(v)	ज(vi)	ज(v)
खनन जका औसतग्रेड	िरेलू							
	स्िउपभोग							
	ननयाात का प्रयोजन							
	कुल							
खनन जका औसतग्रेड	प्रेषणकीप्रकृतनत		पट्टाक्षेत्रसेपरेकुलकटौतीज(i + ii + iii + iv + v + vi + vii) रू /टनमें		कुलकटौती रू	शुद्ित्रिबीकीमत रू	संबंधितपक्षकीत्रिबी/आम्सालें बिीपरनहीं (हां/नहीं)	
क	ख		ज		झ =च *ज	ञ=छ –झ	र	
खनन जका औसतग्रेड	िरेलू							
	स्िउपभोग							
	ननयाातकाप्रयोजन							
	कुल					कुलयोग		

एकसेअधिकेताहोनेपरअलगसेइंधगतकरें।

दटप्पण:-खानमाललकोंकोऊपरउत्कधतअयस्ककेप्रत्येकग्रेडकेललएधरेलूत्रबीकीमत/एफओबीकीमतको चालानकीप्रनतकेसान्प्रमाखणतकरनाअपेक्षितहै (विीरणीकेसान्जमानहींककयाजानाचादहए; जबभी आश्यकहोप्रस्तुतककयाजानाचादहए)।

क4. उत्पादत अयस्क की खान मुख पर कीमत (प्रनत यूननर्ट रुपये)

प्रेषणकीप्रकृत (ताललकाक3सेडाटा)	कुलप्रेषणमात्रा (के िलगैर- संबंधितपादटायोंकीत्र बी) स्तंभ-चसे (टनमें)		स्तंभ-जसेप्रेषण काशुद्वित्रीबी कीमत(केिलगैर- संबंधितपादटायोंकी त्रबी)। (रू)	खानद्वारकीमत
------------------------------------	---	--	--	--------------

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

67

				(रू/टनमें)
	क		ख	ग = ख/क
धरेलू/ननयातत्रबी				

(िंग 5—ख)

पॉलीमेटेभलक नोड्यूल्स, सोना और चांदी के
भलए लागू

(त्रबंिुख1, ख2, ख3, ख4, ख5 औरख6 कोभरनाहै)

(प्रत्येक खननजहेतुअलगसेभराजाए)

(मात्राकीइकाईटनमें)

ख1. उत्पादत खननज का नाम:

ख2. आरओएम अयस्क का उत्पादन और िंडार

खननजअय स्ककाऔसतग्रेड	खान-मुखपर शुरुआतीभंडार (टनमें)	उत्पािनि (टनमें)	खान-मुखसेप्रेषण (टनमें)	खान-मुखपर समापनभंडार (टनमें)

ख3. सांद्रक/भमल/संयंत्र से पुनःप्राकृत:

सांद्रक/संयंत्र पर अयस्क का प्रारंभिक िंडार		खान से प्राप्त अयस्क		उपचारत अयस्क	
मात्रा (टनमें)	ितु सामग्री/ श्रेणी	मात्रा (टनमें)	ितु सामग्री/ श्रेणी	मात्रा (टनमें)	ितु सामग्री/ श्रेणी
प्राप्त सांद्र *		अवशेष		सांद्रक/संयंत्र पर सांद्रकों का अनंतम िंडार	
मात्रा (टनमें)	ितु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टनमें)	ितु सामग्री/ ग्रेड	मात्रा (टनमें)	ितुसामग्री/ ग्रेड

*यदिलीधचंगिवधिअपनाईगईहेतोपुनःप्राकृतकीमात्राएसामग्रीश्रेणीअलगसेअलभव्यततकरें।

ख4. सांद्रक/भमल/संयंत्र पर पुनःप्राकृत:

सांरक/संयंत्रपरसांरका प्रारंलभकभंडार		सांरक/संयंत्रसेप्राप्तसांर		अन्धस्रोतोंसेप्राप्तसांर (विननदिष्टकरें)		बेचेगएसंर(यदि कोई हो तो)	
मात्रा (टनमें)	िंतुसामग्री/ श्रेणी	मात्रा (टनमें)	िंतुसामग्री/ श्रेणी	मात्रा (टनमें)	िंतुसामग्री/ श्रेणी	मात्रा (टनमें)	िंतुसामग्री/ श्रेणी
		मापनभसयत					
उपचाररतसान्द्र		सा र	डार	िंतुएं (*) बरामि (ननदिष्टकरें)		बरामिअन्धउपोत्पाि, यदि कोई हो	
मात्रा (टनमें)	िंतु सामग्री/ श्रेणी	मात्रा (टनमें)	िंतु सामग्री/ श्रेणी	मात्रा (टनमें)	श्रेणी कीमत(रु)	मात्रा (टनमें)	श्रेणी कीमत(रु)

(*) कृपयाश्रेणीिंरब्यौरािंजैसेक्लस्टर, अक्मपररष्कृततांबा, कैर्ोड, विद्युतअपघटनीतांबेकेतारकीिंड़ें, सीसा
कीलसक्ल्लयाँ, कजंककैर्ोड, कजंकड्रॉस, सोना, टंगस्टनआदि।

ख5. वषय के दौरान बर्बि:

िंतु/ उत्पाि	िंतुओं/उत्पािों का		त्रबिकासा न	त्रबिकीगईिंतुएं/उत्पाि (@)			िंतुओं/उत्पािोंकाअंन तम भंडार	
	मात्रा	श्रेणी		मात्रा	श्रेणी	कीमत(#) (रु)	मात्रा	श्रेणी

दटप्पण:

(#) कृपया संयंत्र-बाहरिवियकीमति।

(@) कृपया त्रबिकीहुईिंतुओं तर्ाअन्य उत्पािों काश्रेणीिंरिवरिणिं।

ख6. घरेलू प्रयोजनों और ननयायत के भलए प्रावी बर्बि/प्रेषण:

श्रेणी/ सांर	प्रेषणकीप्रकृत	आईबीएम रक्जसीकरणसं ख्या ##	आईबीएम रक्जसीकर णकेअनुसार प्राप्तक ताकानाम	प्रेषणकाि ेश	मात्राटनमें	त्रबिकीमतरुप येमें
क	ख	ग	घ	इ	च	छ
औसतश्रेणी/ सांरता	घरेलू					
	स्िपभोग					

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

69

	ननयायत प्रयोजन					
कुल					सकलयोग	
श्रेणी/ सांर	प्रेषण	ज. ननयम 48 के उपननयम (6) के अनुसार पट्टा िेत्र से परे कटौती (रु./टन)				

	की प्रकृत	i) पररिहन कीलागत	ii) माल भराईएउत राई प्रभार	iii) रेलि भाड़ा, यदिलागूहो	iv) बंरिगाह हैंडललंग शुल्क/ननयाा तप्रभार	v) नमूनाकरण और विश्लेषण केललए प्रभार	vi) स्टॉकक गयाडामें प्लॉटकाक कराया	vii) अन्ध प्रभार (स्पष्टरूपसेन नदिष्टकरें)
क	ख	ज(i)	ज(ii)	ज(iii)	ज(iv)	ज(v)	ज(vi)	ज(vii)
औसतश्रेणी/ सांरता	घरेलू							
	स्िपभोग							
	ननयाात प्रयोजन							
कुल								
श्रेणी/ सांर	प्रेषणकीप्रकृत	पट्टाक्षेत्रसेपरेकुलकटौ तीज(i + ii + iii + iv + v + vi + vii) रुपये/टन			कुलकटौती रु.	शुद्त्रिबीकी मत रु.	संबंधितपक्षत्रिबी / आम्सालेंत्रिबीनहीं (हां/नहीं)	
क	ख	ज			झ=च*ज	ज=छ-झ	ट	
औसतश्रेणी/ सांरता	घरेलू							
	स्िपभोग							
	ननयाातप्रयोजन							
	कुलयोग					सकलयोग		

यदिएकसेअधिकिताहोंतोअलगसेइंढगतकरें।

दटप्पण:-

खानमाललकोंकोऊपरउत्कथतअयस्क/सांरकीप्रत्येकश्रेणीकेललएघरेलूत्रिबीकीमत/एफओबीकीमतकोचालानकीप्रनतकेसान्प्र माखणतकरनाअपेक्षक्षतहै (विंरणीकेसान्प्रस्तुतनहींककयाजानाहै; जबभीआश्यकहोप्रस्तुतककयाजानाहै)।

ख7. उत्पाददत अयस्क का खान द्वार कीमत (रुपयेप्रनत इकाई)

प्रेषणकीप्रकृत (डाटासारणी-ख6से)	कुलप्रेषणमात्रा (केिलगैरसंबंधितपाटीत्रिबी) स्तंभ-चसे (टन)	प्रेषणकाशुद्िवििय कीमत(केिलगैरसंबंधितपाटीत्रिबी) स्तंभ-जसे (रु.)	खानद्वार
	क	ख	
घरेलू/ननयाातत्रिबी			

7. पछले वषय की तुलना में वतयमान वषय के दौरान उत्पादन में वृद्धि/कमी/शून्य उत्पादन, यटद कोई हो तो, के कारण बताएं।

(क)	
(ख)	
(ग)	
छल वष की तलना म वतमान वष क दौरान शणीवार खान दवार कीमत म वदधि/कमी, यटद कोई हो तो, क कारण	
(क)	

(ख)	
(ग)	
8. अभ्युक्तत/टर्टप्पणी, यटद कोई हो तो:	

िाग—6: उत्पादन लागत

उत्पादत अयस्क/खननज की प्रनत टन उत्पादन लागत

ि.सं.	मद	लागत प्रनत टन (रुपये में)
(i)	प्रत्यक्ष लागत	
	(क) खोजसंबंिी	
	(ख) उत्पािन	
	(ग) सज्जीकरण	
(ii)	उपररव्यय	
(iii)	मूल्यहास	
(iv)	ब्याज़	
(v)	रॉयल्टी	
(vi)	अपतटक्षेत्रखननजन्दासको ककयागयासंिाय	
(vii)	अंतरराष्ट्रीयसमुत्तलप्राधिकरणकोककयागयासंिाय(यदिलागू	

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

71

ि.सं.	मद	लागत प्रनत टन (रुपये में)
	हो)	
(viii)	कर	
(ix)	ननक्श्त्रतककराया	
(x)	अन्ध (ननदिष्टकरें)	
	कुल	

दटप्पण: भागVI केआिनीगईसूचनागोपनीयरखीजाएगी।हालाँकक,

सरकारफमाकीपहचानबताएत्रबनासामान्धअध्ययनकेललएसूचनाकाउपयोगकरनेकेललएसूिंतत्रहोगी।

सत्यापन

मैं प्रमाखणत करता/करतीहूँककउपरोततसूचनासभीप्रकारसेसहीएिपूणाहै।

स्रान:	हस्ताक्षर
तारीख:	पूरानाम:
	पिनाम:स्िामी/भूविज्ञानी/खननइंजीननयर

प्ररूप—झ

(ननयम 49 देखें)

(कनतपय ननयुक्तत-इस्तीफा-समाक्त्त-पता पररवतयनकी सूचना)

प्ररूप िरने हेतु महत्वपूणय अनुदेश

- यह प्ररूप सम्यक रूप से भरकर, नई ननयुक्तत या ननयोजन से समाक्त्त या नौकरी िोड़ने, अलभकता, खननइंजीननयर, भूविज्ञानीयाप्रबंिकयाकसीअन्धव्यक्ततकेपतेमेंपररितानके पंरहिदनोंकेभीतरऑनलाइनयाईमेलकेमाध्यमसेसंबंधितप्राधिकाररयोंकेपासपहुंचजाना चादहए।

- ii. इसे क्षेत्रीय ननयंत्रक को भी भेजा जाना चाहिए एक जस के राज्य क्षेत्र अधिकार रता में संकिया संबंधी अधिकार आता है, जैसा कक अपतट क्षेत्र खनन ज संरक्षण और विकास ननयम, 2024 के ननयम के अीन महान ननयंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचत कया जाता है।
- iii. प्ररूप संबंधित व्यक्त द्वारा ड्रड जटल रूप में हस्ताक्षर रत होना चाहिए।

66

1.	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या						
2.	संक्रिया संबंधी अधिकार का प्रकार						
	(क) संयुत अनुज्ञप्त						
	(ख) उत्पािन पट्टा						
	(ग) खोज संबंधी संक्रिया						
3.	यूनीक आईबीएम संक्रिया अधिकार संख्या						
	(क) संयुत अनुज्ञप्त						
	(ख) उत्पािन पट्टा कोड						
	(ग) खोज संबंधी संक्रिया/आिक्षण संक्रिया संख्या (केलितारा 5 की उपपारा (1) के उपबंके अीन प्राधिकृत अलभकरणों पर लागू)						
4.	खान कोड						
5.	खान का नाम						
6.	संक्रिया अधिकार िारक का नाम और पता						
	(सूचनाल सस्टम द्वारा तैयार की जाएगी)						
7.	संक्रिया अधिकार का र्ववरण						
	(सूचनाल सस्टम द्वारा तैयार की जाएगी)						
8.	पट्टा/अनुज्ञप्त िेत्र का स्ान						
	(सूचनाल सस्टम द्वारा तैयार की जाएगी)						
9.	कृपया बताएं कक तया ननम्र भलण खत के संबंध में सूचना दी गई है?						
	(क) नई ननयुक्तत						
	(ख) नौकरी से इस्तीफा/समाप्त						
	(ग) पते में ररितान						
10.	अभिकताय/खनन इंजीननयर/िर्वज्ञानी/प्रबंिक की ननयुक्तत की दशा में, कृपया दशायें						
नाम	पिनाम	पता	अहाता	ककस विश्विद्यालय/संस्ान से उत्तीणा	ई-मेल	मोबाइल नं.	ननयुक्तत की तारीख
11.	अभिकताय/खनन इंजीननयर/िर्वज्ञानी/प्रबंिक के त्यागपत्र/ननयोजन की दशायें						
नाम	पिनाम						त्यागपत्र/रोज़गार समाप्त की तारीख

[यदि इस संबंध में कोई रक्तत को भरि दया गया है तो स्तंभ 9(क) में दिया गया विरण यहाँ भरें]

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

12.	अनुज्ञाधिकारी/पट्टेदार/अधिकृत/खनन इंजीनियर/पूर्वज्ञानी/प्रबंिक के पक्ष वस्त्रनत में, कृपया दशायएं		
नाम	पिनाम	ितामानपता	पतेमेंपररितानकीतारीख

क्रकसी िी ननयुक्तत के मामले में, ननयुक्तत व्यक्तत की स्वीकृत ननम्रभलणखत के आार पर प्रदान की जाएगी:
मैं प्रमाणणत करता/करती हूँ क्रक ऊपर दी गई सूचना सी प्रकार से सही एवं पूणय है।

स्ान:	हस्ताक्षर
तारीख:	पूरानाम:
	पिनाम:स्िामी/भूविज्ञानी/खननइंजीनियर

अनुसूची—2

[ननयम48(5)िेखखए]

ननयम 48 के उल्लंघन की दशा में संदाय की जाने वाली रकम

मद	मात्रा (रु. में)	स्पष्टीकरण
(1)	(2)	(3)
मालसक विरिणी प्ररूप-ि में; ननयततारीखतकसूचनाप्रस्तुत नकरना याअिूरी /गलत/झूठीसूचना िेना	ननयममेंविननदिष्टिविरिणीननयततारी खकेबािजमाकरनेपर10,000/- रु. प्रनतदिन, उल्लंघन केसंबिमेंउपांतरणककएजानेतक	भारतीयसूचनाब्यूरोद्ारासंलिभात विरिणी की िशा में खानों के ललए आश्यक सुारों को शालमल करते हुए, पट्टाारकद्ाराककयाजानाहै, और यदि आंदटत समय सीमा के भीतरसुारककयाजाताहैऔरउसके बािभारतीयखानब्यूरोद्ारा सिीकारककयाजाताहै, तोउपांतरण कीइसिअधिकेललएकोईरकमिय नहींहोगी। ऐसेमामलोंमेंउपांतरणनकरनेपर विननदिष्टसंायकरनाहोगा।
िावषाक विरिणी प्ररूप-ज में; ननयततारीखतकसूचनाप्रस्तुत नकरनायाअिूरी/गलत/झूठीसूचना िेना	ननयम में विननदिष्ट विरिणी ननयततारीखकेबािजमाकरनेपर10,000 /- रु. प्रनतदिन, उल्लंघन केसंबिमेंउपांतरणककएजानेतक	

अनुसूची-3

[ननयम 60(2)िेखखए]

ननयम कजनके उल्लंघन पर जुमायना लगाया जाएगा

ननयमसं.	ननयम का सीमांत शीषयक	जुमायने की रकम (रु. में)
(1)	(2)	(3)
ननयम18 काउपननयम(2)	उत्पािनयोजनामेंउपांतरणऔरपुनवालोकन	2,000/- प्रनत दिन, अधिकतम 5,00,000/-तक
21	खोजसंबिीसंकियाएंऔरउत्पािनसंकियाएं	5,00,000/-
22	मशीनरी और संयंत्र	5,00,000/-
23	खानमेंउत्पािनसंकियाओंकेप्रारंभकीसूचना	5,00,000/-
28	खानों में काया के अस्ायी रूप से बंि होने की सूचनातर्ापट्टाारकोंकेिनयति	5,00,000/-
29	खानकोपुनःखोलनेकीसूचना	5,00,000/-
49	कनतपयननयुक्ततयोंकीसूचना	2,000/- प्रनत दिन, अधिकतम 1,00,000/-तक

53	भू-ज्ञाननको और खनन इंजीनियरी काननयोजन	5,00,000/-
----	---------------------------------------	------------

[फा. सं. एम. VI-1/9/2024-खान-VI]

दिनेशमाहुर, संयुततसधचि

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारतकाराजपत्र: असाधारण

75

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2024

G.S.R. 791(E).—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Offshore Areas Mineral

(Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following

rules, namely:—

CHAPTER I**PRELIMINARY**

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
2. **Applicability.**— In accordance with sub-section (1) of section 3, these rules shall apply to all minerals in the offshore areas, except mineral oils and hydrocarbons related thereto.
3. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “abandonment of mine” means the final closure of a mine, either whole or part thereof, when the mineral deposits within the mine or part thereof have been fully extracted or when the production operations thereon have become uneconomic;
 - (b) “Act” means the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003);
 - (c) “authorised officer” means—
 - (i) an officer of the Indian Bureau of Mines duly authorised in writing by the Controller General, Indian Bureau of Mines; or
 - (ii) an officer authorised in this behalf by the administering authority to perform the functions under these rules; or
 - (iii) an officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research authorised in writing by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, to perform the functions under these rules in respect of minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals;
 - (d) “beneficiation” means processing of minerals or ores for the purpose of upgrading the quality, purity or assay grade of the desired product by removing unwanted constituents;
 - (e) “Chief Controller of Mines” means the Chief Controller of Mines of the Indian Bureau of Mines;

- (f) “competent authority” means the competent authority referred to in rule 5 in the case of exploration plan and in rule 14 in the case of production plan;
- (g) “Controller General” means the Controller General of the Indian Bureau of Mines;
- (h) “Controller of Mines” means the Controller of Mines of the Indian Bureau of Mines;
- (i) “cores” means the samples of sub-surface rocks or mineral bearing sediment obtained during drilling of boreholes or sub-surface coring;
- (j) “development” means removal of overburden or unproductive or waste materials as preparatory to production of minerals or mineral bearing sediment;
- (k) “environment” and “environmental pollution” shall have the same meanings as assigned respectively to them in clauses (a) and (c) of section 2 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (l) “final mine closure” means steps and measures taken for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected due to production operations in a mine or part thereof, commencing from cessation of production operations or processing operations in a mine or part thereof;
- (m) “final mine closure plan” means a plan for the purpose of decommissioning and for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected due to production operations in a mine or part thereof, after cessation of production operations and mineral processing operations, that has been prepared in the manner specified in the standard format and guidelines issued by the Indian Bureau of Mines or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research for minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals;
- (n) “Form” means a Form annexed in the Schedule;
- (o) “geologist” means a person appointed by the holder of an operating right to perform the duties of a geologist under these rules;
- (p) “mining engineer” means a person appointed by the holder of an operating right to perform the duties of a mining engineer under these rules;
- (q) “mineral rejects” include all the excavated materials that do not constitute useful material, which may be rejected either on the basis of grade or size;
- (r) “production plan” means the plan referred to in rule 15;
- (s) “progressive mine closure plan” means a progressive plan for the purpose of providing protective measures and enabling the natural rehabilitation of the seabed affected due to production operations in a mine or part thereof that has been prepared in the manner specified in the standard format and guidelines issued by Indian Bureau of Mines or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research for minerals having

grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals;

- (t) “Regional Controller” means the Regional Controller of Mines of the Indian Bureau of Mines;
- (u) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;
- (v) “section” means a section of the Act;
- (w) “temporary discontinuance” means the planned or unplanned suspension of production operations in a mine or part thereof and where the operations are likely to be resumed not earlier than one hundred and twenty days; and
- (x) “year” means the twelve months period beginning from the first day of April and ending on the thirty-first day of March of the following year.

(2) Words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act or the rules made thereunder.

4. Powers and functions of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.—

Throughout

these rules, wherever any power, function or responsibility of the Indian Bureau of Mines or its officers

is specified or any information is to be submitted to the Indian Bureau of Mines or its officers, the same

shall be deemed as power, function or responsibility of the Atomic Minerals Directorate for Exploration

and Research or its officers or requirement of submission of information to the said Directorate or its

officers for minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, in the following manner, namely:—

- (a) any reference to the Indian Bureau of Mines, to be deemed as reference to the Atomic

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

77

Minerals Directorate for Exploration and Research;

- (b) any reference to the Controller General or the Chief Controller of Mines or the Controller of Mines or the Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, to be deemed as reference to the Director or as the case may be, the authorised officer of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

CHAPTER II

RECONNAISSANCE AND EXPLORATION OPERATIONS

5. **Competent authority in respect of exploration plan.**— The Controller General or an officer of the Indian Bureau of Mines, authorised in writing by the Controller General shall be the competent authority to take decisions with respect to approval and modification of an exploration plan.

6. **Exploration plan.**— (1) A preferred bidder or the Government, or a Government company, or a corporation, as the case may be, selected for grant of composite licence, shall submit to the Controller General and, Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, an exploration plan, within a period of ninety days from the date of letter of intent or notification under section 8, as the case may be, indicating the manner in which he proposes to carry out the exploration operations in the area covered under the composite licence.

(1) No exploration operation shall be undertaken by a licensee except in accordance with an exploration plan, which has been approved by the officers specified in rule 5.

(2) The exploration plan shall be prepared in the format as may be specified by the Indian Bureau of Mines from time to time.

(3) The exploration plan shall include following, namely:—

- (a) particulars of the licence area in latitudes and longitudes;
- (b) the scale of the plan and the area of geological mapping;
- (c) details of proposed exploration programme;
- (d) a tentative timeline of exploration operations and yearly plan, including milestones for exploration operations;
- (e) the particulars of the vessels, implements, installations, engines, machines and instruments to be used; and
- (f) any other details of exploration operations specified by the competent authority referred to in rule 5 from time to time.

7. **Preparation of exploration plan.**— Every exploration plan shall be prepared or modified, as the case may be, by a person having the following qualifications and experience:—

- (a) a post graduate degree in Geology or Applied Geology or Geophysics or Marine Geology or any equivalent qualification granted by University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institutions recognised by the University Grants Commission under Section 4 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification granted by any University or institution outside India and recognised by Government of India; and
- (b) professional experience of five years of working in a supervisory capacity in the field of marine mineral exploration after obtaining the degree.

8. **Procedure for approval of exploration plan.**— (1) The exploration plan shall be submitted to the officer specified in rule 5.

(2) Every exploration plan submitted for approval under sub-rule (1) of rule 6 shall be accompanied by such fee as may be specified by the Indian Bureau of Mines.

(3) The competent authority referred to in rule 5 shall dispose of the application for approval of the exploration plan within a period of sixty days from the date of receiving of such application:

Provided that the aforesaid period of sixty days shall be applicable only if the exploration plan is complete in all respects, and in case of any modifications subsequently suggested by the competent authority after the initial submission of the exploration plan for approval, the said period shall be applicable from the date on which such modifications are carried out and submitted afresh to the competent authority.

(4) The competent authority referred to in rule 5 may, by an order in writing, at any time direct modification to the exploration plan submitted under sub-rule (1) of rule 6 or impose such conditions in such plan as it may consider necessary.

9. **Modification of exploration plan.**— (1) An exploration plan, submitted under sub-rule (1) of rule 6 may be modified at any time by the licensee, on geological considerations, or for facilitating increase of efficiency in exploration capacity, or any other reason to be specified in writing by such licensee or as directed by the competent authority referred to in rule 5, as the case may be, during continuance of the exploration operations.

(2) Any modification carried out under sub-rule (1) shall be subject to prior approval of the competent authority referred to in rule 5 and shall be disposed of in accordance with procedure specified in rule 8.

(3) No proposal for modifications to the exploration plan shall be considered by the competent authority referred to in rule 5 after the date falling six months prior to the expiration of the exploration licence of the composite licence.

- 10. Exploration operations to be carried out in accordance with exploration plan.**— Every holder of a composite licence shall carry out the exploration operations in accordance with the approved exploration plan or with such modifications, if any, as provided under rule 9 or as directed by the competent authority.
- 11. Intimation about reconnaissance and exploration operations.**— Every holder of a composite licence shall send an intimation in Form-A of the First Schedule to the—
- (a) Regional Controller, administering authority, authorised officer of the Indian Bureau of Mines, and Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, at least two months in advance about the commencement of exploration operations and reconnaissance operations.
- (b) Chief Hydrographer to the Government of India, for publishing on navigational charts and issue of NAVAREA warning for safety of mariners and local fishermen at sea at least fifteen days before commencing reconnaissance operations and exploration operations.
- 12. Inspection of exploration operations.**— (1) The holder of a composite licence shall allow any authorised officer to examine at any time, the accounts maintained by him and shall furnish to the authorised officer, such information and returns as the authorised officer may require.
- (2) The holder of a composite licence shall also allow any authorised officer to inspect any exploration operations carried on by him including the maps, sections, profiles, core logs and samples generated during the exploration operations.
- 13. Reports to be submitted by holder of composite licence or any other authorised agency.**— (1) Every holder of a composite licence shall submit to the Geological Survey of India, administering

[भागIII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

79

authority, authorised officer of the Indian Bureau of Mines, Regional Controller and any other authorised officer, as the case may be:—

- (a) a yearly report along with yearly progress update in Form-B of the First Schedule within sixty days after the close of the year;
- (b) quarterly progress update in Form-B of the First Schedule within thirty days after the close of the quarter;
- (c) a final report explaining the result of the exploration operations in the form of a geological report prepared under rule 4 of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024; identifying the area suitable for grant of a production lease, if applicable, within six months after completion of exploration operations.
- (2) The format of the reporting under sub-rule (1) shall be specified by the Indian Bureau of Mines.
- (3) Every agency authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5 shall submit to the Geological Survey of India, the administering authority, the authorised officer of the Indian Bureau of Mines and Regional Controller, a yearly report along with yearly progress update in Form-B of the First Schedule so as to reach him within sixty days after the expiry of every twelve months from the date of commencement of reconnaissance operations or exploration operations by such agency.
- (4) In case the reconnaissance operations or exploration operations are abandoned, the report along with Form-B of the First Schedule shall be submitted within a period of thirty days from the date of such abandonment and a copy of the report shall be sent to the Chief Hydrographer to the Government of India.
- (5) While submitting the reports under sub-rule (1), the licensee may specify that the whole or any part of the reports and data submitted by him shall be kept confidential, and the recipients as specified in sub-rule (1) shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided that the Central Government shall have the right to freely use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided further that if the licensee fails to apply for a production lease within the time period stipulated in sub-section (6) of section 12, or if an application for production lease submitted by the licensee is rejected by the Central Government or the administering authority, or upon termination or expiration of the composite licence, or abandonment of operations or surrender of excess area in accordance with the first proviso to sub-rule (7) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024, all reports and data submitted by the said licensee shall become the sole property of the Central Government.

CHAPTER III

PRODUCTION OPERATIONS

14. Competent authority in respect of production plan.— The Controller General or an officer of the Indian Bureau of Mines, authorised in writing by the Controller General shall be the competent authority to take decisions with respect to approval, review and modification of a production plan and with respect to final mine closure plan.

15. Production plan.— (1) No production operations shall be undertaken except in accordance with a production plan, which has been approved, modified or reviewed by the competent authority referred to in rule 14 and in accordance with rules 16,17 and 18.

(2) The production plan shall include the following, namely:—

- (a) the plan of the lease area showing the nature and extent of the mineralised area, spot or spots where the production operations are proposed to be carried out based on the data gathered by the applicant or any other person;
- (b) details of the geology and lithology of the lease area including mineral resources and reserves of the area;
- (c) details of proposed exploration and production programme;
- (d) details of the mechanism of measurement or weighment of extracted minerals, computation of royalty, the point of discharge from the lease area and port of unloading or discharge in India, at which the minerals shall be brought, if any;
- (e) the details of mode of production operation indicating method of production, excavation, drilling, dredging, handling of waste and mineral rejects, use of mineral and beneficiation of minerals, site-services, employment-potential;
- (f) a tentative schedule of production operations and plan for production operations from year to year for five years;
- (g) a tentative estimate about accretion of mine waste and its manner and mode of disposal and confinement;
- (h) manner of mineral processing and mineral upgradation, if any, including mode of tailing disposal;
- (i) a progressive mine closure plan;
- (j) environment management plan indicating baseline information, impact assessment and mitigation measures; and
- (k) any other matter which the Central Government or the Indian Bureau of Mines may require the applicant to provide in the production plan.

(3) The production plan shall be made in accordance with a manual prepared by the Indian Bureau of Mines, in this regard.

16. Preparation of production plan.— (1) Every production plan shall be prepared or modified, as the case may be, by a person having the following qualifications and experience:—

- (a) a degree in mining engineering or a post-graduate degree in geology or Applied Geology or Geophysics or Marine Geology or any equivalent qualification granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institutions recognised by the University Grants Commission under section 4 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification granted by any University or institution outside India and recognised by Government of India; and
- (b) professional experience of five years of working in a supervisory capacity in the field of mining after obtaining the degree.

(2) It shall be the obligation of the lessee to ensure that the production plan is prepared in accordance with the manual prepared by the Indian Bureau of Mines in this regard.

- 17. Procedure for approval of production plan.**— (1) The production plan shall be submitted to the competent authority referred to in rule 14.
- (2) Every production plan submitted for approval under sub-rule (1) shall be accompanied by such fee as may be specified by the Indian Bureau of Mines.
- (3) The competent authority referred to in rule 14 shall dispose of the application for approval of the production plan within a period of ninety days from the date of receiving of such application:

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

81

Provided that the aforesaid period of ninety days shall be applicable only if the production plan is complete in all respects, and in case of any modifications subsequently suggested by the competent authority after the initial submission of the production plan for approval, the said period shall be applicable from the date on which such modifications are carried out and submitted afresh to the competent authority.

- (4) The competent authority referred to in rule 14 may, by an order in writing, at any time direct modification of the production plan or impose such conditions in the production plan as it may consider necessary.

- 18. Modification and review of production plan.**— (1) The production plan once approved shall be subject to review and updation at an interval of every five years starting from the date of execution of the duly executed production lease deed.

- (2) At least one hundred twenty days before the expiry of every five year period specified in sub-rule (1), the lessee shall submit a production plan for production operations for a period of five subsequent years prepared in accordance with rule 16, which shall be disposed of in accordance with rule 17.
- (3) A holder of a production lease may seek modifications in the approved production plan as are considered expedient, keeping in view changes in the business environment, or for facilitating increase of efficiency in production capacity, or in the interest of safe and scientific mining, conservation of minerals, for the protection of environment or geological considerations by such lessee during continuance of the lease or any other reason to be specified in writing by the holder of a production lease.
- (4) In case of modifications to a production plan, the provisions of rule 16 and rule 17 shall *mutatis mutandis* apply.

- 19. Production operations under production lease.**— If the production operations are not carried out in accordance with the approved production plan or any information contained in the production plan is found to be incorrect, misleading or non-compliant with applicable laws including these rules, the competent authority may by order, suspend all or any of the production operations and permit continuance of only such operations as are required for enabling of natural rehabilitation of the seabed affected by such operations in the lease area including any measures as may be specified

by the Central Government from time to time in such regard as envisaged under the approved production plan or modified production plan:

Provided that the lessee shall be informed in writing about the violation and if the violation is not rectified within a period of forty-five days, a show cause notice shall be issued asking reasons why the production operations should not be suspended and, further, if no satisfactory reply is received within a period of thirty days, the production operations shall be suspended:

Provided further that the competent authority may revoke the suspension after compliance by rectifying the violation pointed out in this regard.

- 20. Inspection of production operations.**— (1) The holder of a production lease shall allow any authorised officer to examine at any time, the accounts maintained by him and shall furnish to the authorised officer, such information and returns as the authorised officer may require.
- (2) The holder of a production lease shall also allow any authorised officer to inspect any production operations carried on by him including the core logs and samples generated during the production operations.
- 21. Exploration operations and production operations.**— (1) The exploration operations and production operations shall be carried out in such a manner so as to ensure systematic development of mineral deposits, conservation of minerals and protection of the marine environment.
- (2) The composite licence holder shall carry out exploration as per the norms provided in the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024:
- Provided that the exploration norms shall be specified by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, in respect of atomic minerals.
- (3) The holder of a production lease shall carry out Detailed Exploration [(G1 level)] over the entire potentially mineralised area under the production lease, in the manner specified in the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 or the rules made under section 35 of the Act in relation to minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, as the case may be, within a period of five years from the date of opening of the mine after execution of such production lease.
- (4) For the exploration done under sub-rule (3), the holder of production lease shall submit to the administering authority and the Indian Bureau of Mines, a geological study report prepared in the manner specified in the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, within three months after the completion of the exploration operations.
- (5) The administering authority shall conduct technical audit of geological study report as submitted under this rule for its verification and in case lessee fails to perform his duties as so specified, the administering authority may, after giving the lessee an opportunity of being heard, take such action for enforcing compliance, as it deems fit.
- (6) The sampling of drill cores shall be done for the entire mineralised portion at regular intervals, preferably metre wise or less, in accordance with Part-III of Schedule-I of Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, and chemical analysis for the major radical shall be done for all the samples.
- (7) Mineral resources shall be estimated periodically based on exploration carried out and the resources shall be estimated up to the threshold value of the mineral, as may be notified by Indian Bureau of Mines, from time to time and the updated resources shall be furnished in the review of the production plan at the interval of five years.
- (8) Indian Bureau of Mines shall review the threshold values of minerals periodically in consultation with the stake holders.

- 22. Machinery and plant.**— (1) The holder of a production lease shall maintain log books duly authenticated by its manager or mining engineer in respect of each vessel, survey equipment, sampling equipment, dredger, beneficiation plant, machinery showing date-wise, survey locations including survey lines, sample locations, weather conditions, sea state, account of hours worked,

hours not worked, reasons for non-working, consumption of fuel or energy and lubricants and output of the machine during the corresponding working hours.

(2) The summary of operation of each machine, vessel, equipment and plant as specified in sub-rule (1) shall be recorded in the log book at the end of each month bringing out the percentage availability and percentage utilisation of such machine, vessel, equipment and plant, average hourly performance and average fuel or energy consumption per hour.

(3) The log books shall be maintained in electronic form or in hard copy and shall be made available to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines on demand.

23. Notice for commencement of production operations of mine.— Every holder of a production lease shall send an intimation in Form-C of the First Schedule to the—

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

83

(a) administering authority, authorised officer of the Indian Bureau of Mines, Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence and Chief Hydrographer to the Government of India, as the case may be, at least two months in advance of the commencement of production operations of a mine, which shall be accompanied with a copy of the approved production plan.

(b) Chief Hydrographer to the Government of India, for publishing on navigational charts and issue of NAVAREA warning for safety of mariners and local fishermen at sea at least fifteen days before commencing production operations.

24. Abandonment of mines.— (1) The holder of a production lease shall not abandon a mine during the subsistence of the production lease except with the prior permission in writing of the authorised officer of the Indian Bureau of Mines.

(2)The holder of a production lease shall send to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines a notice in



Form-D of the First Schedule of his intention to abandon a mine so as to reach them at least ninety days before the intended date of such abandonment, which shall be accompanied by maps, sections and profiles on a scale as specified in rule 30 setting forth accurately the work done in the mine up to the time of submission of the notice including the measures envisaged for the protection of the abandoned mine or part thereof, the approaches thereto and the environment:

Provided that the authorised officer of the Indian Bureau of Mines may require the maps, sections and profiles to be prepared on any other suitable scale.

- (3) The authorised officer of the Indian Bureau of Mines, may by an order in writing made before the proposed date of abandonment, prohibit abandonment or allow it to be done with such conditions as he may specify in the order.
- (4) The holder of a production lease shall not abandon a mine unless a final mine closure plan duly approved by the competent authority, is implemented, and for this purpose, the lessee shall be required to obtain a certificate from the authorised officer of the Indian Bureau of Mines to the effect that the lessee has taken all necessary steps, including any measures as may be specified by the Central Government from time to time, for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations in accordance with the final mine closure plan or with such modifications as approved by the competent authority have been carried out before abandonment of mine.
- (5) The holder of a production lease shall continue to be liable to pay for any expenditure over and above the performance security incurred by the administering authority towards protective measures and for taking all necessary steps, including any measures as may be specified by the Central Government from time to time, for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by productions operations in the lease area of the production lease.
- 25. Submission of final mine closure plan.**— (1) Every holder of a production lease shall take steps to prepare final mine closure plan as per the guidelines and format prepared by the Indian Bureau of Mines from time to time.
- (2) The holder of a production lease shall submit a final mine closure plan to the competent authority for approval two years prior to the proposed final mine closure or surrender of the entire or part area of the production lease, accompanied by such fee as may be specified by the Indian Bureau of Mines.
- (3) The competent authority shall convey their approval or refusal of the final mine closure plan within ninety days of the date of its receipt to the holder of the production lease.
- (4) Non-submission of final mine closure plan within the period specified under sub-rule (1) shall attract the forfeiture of performance security.
- 26. The modification of final mine closure plan.**— (1) The holder of a production lease desirous of seeking modifications in the approved final mine closure plan, shall submit to the competent authority for approval setting forth the intended modifications and explaining the reasons for such modifications.
- (2) The competent authority may approve the modifications as submitted under sub-rule (1) or approve with such alterations as he may consider expedient.
- 27. Responsibility of holder of a production lease.**— The holder of a production lease shall have the responsibility to take all necessary steps or measures, including any measures as may be specified by the Central Government from time to time, for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations, in accordance with the approved final mine closure plan, or with such modifications as approved by the competent authority.
- 28. Notice of temporary discontinuance of work in mines and obligations of lessees.**— (1) Subject to the provisions of section 7, the holder of a production lease shall send to the authorised officer of Indian Bureau of Mines, administering authority and the Chief Hydrographer to the Government of India, a notice in Form-E of the First Schedule when the production or mineral processing

operations in the mine or part thereof are discontinued for a period exceeding ninety days so as to reach them within one hundred and twenty days from the date of such temporary discontinuance.

(2) Where the discontinuance takes place as a result of the occurrence of a natural calamity beyond the control of the holder of a production lease or in compliance with any order or directions issued by any statutory authority established under any law in force or any tribunal or a court, a notice shall be submitted to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines within a period of fifteen days of such discontinuance in Form-E of the First Schedule.

(3) During the temporary discontinuation of a mine or part thereof, it shall be the responsibility of the holder of a production lease to—

- (a) comply with the reasonable prohibitive measures to restrict access for unauthorised entry;
- (b) provide protective measures to potentially dangerous sources of electrical and mechanical installations, workings and all other structures;
- (c) ensure that all contaminated effluents are controlled and all physical, chemical, biological monitoring programmes are continued.



- 29. Intimation of reopening of a mine.**– The holder of a production lease shall, at least thirty days prior to reopening of a mine after temporary discontinuance, send to the administering authority, authorised officer of the Indian Bureau of Mines, Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence and Chief Hydrographer to the Government of India an intimation in



Form-C of the First Schedule.

CHAPTER IV**MAPS, SECTIONS AND PROFILES**

30. General requirements about maps, sections and profiles.— (1) Every map, section or profile prepared or submitted in accordance with the provisions of these rules shall—

- (a) show the name of the mine and of the holder of the production lease and the purpose for which the map, section or profile is prepared;
- (b) show the true north or the magnetic meridian and the date of observation;
- (c) show a scale of the map at least twenty-five centimetres long and suitably sub-divided;

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

85

- (d) unless otherwise provided, be on a scale having a representative factor of—

- (i) 1:1,000 or smaller, in case of lease area having up to six standard blocks; and

- (ii) 1:5,000 or smaller in case of lease area having more than six standard blocks:

Provided that the competent authority may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require the maps to be prepared on any other suitable scale;

- (e) be digitally prepared in the format as may be specified by the Indian Bureau of Mines.

(2) The maps, sections and profiles shall be accurate within such limits of error as the Controller General may specify by a general or special order.

(3) The maps, sections and profiles required under these rules shall be maintained up to date showing also the respective proposal of approved production plan for various activities pertaining to that year, within three months.

31. Types of maps, sections and profiles.— (1) The holder of a production lease shall keep the following digitally prepared maps, sections and profiles, namely:—

- (a) a map showing location and number of the marker buoys (if deployed) along with its latitude and longitude values, every morphologic feature of the seabed within the production lease boundaries, telecommunication cable, power transmission line, offshore wind turbine generators, offshore power substations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, dumps and dumping area, marine sanctuaries, disposition of standard blocks, rock outcrops and other workings within the production lease;
- (b) a geological map of the area of production lease showing—
 - (i) bathymetric map with depth contour at not more than one metre interval;
 - (ii) location of sample, sediment distribution, exploration pits, dredge lines, coring or drill core and any other openings made for exploration or production operations;
 - (iii) exploration levels such as G1, G2, G3 and G4 as specified in the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024;
 - (iv) mineral distribution map;
 - (v) sub-bottom sections at vertical scale of 1:500 scale or larger scale to represent the various sediment layers based on seismic survey or sub-bottom profiler survey;
 - (vi) sections showing sedimentological or lithological variation with mineral content based on core samples or drill cores;
 - (vii) standard block-wise mineral estimation with grade at one metre interval sediment thickness.

(2) Maps as specified under clause (b) of sub-rule (1) shall show proposed dredge lines as dotted lines and completed dredge lines as firm lines level-wise;

(3) The workings of each mineral deposit shall be shown on separate map:

Provided that where it is not possible to show the complete boundary of the lease area on the same map, an additional key map on any other suitable scale showing such boundaries and the outline of the workings shall also be maintained.

(4) The holder of a production lease shall keep the following, namely:—

(a) a key plan on a scale of 1:50,000 incorporating the following, namely:—

- (i) a map showing the boundary of the production lease, and the adjoining area preferably within ten kilometres thereof;
- (ii) shoreline and coastal land marks with contours at not more than five metres intervals;
- (iii) places of historical and archaeological importance;
- (iv) protected areas including, marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be notified by the Central Government;
- (v) telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power substations, offshore oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any adjacent port area;
- (vi) recognised sea lanes for the purposes of navigation; and
- (vii) any other relevant features:

Provided that where bathymetry chart is classified as restricted, the particulars referred to in sub-clauses (i) to (vii) shall be incorporated in the key plan to the extent available;

(b) an environment plan of the area of production lease inclusive of the adjoining area within one hundred metres of the boundary of a lease area on 1: 5,000 scale incorporating the following:

- (i) a map showing the boundary of the production lease;
- (ii) contour lines at five metres intervals;
- (iii) all features indicated in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (a);
- (iv) area occupied by mine workings, area covered by dump with the height of the dump, permanent installations (if any), processing plant;
- (v) area for which steps and measures for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations have been undertaken;
- (vi) any other relevant features.

(5) The competent authority may, by an order in writing, require such additional details to be shown on the maps, sections and profiles required to be kept under these rules or the preparation and maintenance of such maps, sections and profiles showing such details and on such scale and within such time as he may specify in the order.

(6) The competent authority may, by an order in writing, require the holder of a production lease to provide him within such time, such maps, sections and profiles thereof, as he may specify in the order.

32. Copies of maps, sections and profiles to be submitted.— The holder of a production lease shall, or before the 30th day of June every year submit to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, administering authority and the Chief Hydrographer to the Government of India, a digital

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

87

copy along with a print copy of the geological maps, sections and profiles maintained under rule 31 along with the annual return.

- 33. Preparation of maps.**— (1) All digitally prepared maps, sections and profiles and print copies thereof kept at the vessel or installation in the lease area wherein production operations are being carried out and shall be suitably indexed.
- (2) All maps, sections and profiles shall be prepared by using Differential Global Positioning System or as may be specified in this regard by the Indian Bureau of Mines.
- (3) Every map, section and profile prepared under these rules shall carry thereon a certificate for its correctness and shall be signed by the mining engineer and geologist with date.
- (4) Every copy of a map, section and profile submitted or maintained under these rules shall bear a reference to the original map, section and profile from which it was copied and shall be certified thereon by the holder of the production lease to be a true copy of the original plan, section and profile.

CHAPTER V

SAFETY MEASURES

- 34. Establishment of no-mining barrier zone.**— (1) A no-mining barrier zone measuring 7.5 seconds shall be kept all along the boundaries of the licence area and the lease area and the licensee or lessee shall not carry out any exploration operations or productions operations within this zone, as the case may be, so as to provide a 15 seconds barrier between two adjacent mineral blocks within the offshore area to ensure safe operations.
- (2) In order to protect the maritime activities near the seashore, the holder of a production lease shall neither carry out any production operations nor release waste material within a distance of one nautical mile from the low tide line of the seashore.
- 35. Safety in respect of vessels.**— The licensee or lessee, as the case may be, shall ensure at all times that—
- (a) all vessels, platform, installation or any other infrastructure deployed or to be deployed for exploration operations or production operations are in good repair, in a safe and sound condition, adequately manned and comply with rule 36;
 - (b) all such vessels, platform, installation or any other infrastructure deployed or to be deployed shall have an appropriate class designation and remain in class for the duration of such operations.
- 36. Compliance with laws, customs and international treaties.**— (1) The licensee or lessee, as the case may be, shall ensure compliance with Indian laws and regulations, laws and customs governing the High Seas and international conventions or treaties to which India is a party including those applicable for the safety of life at sea, prevention of collisions at sea, protection of navigation, aircraft, fishing and fisheries, and treatment of crew members, as well as any applicable rules, regulations, procedures and standards adopted from time to time.
- (2) The licensee or lessee, as the case may be, shall provide copies of valid certificates required under applicable international shipping conventions to the administering authority or any other authorised officer upon such request.
- 37. Safety of personnel.**— The licensee or lessee, as the case may be, shall ensure that—
- (a) all of its personnel, before assuming their duties, have the necessary experience, training and qualifications and are able to conduct their duties safely, competently and in compliance with the applicable rules;
 - (b) an occupational health, safety and environmental awareness plan is put in place to inform all personnel engaged in exploration operations or production operations about the occupational and environmental risks which may result from their work and the manner in which such risks are to be dealt with; and

- (c) records of the experience, training and qualifications of all of its personnel are kept and made available to the administering authority or any other authorised officer upon such request.

38. Emergency preparedness and safety plan.— The Controller General shall issue such further directions as may be required on emergency preparedness, safety measures and any other measure to be implemented by the holder of an operating right.

CHAPTER VI

MARINE ENVIRONMENT

- 39. Sustainable mining.**— (1) Every holder of an operating right shall take all possible precautions for undertaking sustainable mining while conducting exploration operations, production operations or beneficiation in the licence area or lease area, as the case may be.
- (2) Every holder of a production lease shall monitor his production operations and allied activities as per the template of star rating in the format specified in this behalf by the Indian Bureau of Mines from time to time, and shall submit online its self-assessment report before the 1st day of July every year for the previous financial year, to the Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines:
- (3) The confirmation of the star rating may be done by the authorised officer of the Indian Bureau of Mines through inspection.
- 40. Precaution against turbidity and sedimentation.**— Every holder of an operating right shall carry out the exploration operations or production operations, as the case may be, in a manner that minimum disturbance is caused to the seabed and turbidity is maintained within permissible limits, as specified by concerned authority of the Central Government.
- 41. Precaution against air pollution.**— Every holder of composite licence or a production lease shall take all possible measure to keep air pollution due to smoke, emissions (gaseous and particulate), during exploration operations, production operations or beneficiation and related activities within permissible limits.
- 42. Systematic disposal of toxic solid and liquid waste.**— (1) Every holder of an operating right shall take appropriate steps and measures as specified by the Central Government, from time to time, to ensure systematic disposal of solid or liquid waste, including hazardous waste, arising out of exploration operations, production operations, beneficiation or processing operations within the licence area or lease area, as the case may be.
- (2) If the wastes including hazardous wastes generated during exploration operations or production operations can be used economically for construction and other purposes, it may be transported from the licence area or lease area as the case may be, on payment of royalty as specified in the First Schedule of the Act:

Provided that in the event such hazardous waste is required to be dumped, either onshore or offshore as a means of disposal, the holder of the operating right shall take all necessary steps and measures, as may be specified by the Central Government from time to time, to dispose such wastes including hazardous wastes arising out of exploration operations or production operations.

[भागIII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

89

- (3) Every holder of an operating right shall take all necessary precautions to prevent discharge of toxic and objectionable liquid effluents in the offshore areas, especially where beneficiation plant, workshop or any such other facilities are developed within the offshore areas and such effluents should be suitably treated before discharging into sea, if required, to conform to the standards laid down by the Central Government, from time to time, in this regard.
- 43. Precaution against noise.**— The holder of composite licence or a production lease shall take all possible measures to control or abate noise arising out of exploration operations, production operations, or beneficiation at the source so as to keep it within the permissible limits.

- 44. Permissible limits and standards.**— The standards and permissible limits of all pollutants, toxins and noise referred to in rules 40, 41, 42, 43 and 45 shall be such as may be notified by the concerned authorities under the provisions of the relevant laws for the time being in force.
- 45. Protection of marine environment, flora and fauna.**— (1) Every holder of composite licence or a production lease shall carry out exploration operations or production operations, as the case may be, in accordance with applicable laws, international conventions and treaties to which India is a party, and the laws and customs governing the High Seas including those relevant to environmental protection, pollution control and hazardous wastes in such a manner so as to cause least damage to the marine environment, flora and fauna of the area held under composite licence or production lease and the nearby areas.
- (2) Every holder of an operating right shall at all times take all necessary precautions and measures as specified by the Central Government from time to time for—
- (a) preventing pollution of offshore environment;
 - (b) enabling protection of marine environment and living resources especially fishery resources while carrying out exploration operations or production operations.
- (3) The holder of an operating right shall immediately inform the administering authority or authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, in writing about occurrence of any incident which causes or may cause serious harm to the marine environment and the marine life and other marine resources.
- (4) The holder of an operating right shall inform the administering authority, Indian Coast Guard or any other authority as may be specified, in writing about the measures taken for preservation and protection of the maritime environment and for prevention and control of marine pollution.
- 46. Precaution against damage to object of archeological or historical nature.**— The licensee or lessee, as the case may be, shall immediately inform the administering authority or authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, about findings of an object of archeological or historical nature, shipwrecks and its location in the offshore area and such authority shall transmit such information to the Archeological Survey of India, Ministry of Culture or Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as the case may be.
- 47. Emergency orders to safeguard against harm to marine environment.**— The administering authority or authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, shall make emergency orders in the following cases, namely:—
- (a) when such authority has been informed by a licensee or lessee or has become aware of an incident otherwise resulting from or caused by a contractor's activity in an area that has caused or is likely to cause serious harm to the marine environment, such authority shall issue a general notification, direction or order of the incidents, in writing to the licensee or lessee;
 - (b) such authority shall take such immediate measure of temporary nature as are practicable and reasonable in the circumstances, to prevent, contain and minimise any serious harm to the marine environment and duration for measure of temporary nature shall be highlighted in this direction;
 - (c) if the licensee or lessee does not promptly comply with an emergency order or direction relating to marine environment arising out of the activities in the area, such authority shall take by itself or through arrangement with others on his behalf such practical measures as are necessary to prevent contain and minimise any serious harm to the marine environment.

CHAPTER VII

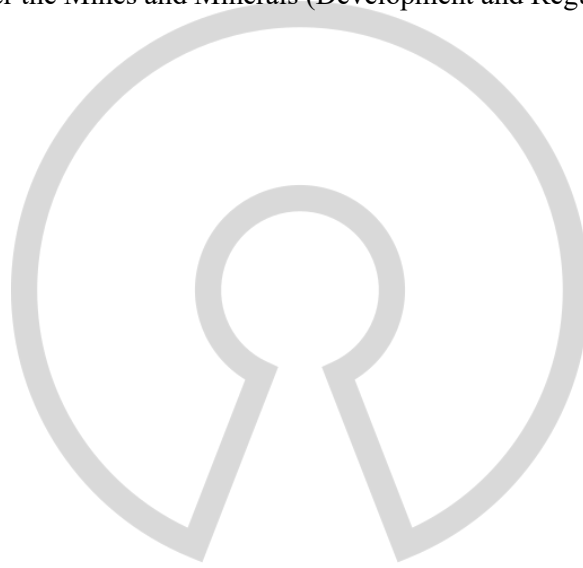
NOTICES AND RETURNS

48. Monthly and annual returns.—(1) The Government, or a Government company, or a corporation selected for grant of a production lease under section 8 or holder of an operating right, as the case may be, shall cause himself to be registered online on the portal provided by Indian Bureau of Mines as per application specified in Form-F of the First Schedule and the registration number so allotted by the Indian Bureau of Mines shall be used for all purposes of online reporting and correspondence connected therewith:

Provided that if the Government, or a Government company, or a corporation selected for grant of a production lease under section 8 or holder of an operating right has previously registered on the online portal provided by the Indian Bureau of Mines in accordance with the provisions of rule 45 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 made under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), such person shall not be required to separately register under this sub-rule subject to updation of their existing registration on such online portal.

(2) Any person or company engaged in trading or storage or end-use or export or import of minerals obtained from offshore areas in accordance with the Act:—

- (a) shall cause himself to be registered online or update his existing registration, as the case may be, on the portal provided by the Indian Bureau of Mines in accordance with the provisions of rule 45 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 made under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);



- (b) shall submit online to the relevant authority the returns in electronic



form digitally signed, in the manner as specified in rule 45 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 made under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(c) if such person or company submits incomplete or wrong or false information in monthly or annual returns or fails to submit a return within the date specified, then such action or inaction of such person or company shall be regulated by the State Government in the manner as specified in rule 45 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 made under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and to that extent the administering authority shall have the right to make recommendations to such State Government regarding the regulation of such person or company.

(3) The holder of production lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional Controller and the authorised officer of the Indian Bureau of Mines in the following manner, namely:—



- (a) a monthly return which shall be submitted before the tenth day of every month in respect of the preceding month in electronic



form digitally signed, in Form-G of the First Schedule; and



- (b) an annual return which shall be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic



[भागII—खण्ड3(i)]

form digitally signed, in Form-H of the First

Schedule:

भारतकाराजपत्र:असाधारण

91

Provided that in the case of abandonment of a mine, the annual return shall be submitted within ninety days from the date of abandonment.

(4) If it is found that the holder of a production lease has submitted incomplete or wrong or false information in monthly or annual returns or fails to submit a return within the date specified; then the Regional Controller or the authorised officer of the administering authority may:—

- (i) order suspension of all production operations and dispatches in the mine and revoke the order of suspension only after ensuring proper compliance;
- (ii) take action to initiate prosecution under these rules;
- (iii) recommend termination of the production lease in case such suppression or misrepresentation of information indicates abetment or connivance of illegal mining.

(5) (i) before taking any action specified under sub-rule (4), the authorised officer, shall issue a show cause notice to the holder of a production lease informing about the violation made under sub-rule (4) and asking reasons as to why action under sub-rule (4) shall not be taken against such holder and shall give thirty days' time for reply and rectification of the violation stated in such notice;

(ii) if such holder of an operating right—

- (a) rectifies the violation stated in the show cause notice and deposit within the said period of thirty days, such amount as specified in the Second Schedule for the period from due date of submission of return till the date of rectification of violation, no further action shall be taken;
- (b) does not provide satisfactory reply or rectify the violation within the said period of thirty days, the production operations and dispatches may be suspended and any action under sub-rule (4) may be initiated;

(iii) the suspension of production operations may be revoked only after the rectification of violation as indicated in the violation-cum-show cause notice and after deposition of such amount as specified in the Second Schedule for the period from due date of submission of return till the date of rectification of violation.

(6) For reporting of monthly and annual return by the holder of a production lease, the terms sale value and ex-mine price shall have the same meaning as assigned to it under Chapter VII of the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024.

(7) If more than one mineral is produced from the same mine, return shall be submitted along with the relevant parts of the specified forms for each mineral separately.

(8) In case of temporary discontinuance of production operations, or suspension of production operations, the holder of a production lease, shall submit return in the specified form for the mineral for which return had been submitted earlier and furnish relevant particulars, inclusive of Nil information, if any.

(9) In case ownership of the mine changes during the reference period, separate returns shall be filed by each owner for the respective periods of ownership.

49. Notice of certain appointments.— The holder of the composite licence or the production lease shall,—

- (a) when any new appointment of an agent, mining engineer, geologist, or any person is made under sub-rule (1) of rule 53; or
- (b) when the employment of any such person is terminated or any such person leaves the said employment; or
- (c) when any change occurs in the address of any such person,

within fifteen days from the date of such appointment, termination, leaving or change in address, give a notice in Form-I of the First Schedule to the authorised officer the Indian Bureau of Mines, as the case may be.

50. Notice of certain events.— Without prejudice to the provisions of the Act or any rules made thereunder or the terms and conditions of an operating right, every holder of such operating right shall immediately inform the administering authority, authorised officer of the Indian Bureau of Mines, Indian Coast Guard, Indian Navy and other concerned authorities, upon occurrence of any of the following events:

- (a) fatality of a person; or
- (b) missing person; or
- (c) medical evacuation; or
- (d) fire or explosion resulting in an injury or major damage or impairment; or
- (e) collision resulting in an injury or major damage or impairment; or
- (f) accident causing loss of life or serious bodily injury in connection with offshore operation; or
- (g) explosion; or
- (h) blowout; or
- (i) major fire; or
- (j) bursting of any pipeline or equipment, piping containing steam, compressed air or other substance whereby safety of persons is likely to be endangered; or
- (k) breakage or fracture or failure of any structure, equipment or system, whereby safety of persons is likely to be endangered; or
- (l) any accident due to explosives or radio-active substances; or
- (m) a collision of a helicopter or vessel with the installation; or
- (n) a helicopter crash; or
- (o) man-overboard; or
- (p) release of toxic and harmful substances whereby safety of persons, installation or marine environment is likely to be endangered; or
- (q) an uncontrolled movement of vessel or object in sea whereby safety of persons onboard the offshore installation or the installation itself could be endangered; or
- (r) any person present onboard an offshore installation or attending vessel or helicopter is found to be missing; or
- (s) significant leak of hazardous substance; or
- (t) unauthorised mining discharge; or
- (u) adverse environmental conditions with likely significant safety and/or environmental consequences; or

- (v) significant threat or breach of security; or
- (w) implementation of emergency response and contingency plan; or
- [भागII—खण्ड3(i)] भारतकाराजपत्र:असाधारण
93
- (x) major impairment or damage compromising the ongoing integrity or emergency preparedness of an installation or vessel; or
- (y) impairment or damage to safety or environmentally critical equipment; or
- (z) significant contact with fishing gear; or
- (za) contact with submarine pipelines or cables; or
- (zb) damage to the structure for mariculture activities and artificial reefs; or
- (zc) any other event as may be specified.

51. Transfer of records to transferees.— When the ownership of a composite licence or a production lease is transferred as per provisions of the Act or any rules made there under, the previous owner or his agent shall make over to the new owner or his agent within a period of seven days of the transfer of the ownership, borehole cores along with records and samples preserved, if any, all maps, sections, profiles, reports, registers and other records maintained in pursuance of the Act, rules or orders made there under, and all correspondence relevant thereto relating to the composite licence or production lease; and when the requirements of these rules have been duly complied with, both previous and the new owners or their respective agents shall forthwith send to the administering authority and the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, a detailed list of borehole cores, maps, sections, profiles, reports, registers and other records that have been transferred.

52. Copies of notices and returns and reports to be maintained.— The holder of a production lease or a holder of a composite licence shall maintain the labour attendance register, production and dispatch register, royalty assessment register, containing—

- (a) details of contribution made to the Offshore Areas Mineral Trust and International Seabed Authority;
- (b) details of payments made to the Central Government in terms of auction premium;
- (c) details of expenditure incurred towards the mine closure activities, bore hole logs along with the chemical analysis reports, mineral analysis reports, sub-grade or mineral reject register along with the grade; and
- (d) details of mining machinery and copies of all notices and returns, maps, sections, profiles and schemes submitted to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines or the administering authority or the Regional Controller under these rules,

at an office established in the area where production or exploration operations are carried on or at the local office as specified under rule 63 and these shall be made available at all reasonable times to the authorised officer of the Indian Bureau of Mines or the administering authority or the Regional Controller, as the case may be, for inspection.

CHAPTER VIII

EMPLOYMENT OF GEOLOGISTS AND MINING ENGINEERS

53. Employment of geologists and mining engineers.— (1) For the purpose of carrying out exploration operations or production operations in accordance with these rules,—

- (a) every holder of composite licence shall employ a whole-time geologist;
- (b) every holder of a production lease shall employ a whole-time mining engineer and a whole-time geologist.

- (2) Notice of such appointment or termination shall be intimated in the monthly and annual return to be submitted under rule 48.
- (3) A geologist or mining engineer employed by the holder of a composite licence or production lease shall possess the qualifications specified below, namely:—
- (a) geologist: A postgraduate degree in Geology or Applied Geology or Geophysics or Marine Geology or any equivalent qualification granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, or a State Act, in India or educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed university under the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification granted by any University or institution outside India and recognised by Government of India;
 - (b) mining engineer: A degree in Mining Engineering or any equivalent qualification granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institution recognised by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification granted by any University or institution outside India and recognised by Government of India.

54. Duties of geologist.— (1) It shall be the duty of the geologist to conduct exploration operations or production operations in accordance with the provisions of these rules.

(2) The geologist referred to in rule 53 shall –

- (a) be responsible for periodic updating of minerals resources, maintenance of borehole cores or samples and borehole logs;
- (b) plan for conservation of mineral resources and optimal utilisation of the minerals and ores in the licence area or lease area;
- (c) work in accordance with the approved exploration plan or production plan and carry out the investigation operation as per such plan;
- (d) prepare the necessary geological maps, sections and profiles which are required to delineate the ore body;
- (e) carry out petrological and mineralogical studies of mineralised zones;
- (f) calculate ore resources and reserves and its grade;
- (g) be responsible for providing all the necessary information required for controlling the quality or grade of the minerals produced;
- (h) maintain proper records of the exploration operations, production operations and records of boreholes as provided under these rules;
- (i) work out the appropriate method of sampling and ensure preparation of samples accordingly;
- (j) maintain all technical data for determining the shape and size of each mineralised zone;
- (k) update the resource and reserve figures, grade-wise and category-wise, standard block-wise at the end of every year in case of a working mine;

- (l) identify the associated minerals and maintain proper records of the stocks of non-saleable or sub-grade ores and minerals produced;
- (m) carry out all such orders and directions as may be given in writing under these rules by the Controller General or the authorised officer of the administering authority and shall forward a copy of all such orders or directions to the holder of the composite licence or production lease, as the case may be.

55. Duties of mining engineer.— (1) It shall be the duty of the mining engineer to take all necessary steps to plan and conduct production operations so as to ensure conservation of minerals, systematic development of the mineral deposits and protection of environment in and around the lease area in accordance with these rules.

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

95

- (2)The mining engineer shall be responsible for the preparation and maintenance of plans, sections, reports and schemes in accordance with these rules.
- (3)The mining engineer shall be responsible for carrying out the study of the associated rocks and minerals, identifying them and storing the various minerals produced separately.
- (4)The mining engineer shall also carry out all such orders and directions as may be given in writing under these rules by the administering authority or the Controller General or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines and shall forward a copy of such orders or directions to the holder of composite licence or the production lease, as the case may be.
- (5)The mining engineer shall ensure that there is sufficient provision of proper materials, appliances and facilities at all times at the mine for the purpose of carrying out the provisions of these rules and orders issued thereunder and where he is not the holder of the production lease, he shall make requisition in writing to the holder of such production lease for anything required for the aforesaid purpose.
- (6)A copy of every requisition referred to in sub-rule (5) shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose, and on receipt of such a requisition, the holder of the production lease shall provide as soon as possible the materials and facilities requisitioned by the mining engineer.

CHAPTER IX

EXAMINATION OF MINERALS AND ISSUE OF DIRECTIVES

56. Power to issue directions.— (1) The holder of an operating right shall comply with such directions providing for systematic development of mineral deposits, conservation of minerals and for sustainable mining as the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, may issue from time to time.

- (2)A copy of the proposed directions to be issued to any particular mine shall be sent by the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, to the holder of an operating right and to the administering authority and any comments received from the holder of such operating right and the administering authority within thirty days of the date of service of the notice, shall be duly considered by him before issuing any such directions.
- (3)General directions applicable to a mine shall be issued by the Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, with the previous approval of the Central Government in consultation with the administering authority.

- 57. Examination of mineral deposits and taking of samples.**— The authorised officer of the Indian Bureau of Mines may examine any mineral deposit in any area under composite licence or production lease and take samples therefrom at any time for the purposes of these rules.
- 58. Prohibition of deployment in certain cases.**— If any mine or part thereof, which in the opinion of the Chief Controller of Mines or the Controller of Mines or the Regional Controller poses a grave and immediate threat to the conservation of minerals or to marine environment or to the sustainable development of the mine, he may, by an order in writing to the holder of an operating right, require him to take such measures as may be specified in the order and may prohibit, until the requirements as specified in the order are complied with to his satisfaction, the deployment of any person other than those required for compliance with the requirement of the order.

CHAPTER X

APPEAL AND PENALTY

- 59. Appeal.**— Any person aggrieved by any order made by any officer in exercise of the powers conferred under these rules may, within three months of the date of communication of the order to him prefer an appeal to the Central Government in accordance with the provisions of Chapter XI of the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024:

Provided that any such appeal may be entertained after the said period of three months if the appellant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within time.

- 60. Penalty.**— (1) Without prejudice to anything contained in the Act, any contravention of rules 6, 7, sub-rule (1) of rule 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, sub-rule (1) of rule 18, 19, 20, 24, 25, 27, 31 to 46, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 67 and 74 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine of fifty lakhs rupees, which may extend to one crore rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to five lakh rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

(2) Without prejudice to anything contained in the Act, any contravention of rules sub-rule (2) of rule 18, 21, 22, 23, 28, 29, 49 and 53 shall be punishable with fine for an amount as specified in the Third Schedule.

(3) Any offence punishable under these rules may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by the person authorised under section 30 of the Act to make a complaint to the court with respect to that offence, on payment to that person, for credit to the Government, of such sum specified in this regard by the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, in respect of minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, as the case may be:

Provided that in case of an offence punishable with fine only, such sum shall not exceed the maximum amount of fine which may be imposed for that offence:

Provided further that where an offence is compounded under these rules, no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be made against the offender in respect of the offence so compounded, and the offender, if in custody, shall be released forthwith.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

- 61. Suspension of operations.**— (1) The administering authority may, if it considers that adequate reasons have been furnished, authorise for periods not on any occasion exceeding six months, suspension of operations relating to composite licence or production lease.
- (2) The administering authority may, if it authorises suspension as aforesaid, impose such conditions as it may think fit for protection of exploration operations or production operations or for protection of mineral resources or for any other purpose whatsoever, the

licensee or the lessee shall comply with such conditions as if, they are incorporated in the composite licence or the production lease:

Provided that administering authority may revoke suspension of operations relating to composite licence or production lease under sub-rule (1) if it is satisfied that the reasons for such suspension cease to exist or the licensee or lessee, as the case may be, has satisfied such conditions as may be stipulated by the administering authority.

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

97

62. Preservation of cores, etc.— (1) Every holder of an operating right and every agency authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5 shall preserve and keep intact, until submission of the final geological report, all cores and specimens of different types of sediments, rocks, minerals and encrustations, obtained during drilling operations and shall arrange for them to be laid out in a serial order with identification marks, showing the progressive depth at which they are obtained.

(2) The administering authority or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, as the case may be, may, by an order in writing, require the holder of the operating right or the agency authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5 to preserve the cores or specimens of sediments, rocks, minerals and encrustations, obtained from specific boreholes or drilling in a specific manner or for any specific period or relax the provisions of this rule to such an extent as they may deem fit.

(3) No cores or samples generated and preserved as per sub-rules (1) and (2) shall be destroyed without the prior permission in writing from the Chief Controller of Mines or the administering authority, as the case may be.

(4) The Geological Survey of India shall be the nodal agency for archiving drill cores at the National Core Repository and at the Regional Drill Core Repositories with suitable indexing and cataloguing.

(5) The Regional Drill Core Repositories shall function as satellites of the National Core Repository.

(6) The holder of an operating right or any other agency authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5 shall adhere to the procedure for preservation and submission of cores as provided in the manual prepared by the Geological Survey of India from time to time and shall preserve the identified borehole cores to be collected by the Geological Survey of India, after completion of all the required studies at the time of submission of the final geological report.

63. Maintenance of local office and designation of nodal officer.— (1) The holder of the operating right shall have a local office in the onshore coastal area near to its lease area or licence area, as the case may be, to maintain record of all documents, filings, reports, data, returns and any other information required to be submitted or maintained by such holder of operating rights under the Act and the rules.

(2) The holder of the operating right shall designate any person under its employment as a nodal officer to be in charge of such local office.

64. Facilities for undertaking research or training.— Every holder of a composite licence or production lease shall provide all facilities for onboard training of Government staff or institutions and shall permit researchers or students of mining, geological and mineral processing institutions approved by the Central Government or the State Government to conduct research or acquire practical training of the mines and plants operated by them and provide all necessary facilities required for such training.

65. Submission of records or reports regarding research in geology or mining or marine science.— (1) Any person, institution or agency carrying on exploration operations or production operations related to any research in geology or mining or marine science or mineral beneficiation, shall inform the administering authority, Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, within a period of thirty days of

commencement of such research related operations, indicating briefly the aspects proposed to be covered under such research together with the name and address of the person, institution, or agency carrying out such research work and the expected duration of the research related operations.

(2) On completion of the said research work, a report describing the observations, analysis and conclusions reached as a result of the said research work shall be submitted to the Director General, Geological Survey of India for geology and marine science related research and to the administering authority, Chief Controller of Mines or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, for mining research within thirty days of its completion.

(3) The authorities referred to in sub-rule (2) shall keep the information provided in the receipt confidential, and if required, the concerned authorities may utilise the said information for general studies, planning or policy making purpose.

(4) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall also apply mutatis mutandis to any agency of the Central Government or State Government carrying out the research work.

66. Territorial jurisdiction of Controller of Mines and Regional Controller.— The Controller General may by a notification in the Official Gazette, specify the limits of the territorial jurisdiction of the Controller of Mines and the Regional Controller for purposes of these rules.

67. Obligation to supply other information.— The holder of an operating right shall furnish such information regarding his exploration operations or production operations or any matter connected therewith as the authorised officer of the Indian Bureau of Mines may require by an order in writing and the information shall be furnished within such time as may be specified in the such order.

68. Provisions of these rules to be applicable to authorised agencies.— The agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5 carrying out exploration operations without a composite licence shall be bound by all the provisions of these rules in the same manner as they are applicable to holders of composite licence.

69. Exercise of powers.— (1) Any power granted under these rules to the Regional Controller may be exercised by the Controller of Mines.

(2) The powers granted to the Controller of Mines can be exercised by Chief Controller of Mines and the powers granted to the Chief Controller of Mines can be exercised by the Controller General.

(3) Any power granted under these rules to an authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research may be exercised by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

70. Saving of Act 33 of 1962.— Nothing in these rules shall affect the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder, in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957).

71. Review of format, templates, returns and manuals.— The Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, may revise or update, at such interval as considered appropriate, after consultation with stakeholders, the formats of the exploration plan, production plan, final mine closure plan and the templates for returns and star rating of mines provided by it.

72. Day of completion of any requirement.— When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next working day.

Explanation.—For the purposes of these rules, the expression “public holiday” includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government.

CHAPTER XII

OFFSHORE MINING REGULATION SYSTEM

73. Offshore mining regulation web portal.– (1) The Indian Bureau of Mines, shall prepare an offshore mining regulation web portal, for implementation and compliance of the provisions of these rules.

(2) All aspects of regulatory functions being undertaken by the Indian Bureau of Mines or the administering authority or the authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, for implementation and compliance of the provisions of these rules shall be recorded in standard process sheets or templates developed for these purposes, and the information in this regard shall be made available on the portal referred to in sub-rule(1):

Provided that access to the commercial information provided in the said web portal shall be so regulated that the information is accessible only by the holder of the operating right concerned, the Controller General, the Central Government, the administering authority, the authorised officer and the administrator of the web portal.

74. Electronic Monitoring System.– (1) The holder of an operating right shall deploy an electronic monitoring system, as specified by the Indian Bureau of Mines, which shall be capable of automatically recording all relevant data relating to exploration operations and production operations, as specified by the Indian Bureau of Mines, including but not limited to accurate tracking of vessels, monitoring of operations in offshore areas and recording of video feed for such operations.

(2) All such data collected under sub-rule (1) shall be furnished to the Indian Bureau of Mines in a manner as may be specified by the Indian Bureau of Mines.

THE FIRST SCHEDULE



FORM-A

(See rule 11)

(Notice of commencement of reconnaissance and exploration operations)**IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM**

- i. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, by online or Email:
 - (a) For commencement of exploration operations and reconnaissance operations, at least two months in advance about the commencement of exploration operations.
 - (b) For publishing on navigational charts and issue of NAVAREA warning for safety of mariners and local fishermen at sea, at least fifteen days before commencing reconnaissance operations and exploration operations.
- ii. This should also be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the operating right falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- iii. The form should be digitally signed by the concerned person.

1.	Type of Operating Rights/Operation	Check which is applicable
	(a) Composite Licence	
	(b) Exploration Operation <i>(only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)</i>	
	(c) Reconnaissance Operations <i>(only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)</i>	
2.	IBM Registration Number	
3.	Unique IBM Operating Right Number	
	(a) Composite Licence	
	(b) Exploration Operation/ Reconnaissance Operations number <i>(only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)</i>	
4.	Name of the mineral or minerals for which reconnaissance operations or exploration operations will be undertaken or for which composite licence has been granted	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>
5.	Name and address of the licensee or agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>
6.	Particulars of Operating Right:	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>
7.	Location of the licence area/ exploration area/ reconnaissance area	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>
8.	Particulars of Geologist and Mining Engineer employed for the licence area/ exploration area/ reconnaissance area	
	(a) Name and address	
	(b) E-mail address	
	(c) Phone Number and Mobile Number	
	(d) Qualification	
	(e) Date of Appointment	
9.	Particulars of vessel to be deployed	
	(a) Name of vessel:	
	(b) Dimensions:	

	(c) Draft of the vessel:	
	(d) Call sign:	
	(e) Country of registration:	
	(f) Year of registration:	
	(g) Whether all certificates are valid; if so, provide particulars of the certificates with date of validity:	
	(h) Whether all required clearances have been obtained for the vessel and personnel:	
	(i) Particulars of crew onboard:	
	(j) List of scientific equipment and machinery onboard:	
	(k) Details of technical people onboard to operate scientific equipment:	
	(l) Period for which the vessel will be deployed	

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

101

10.	Other details	
	(a) period of deployment of vessels, platform, installation or any other infrastructure in the licence area for undertaking such operations: and	
	(b) geographical coordinates of licence area where such operations are to be carried out.	
11.	Date of commencement of exploration operations/ reconnaissance operations	
Place: Date:	<i>Signature</i> Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer	

FORM-B

[See rules 13(1), 13(3),
13(4)]

**(Progress Update Report of the Exploration Operations carried out for
the quarter/ year.....)**

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- i. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, by online or Email:
 - (1) For holder of composite licence:
 - (a) within thirty days after the close of quarter in case of quarterly progress update report;
 - (b) within sixty days after the close of the year in case of yearly progress update report;
 - (c) within the period of thirty days from the date of abandonment of exploration operations.
 - (2) For agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5:
 - (a) within sixty days after expiration of every twelve months from the date of commencement of reconnaissance operations or exploration operations in case of yearly progress update report;
 - (b) within the period of thirty days from the date of abandonment of reconnaissance operations or exploration operations.
- ii. This should also be sent to Regional Controller in whose territorial jurisdiction the operating right falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- iii. The form should be digitally signed by the concerned person.

1.	Type of Operating Rights/Operation	Check which is applicable
	(a) Composite Licence	
	(b) Exploration Operation <i>(only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)</i>	
	(c) Reconnaissance Operations <i>(only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)</i>	
2.	IBM Registration Number	
3.	Unique IBM Operating Right Number	
	(a) Composite Licence	
	(b) Exploration Operation/ Reconnaissance Operations number <i>(only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)</i>	
4.	Name of the mineral or minerals for which reconnaissance operations or exploration operations will be undertaken or for which composite licence has been granted	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>
5.	Name and address of the licensee or agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>
6.	Particulars of Operating Right:	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>
7.	Location of the licence area/ exploration area/ reconnaissance area	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 6 of Form 'F'.)</i>

8.	Status of reconnaissance/exploration operations (Please tick-mark the boxes whichever is applicable)	
	(a) In Progress	Mention start date and end date
	(b) Completed	
	(c) Abandoned	
9.	If reconnaissance/exploration operation is completed or abandoned, date of such completion or abandonment	
10.	Total offshore area covered by reconnaissance/exploration work (in latitude and longitude and in number of standard blocks) as on date	
11.	Reconnaissance/ Exploration work done (A brief description of the work involved along with particulars of the vessels, implements, platform, installations, engines, machines, instruments and any other infrastructure used would be given against each of the following)	
	(a) Regional Survey	
	(b) Detailed survey	
	Latitude and longitude, height and depth of submerged installations, structure (shape and colour), including photographs, details & characteristics of lighted objects, details of top marks/radar transmitter installed, if any.	
12.	Seabed Mapping including area covered and scale of presentation	
	(a) Seabed Mapping	

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

103

	(i) Bathymetry	
	(ii) Sub-bottom profiling	
	(iii) Multibeam bathymetry	
	(iv) Side-scan sonar survey	
	(v) Any other	
	(b) Geophysical survey	
	(i) Seismic survey	
	(ii) Any other	
	(c) Geotechnical investigations	
	(d) Marine environmental studies	
	(e) Geochemical	
	(f) Geological sub-sampling: Number, area of influence, interval meterage and sampling	
	(g) Nature and structure of the ore body	
	(h) Analysis of the ores or minerals	
13.	Completion of reconnaissance/ exploration work during the year	
14.	(a) Seabed samples	
	(i) Number of grab samples	
	(b) Seabed Core Sampling	
	(i) Number of Gravity / Vibro cores	
	(ii) Length (metres) Average: Maximum: Minimum:	
14.	(c) Drilling	During the quarter
		Till Date

	(i) Number of boreholes completed					
	(ii) Meterage drilled (metres)					
14.	(d) Particulars of drilling machines					
	Type	Make	Capacity	Number of drill		
14.	(e) Exploratory mining, if any	During the quarter	Till Date			
	(i) Number of dredgers					
	(ii) Total area dredged (sq. kms)					
	(iii) Quantity of ore produced with grade					
14.	(f) Number of samples analysed	During the quarter	Till Date			
	(i) Number of samples analysed					
	(ii) Number of main constituent (please specify) (Chemical)					
	(iii) Number of complete analysis (Chemical/Atomic Absorption Spectroscopy)					
	(iv) Number of sedimentological studies					
	(v) Number of Petrography/ Petrological studies/ Mineralogical studies					
	(vi) Number of geotechnical properties					
15.	Number of personnel employed in the licence area/ exploration					
		Indian national		Foreign National		
		Male	Female	Male	Female	
	Company personnel					
	Contract personnel					
	Total					
16.	If abandoned					
	(a) Date of abandonment					
	(b) Reasons for abandonment					

Note: Please enclose a yearly geological report in accordance with format as specified in Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 describing the reconnaissance operations or exploration operations undertaken.

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer

FORM-C(See rules 23 and
29)**(Notice of intimation of commencement of production operations of mine /
reopening of mine)****IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM**

- i. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, by online or Email:
- (a) For commencement of production operations of mine, at least two months in advance of the commencement of production operations of mine; or
- (b) For publishing on navigational charts and issue of NAVAREA warning for safety of mariners and local fishermen at sea, at least fifteen days before commencing production operations.
- (c) For intimation of reopening of a mine, at least thirty days prior to reopening of mine.
- ii. This should also be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the operating right falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- iii. The form should be digitally signed by the concerned person.

1.	IBM Registration Number	
2.	Production Lease Code	
3.	Mine Code	
4.	Name of mine	
5.	Name and address of the lessee/owner	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'F')</i>
6.	Date of commencement of production operations of mine / reopening of mine	
7.	In case of reopening, date of discontinuation	
8.	Particulars of the Production Lease (PL)	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 5 of Form 'F')</i>
9.	Location of the lease area	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 5 of Form 'F')</i>
10.	Name and address of previous owner if any and the date of abandonment of Mine	
	(a) Name	
	(b) Address	
	(c) E-mail	
	(d) Mobile no.	
	(e) Date of abandonment	
11.	Name and address of Agent of Mine	
	(a) Name	
	(b) Address	
	(c) E-mail	
	(d) Mobile no.	
12.	Particulars of Mining Engineer employed in the mine	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 8 and 9 of Form 'T')</i>
13.	Particulars of Geologist employed in the mine	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 8 and 9 of Form 'T')</i>

14.	Particulars of Manager employed in the mine	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 8 and 9 of Form 'I')</i>
15.	Particulars of vessel to be deployed	
	(a) Name of vessel:	
	(b) Dimensions:	
	(c) Draft of the vessel:	
	(d) Call sign:	
	(e) Country of registration:	
	(f) Year of registration:	
	(g) Whether all certificates are valid; if so, provide particulars of the certificates with date of validity:	
	(h) Whether all required clearances have been obtained for the vessel:	
	(i) Particulars of crew onboard:	
	(j) List of scientific equipment and machinery onboard:	
	(k) Details of technical people onboard to operate scientific equipment:	
	(l) Period for which the vessel will be deployed:	
16.	Other details	
	(a) period of deployment of vessels, platform, installation or any other infrastructure in the lease area for undertaking such operations: and	
	(b) geographical coordinates of lease area where such operations are to be carried out.	
17.	Letter No. and date through which the production plan was approved by the Indian Bureau of Mines	
Place: Date:	<i>Signature</i> Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer	

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

107

FORM-D[See rule
24(2)]

(Notice of intention of abandonment of mine or part of the mine)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- i. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within ninety days before the intended date of abandonment, by online or Email. ii. This should also be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the lease area falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- iii. The form should be digitally signed by the concerned person.

1.	IBM Registration Number				
2.	Production Lease Code				
3.	Mine Code				
4.	Name of mine				
5.	Name and address of the lessee/owner				
6.	Particulars of the Production Lease (PL)				
7.	Location of the Production Lease				
8.	Letter No. and date through which the Final Mine Closure plan was approved by the Indian Bureau of Mines				
9.	Date of abandonment				
10.	Reasons for abandonment:				
	(a) Lack of demand				
	(b) Exhaustion of ore/mineral				
	(c) Un-economic operations				
	(d) Other (Please specify)				
11.	Upto date Total Resources of Mineral(s) in lease area (in tonne) as per UNFC				
	(a) Mineral Reserve				
	(i) Proved Reserve (111)				
	(ii) Probable Reserve (121 and 122)				
	(b) Remaining Resources				
	(i) Feasibility Mineral Resources (211)				
	(ii) Pre-Feasibility Mineral Resources (221 and 222)				
	(iii) Measured Mineral Resources (331)				
	(iv) Indicated Mineral Resources (332)				
	(v) Inferred Mineral Resources (333)				
	(vi) Reconnaissance Mineral Resources (334)				
	(c) Total Resources (a + b) (tonnes)				
12.	Number of personnel employed in the mine				
	Indian national		Foreign National		
	Male	Female	Male	Female	
	Company personnel				
	Contract personnel				
	Total				

Note: Please enclose maps, sections and profiles on a scale as specified in rule 30 setting forth accurately the work done in the mine up to the time of submission of the notice including the measures envisaged for the protection of the abandoned mine or part thereof, the approaches thereto and the environment.

Place: Date:	Signature Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer
-----------------	--

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

109



FORM-E

[See rule 28(1) and 28(2)]

(Notice of temporary discontinuance of mine)**IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM**

- i. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within one hundred and twenty days of temporary discontinuance of work in the mine, by online or Email. If the discontinuance is due to natural calamity beyond the control of the lessee or Government Orders, this notice shall be sent within fifteen days of such occurrence, by online or E-mail.
- ii. This should also be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the lease area falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- iii. The form should be digitally signed by the concerned person.

1.	IBM Registration Number	
2.	Production Lease Code	
3.	Mine Code	
4.	Name of mine	
5.	Name and address of the lessee/owner	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'F'.)</i>
6.	Particulars of the Production Lease (PL)	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 5 of Form 'F')</i>
7.	Location of the Production Lease	<i>(Information will be system generated. Linked with Entry 5 of Form 'F')</i>
8.	Date of temporary discontinuance	
9.	Reasons for temporary discontinuance	<i>[Please tick whichever is applicable]</i>
	(a) Lack of demand	
	(b) Non-availability of labour	
	(c) Rains/ Cyclone	
	(d) Natural Calamity	
	(e) Transport bottleneck	
	(f) Strike/Lockout	
	(g) Operations becoming un-economic	
	(h) Other reasons (specify)	
10.	Probable date of re-opening of the mine	
Place: Date:		Signature Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer

FORM-F

[See rule 48(1)]

**(Application for registration under rule 48 for undertaking
exploration operations or production operations)**

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM



- i. If there is any change after registration in any of the fields, the



form may be updated

accordingly and informed to the Controller General.

- ii. The form should be digitally signed by the concerned signing authority.

1.Type of applicant: (Please tick mark below)

- ☐ The Government, or a Government company, or a Corporation
- ☐ Holder of operating right
- ☐ Agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5

2.Category of applicant: (Please tick mark below)

- ☐ Individual
- ☐ Association of individuals
- ☐ Firm
- ☐ Company registered under Companies Act

3.Type of business/activity: (Please tick mark options given below, multiple options permitted)

- ☐ Reconnaissance Operations
- ☐ Exploration Operations
- ☐ Production Operations

4.Details of the applicant:

(Please tick mark: **Government Company** ☐ or **Others** ☐)

(a)In case of individual applicant (includes owner, agent, mining engineer or manager of every mine):

(i)	Name	Shri / Smt. (First name) / (Middle name) / (Last name)
(ii)	Position in mine (please tick mark the option)	☐ Owner ☐ Agent ☐ Mining engineer ☐ Manager
(iii)	Address	(Door number/ building number/ plot number)
	Block	(street number / block number)
	Taluka	
	District	
	State / U.T	
	Pin code	
	E-mail	
(iv)	Telephone	Office : Fax : Residence : Mobile
(v)	PAN number	

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

111

(vi)	AADHAR number	
(vii)	Passport number	

(b)In case of association of individuals:

(i)	Name of Association, or name of the Signing authority of association	
(ii)	Address	(Door number/ building number/ plot number)
	Block	(street number / block number)
	Taluka	
	District	
	State / U.T	

		Pin code				
		E-mail				
(iii)		Telephone		Office : Fax : Residence : Mobile		
(iv)	Details of Associates	Name	PAN number	Aadhar Number	Citizenship	Passport number
(v)	Details of nominated owner under section 76 of the Mines Act, 1952	Name				
Designation						
Address						
Phone no		Office: Residence: Mobile: E-mail:				
PAN no.						
Passport no.						

(c) In case of a Firm:

(i)		Name of Firm				
(ii)		Address		(Door number/ building number/ plot number)		
		Block		(street number / block number)		
		Taluka				
		District				
		State / U.T				
		Pin code				
		E-mail				
(iii)		Telephone		Office : Fax : Residence : Mobile		
(iv)	Details of partners in the Firm	Name of partner	PAN number	Aadhar Number	Citizenship	Passport number
	Firm Type (Tick)	Registered/Unregistered				
(v)	Registration number of Firm (as registered under Indian Partnership Act, 1932)					
	PAN No.	TIN No.			TAN No.	
(vi)	Name of the State where registered					
(vii)	Date of registration	(dd/mm/yyyy)				
(viii)	Details of nominated owner under section 76 of the Mines Act, 1952	Name				
Designation						
Address						
Phone number		Office: Residence: Mobile: E-mail:				
PAN No.						

		Passport No.	
--	--	--------------	--

(d)In case of a company:

(i)	Name of Company					
(ii)	Registered Address					
	State / U.T					
	Pin code					
	E-mail					
(iii)	Telephone	Office : Fax : Mobile :				
(iv)	Details of Directors in the Company	Name	PAN number	Aadhar Number	Citizenship	Passport number
(v)	Registration number of Company (as registered under Companies Act,					
		TAN No.			TIN No.	

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण
113

(vi)	Name of the State where registered					
(vii)	Date of registration	(dd/mm/yyyy)				
(viii)	Details of nominated owner under section 76 of the Mines Act, 1952	Name				
		Designation				
		Address				
		Phone no	Office:			
			Residence:			
			Mobile:			
			E-mail:			
		PAN no.				
		Passport no.				

(e)State Licence Details (only for a State License Holder under clause (pa) of sub-section (2) of section 35

State License No.	Area of Business/District	Date of Issue	Valid upto(dd/mm/yyyy)	Issuing Authority	Name of Minerals

5.Please give details of mines held at the time of applying for registration if any, or update the information due to any changes after registration, by the Individual/ Association of Individuals / Firms or Company.

Sl. No.	Name of the mine	Lease Code assigned by IBM	Mine code assigned by IBM
	Location of lease area	Area held under	Name of
			Date of
			Period of Lease

									PL (in latitude and longitude and in number of standard)	Minerals	Registration of PL	From	To
Mine Code	NHO Chart No	Area in sq. kms.	Boundary coordinate s of the block (in Decimal degree)	Coast/ Sea	Offshore Region	Nearest Coastal Location	Water depth (m)	Nearest Harbour/ Port					

6. Please give details of composite licence held at the time of applying for registration, if any, or update the information due to any changes after registration, by the Individual/ Association of Individuals / Firms or Company.

Location of licence area									Area held under composite licence (in latitude and longitude and in number of standard)	Name of Minerals	Date of grant	Date of execution of Exploration Licence Deed of Composite Licence
Unique Number assigned by IBM	NHO Chart No	Area in sq. kms.	Boundary coordinates of the block (in Decimal)	Coast/ Sea	Offshore Region	Nearest Coastal Location	Water depth (m)	Nearest Harbour/ Port				

7. If engaged in production or manufacturing through a mineral based industry, please give details of mineral consumption or update the information due to any changes after registration.

Sr.No.	Location(s) of plant where mineral is used							Name of the plant	Mineral consumed	Average consumption per year	Remarks
	Village	Taluka	District	State	Latitude (ddmmss)	Longitude (ddmmss)					

VERIFICATION

I, ----- S/o / D/o / W/o ----- age ----- occupation ----- resident of -----
----- village/town/city post office ----- police station ----- taluka -----
district ----- state ----- certify that the information furnished above is complete and
correct in all respects.

Place:

Signature:

Date:

Name in full:

**Not to be filled by the applicant
(For internal use of the Indian Bureau of
Mines)**

Registration Number assigned by IBM:

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारतकाराजपत्र: असाधारण

FORM-G[See rule
48(3)(a)]

For the month of __ 20

MONTHLY RETURN

[To be used for all minerals]

To

- (i) The Regional
Controller
Indian Bureau of
Mines
_____ Region,
PIN:

(Please address to Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mine falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024).

- (ii) administering authority and
(iii) Authorised officer of the Indian Bureau of
Mines

PART – I**(General and Labour)**

(information to be filled one-time while updating the
profile)

1. Details of the Mine	
(a) Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (to give registration number of the Lessee/	
(b) Mine Code (allotted by Indian Bureau of Mines)	
(c) Name of the Mineral	
(d) Name of Mine	
(e) Name(s) of other mineral(s), if any, produced from the same mine	
(f) Mode of grant (Auction/ reservation):	
(g) Auction Premium (%)	
(h) Location of the Mine	
(a) NHO Chart No.	
(b) Area in sq. km.	
(c) Number of standard blocks included in the mineral block	
(d) Boundary coordinates of the block (in Decimal degree)	
(e) Coast/ Sea	
(f) Offshore Region	
(g) Nearest Coastal Location	
(h) Water depth (m)	
(i) Nearest Harbour/ Port	
2. Name and address of Lessee/ Owner (along with fax no. and e-mail):	
(a) Name of Lessee/Owner	
(b) Address	
(c) District	
(d) State	
(e) PIN Code	
(f) Fax no:	

(g) E-mail:											
(h) Phone No:											
(i) Mobile:											
3. Details of Rent/ Royalty/Auction Premium/ Fixed Rent/ Contribution towards Offshore Areas											
(i) Rent paid (₹)											
(ii) Royalty paid (₹)											
(iii) Auction Premium (₹)											
(iv) Fixed Rent paid (₹)											
(v) Payment made to the Offshore Areas Mineral Trust (₹)											
(vi) Payment made to the International Seabed Authority (₹)											
(vii) Any other payment (₹) (as specified)											
4. Details on working of mine:											
(i) Number of days the mine worked:											
(ii) Reasons for work stoppage in the mine during the month (due to strike, lockout, heavy rain, cyclone, natural calamity, non-availability of labour, transport bottleneck, lack of demand, uneconomic operations, etc.) and the number of days of work stoppage for each reason separately.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reasons</th> <th>No. of days</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Reasons	No. of days								
Reasons	No. of days										

5. Average Daily Employment and Total Salary/Wages paid #:

At the lease area	Direct		Contract		Total Salary/Wages (₹)	
	Male	Female	Male	Female	Direct	Contract
Engaged in production						
Engaged in supporting						
Total						

To include all employees exclusive to the mine and attached workshop or mineral processing plant at the offshore mine site.

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

117

PART-II (PRODUCTION, DISPATCHES AND**STOCKS)** (To be submitted separately for each mineral)

(Unit of Quantity in Tonnes)

(PART II-A)

Applicable for all minerals such as construction grade silica sand, non-construction grade calcareous sand, calcareous mud or lime mud, phosphatic sediments, except polymetallic nodules, gold and silver

(Point A1, A2 and A3 to be filled up)

A1. Name of mineral produced:

(Construction grade silica sand, non-construction grade calcareous sand, lime mud, phosphatic sediments)

A2. Production, Dispatches and Stocks (Tonnes):

Average Grades of mineral	Opening stock at mine- head	Production	Dispatches from mine-head	Closing stock at mine-head

A3. Sales/ Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Average Grade of Mineral	Nature of Dispatches	IBM registration number ##	Consignee Name as per IBM registration	Country of dispatch	Quantity in tonnes	Sale value in Rs		
A	B	C	D	E	F	G		
Average Grade of Mineral	Domestic							
	Own Consumption							
	Export Purpose							
	Total				Auto Sum			
Average grade of mineral	Nature of Dispatches	H. Deduction beyond lease area as per sub-rule (6) of rule 48 (Rs/ tonne)						
		i) Cost of transportation				vii) Other charges (specify clearly)		
A	B	H(i)	H(ii)	H(iii)	H(iv)	H(v)	H(vi)	H(vii)
Average Grade of Mineral	Domestic							
	Own Consumption							
	Export Purpose							
	Total							
Average grade of mineral	Nature of Dispatches							
	A	B						
Average Grade of Mineral	Domestic							
	Own Consumption							
	Export Purpose							
	Total							
Total Deduction beyond lease area H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) Rs/tonne	Total Deduction Rs.	Net sale value Rs.			Related party sale / not at Arm's length sale (Yes/No)			
H	I=F*H	J=G-I			K			
		Auto Sum						

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value/ FOB value for each grade of ore quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

A4. Ex-mine price of the ore produced (₹ per unit)

Nature of Dispatches (Data from table A3)	Total dispatches Quantity (Non-related parties sale only) from column - F (tonnes)	Net Sale value of dispatches (non-related parties sale only) from column - J (Rs)	Ex-mine Price (Rs/ tonne)
	A	B	C = B/A
Domestic/Export Sale			

(PART II-B)**Applicable for polymetallic nodules, gold and silver***(Point B1, B2, B3, B4, B5 and B6 to be filled up)**(To be submitted separately for each mineral)**(Unit of Quantity in Tonnes)***B1. Name of mineral produced:****B2. Production and Stocks of ROM ore:**

Average grade of Mineral Ore	Opening stocks at mine-head (in Tonne)	Production (in Tonne)	Dispatches from mine-head (in Tonne)	Closing stocks at mine-head (in Tonne)

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

119

B3. Recoveries at Concentrator/Mill/Plant:

Opening stocks of the Ore at concentrator/plant		Ore received from the mine		Ore treated	
Quantity (Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (Tonne)	Metal content/ grade
Concentrates * Obtained		Tailings		Closing stocks of concentrates at the concentrator/plant	
Quantity (Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (Tonne)	Metal content/ grade

In case of any leaching method adopted, give quantity recovered and grade contained separately.*B4. Recovery at the Smelter/Mill/Plant:**

Opening Stocks of the concentrates at the smelter /plant		Concentrates received from concentrator/plant		Concentrates received from other sources (specify)		Concentrates sold (if any)	
Quantity (Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (Tonne)		Quantity (Tonne)	Metal content/ grade

Concentrates treated		Closing stocks of concentrate at the Smelter/Plant		Metals (*) recovered (specify)			Other by-products, if any, recovered		
Quantity (Tonne)	Metal content/grade	Quantity (Tonne)	Metal content/grade	Quantity (Tonne)	Grade	Value (₹)	Quantity (Tonne)	Grade	Value (₹)

(*) Please give category-wise break-up viz. blister, fire refined copper, cathodes, electrolytic copper wire bars, lead ingots, zinc cathodes, zinc dross, gold, tungsten etc.

B5. Sales during the month:

Metal/ Product	Opening stocks of Metals/Products		Place of sale	Metals/Products sold (@)			Closing stocks of Metals/Products	
	Quantity (Tonne)	Grade		Quantity (Tonne)	Grade	Value (#) (₹)	Quantity (Tonne)	Grade

Note:

(#) Please give ex-plant sale value.

(@) Please give category-wise break-up of metals and other products sold.

B6. Sales/ Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Grade/ Concentrate	Nature of Dispatches	IBM registration number ##	Consignee Name as per IBM registration	Country of dispatch	Quantity in tonnes	Sale value in Rs		
A	B	C	D	E	F	G		
Grade/ Concentrate	Domestic							
	Own Consumption							
	Export Purpose							
Total					Auto Sum			
Grade/ Concentrate	Nature of Dispatches	H. Deduction beyond lease area as per sub-rule (6) of rule 48 (Rs/ tonne)						
		i) Cost of transport ation						vii) Other charges (specify clearly)
A	B	H(i)	H(ii)	H(iii)	H(iv)	H(v)	H(vi)	H(vii)
Grade/ Concentrate	Domestic							
	Own Consumption							
	Export Purpose							
Total								
Grade/ Concentrate	Nature of Dispatches	Total Deduction beyond lease area H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) Rs/tonne		Total Deduction Rs.		Net sale value Rs.		Related party sale / not at Arm's length sale (Yes/No)
A	B	H		I=F*H		J=G-I		K
Grade/	Domestic							

Concentrate	Own Consumption				
	Export Purpose				
	Grand Total			Auto Sum	

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value/ FOB value for each grade of ore/concentrate quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced

whenever required).

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

121

B7. Ex-mine price of the ore produced (₹ per unit)

Nature of Dispatches (Data from table-B6)	Total dispatches Quantity (Non related party sales only) from column - F (tonnes)	Net Sale value of dispatches (Non related party sales only) from column - J (Rs)	Ex-m (Rs/
	A	B	C =
Domestic/ Export Sale			
6. Give reasons for increase/decrease in production/nil production, if any, during the month compared to the			
(a)			
(b)			
(c)			
7. Give reasons for increase/decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the month compared to the pr			
(a)			
(b)			
(c)			
8. Remarks/ Comments, if any:			

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer

FORM-H

[See rule

48(3)(b)]

For the financial year 1st April, 20 to 31st March, 20**ANNUAL RETURN**

[To be used for all

minerals] To

(i) The Regional Controller

Indian Bureau of Mines

Region, PIN:

(Please address to Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mine falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.)

(ii) administering authority and

(iii) Authorised officer of the Indian Bureau of Mines

PART – I (General)

1. Details of Mine:	
(a) Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (to give registration number of the Lessee/Owner)	
(b) Mine Code (allotted by Indian Bureau of Mines)	
(c) Name of the Mineral	
(d) Name of Mine	
(e) Name(s) of other mineral(s), if any, produced from the same mine	
(f) Mode of grant (Auction/ reservation):	
(g) Auction Premium (%)	
2. Location of the Mine:	
(a) NHO Chart No.	
(b) Area in sq. km.	
(c) Number of standard blocks included in the mineral block	
(d) Boundary coordinates of the block (in Decimal degree)	
(e) Coast/ Sea	
(f) Offshore Region	
(g) Nearest Coastal Location	
(h) Water depth (m)	
(i) Nearest Harbour/ Port	
3. Name and address of Lessee/ Owner (along with fax no. and e-mail):	
(a) Name of Lessee/Owner	
(b) Address	
(c) District	
(d) State	
(e) PIN Code	
(f) Fax no:	
(g) E-mail:	
(h) Phone No:	
(i) Mobile:	
4. Registered Office of the Lessee:	
5. Director in charge:	
6. Agent:	

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

123

7. Manager:	
8. Mining Engineer in charge:	

9. Geologist in charge:	
10. Transferor (previous owner), if any, and date of transfer:	
11. Particulars of lease area	
(a) Lease number allotted by the Indian Bureau of Mines.....	
(b) Area under lease (in latitude and longitude and in number of standard blocks):	
(i) Prohibited/Protected area	
(ii) Non Prohibited/Protected area	
(iii) Total	
(c) Date of execution of production lease deed	
(d) Date of registration of executed production lease deed	
(e) Date of expiry of lease	
12. Lease area utilisation as at the end of year (in latitude and longitude and in number of standard blocks):	
(a) Already exploited and abandoned	
(b) Covered under current Workings	
(c) Rehabilitated	
(d) Used for waste disposal	
(e) Occupied by any vessel, platform, installation or any other infrastructure	
(f) Used for any other purpose (specify)	
(g) Work done under progressive mine closure plan during the year	
13. Ownership of the mine:	
(Public Sector/Private Sector/Joint Sector)	

PART - II (Employment and Wages)

1. Number of supervisory staff employed at the mine		
Description		
(i) Mining Engineer		
(ii) Geologist		
(iii) Surveyor		
(iv) Other administrative and technical supervisory staff		
Total:		
2. (a) Number of days the mine worked:		
(b) No. of shifts per day:		
(c) Indicate reasons for work stoppage in the mine during the year (due to strike, lockout, heavy rain, cyclone, natural calamity, non-availability of labour, transport bottleneck, lack of demand, uneconomic operations etc.) and the number of days of work stoppage for each	Reasons	No. of days

3. Employment and salary/wages paid #:

Classification (At the lease area)	Total number of man days worked during the year			No. of days worked during the year	Average daily number of persons employed			Total Wages /Salary for the year (₹)
	Direct	Contract	Total		Male	Female	Total	
(1)	2(A)	2(B)	2(C)	(3)	4(A)	4(B)	4(C)	(5)
Engaged in production operations								
Engaged in supporting function								

Total	auto	auto	auto		auto	auto	auto	auto
-------	------	------	------	--	------	------	------	------

To include all employees exclusive to the mine and attached workshop or mineral processing plant at the offshore mine site.

PART - III (Consumption of Materials)

1. Quantity and cost of material consumed during the year

Description	Unit	Quantity	Value (₹)
(i) Fuel			
(a) Coal	Tonnes		
(b) Diesel Oil	Ltrs.		
(c) Petrol	Ltrs.		
(d) Gas	Cu. m		
(ii) Electricity			
(a) Consumed	kWh		
(b) Generated	kWh		
(iii) Spares and stores			

2. Royalty, Auction Premium, Rents, Contribution towards Offshore Areas Mineral Trust and Contribution towards International Seabed Authority (₹):

X	Paid for current year	Paid towards past arrears
(a) Royalty		
(b) Auction Premium		
(b) Fixed rent		
(c) Rent		
(d) Payment made to the Offshore Areas Mineral		
(e) Payment made to the International Seabed Authority		
(f) Any other payment (₹) (as specified)		

3. Other expenses (₹):

(i) Overheads	
(ii) Maintenance	
(iii) Money value of other benefits paid to workmen	
(iv) Payment made to professional agencies	

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

125

PART-IV (General Geology)

(Items 2 and 3 to be submitted separately for each mineral)

1. Exploration

1(i). Exploration activities during the year:

		At the beginning of the year	During the year	Cumulative	Grid spacing/ Dimension
Exploration	Grab sampling (no.)				
	Core sampling (no.)				
	Bathymetry (line km)				
	Sub-bottom profiling (line km)				
	Multibeam bathymetry (area in sq. km)				
	Seismic survey (line km)				

	Environment Impact Assessment				
	Any other (Remotely operated vehicle, Under water video)				
Drilling	No of boreholes				
	Meterage				
Expenditure on exploration (₹)					X

1(ii). Any other exploration activity during the year:

2. Reserves and Resources estimated (in tonnes):

Classification	Code	At the beginning of the year 1.4.20__ as per latest approved production	Assessed during the year	Depletion of reserves during the year	Balance resources as on 31.3.20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3+4-5)
A. Mineral Reserve					
1. Proved Mineral Reserve	111				
2. Probable mineral Reserve	121				
	122				
3. Total Reserves					
B. Remaining Resources					
1. Feasibility mineral Resource	211				
2. Prefeasibility mineral resource	221				
	222				
3. Measured mineral resource	331				
4. Indicated mineral resource	332				
5. Inferred mineral resource	333				
6. Reconnaissance mineral resource	334				
7. Total remaining Resources					
Total (A+B)					

3. Type of dredging vessel:

1. Number of dredging vessels deployed		
Description	No. days deployed	Quantity dredged (Tonnes)
Vessel I (Name, country, Call sign)		
(i) Type of dredger		
(ii) Designed capacity / day		
(iii) Actual production /day		
Vessel II (Name, country, Call sign)		
(i) Type of dredger		
(ii) Designed capacity / day		
(iii) Actual production /day		
Vessel III (Name, country, Call sign)		
(i) Type of dredger		
(ii) Designed capacity / day		
(iii) Actual production /day		
Total:		

4 (i) Details of mineral processing plant, if any: Give a brief description of the process capacity of the equipment deployed and its availability. *(Submit Flow Sheet and Material Balance of the Plant separately).*

(ii)Furnish following information:

Item	Tonnage	Average Grade
Feed:		
Concentrates/processed products:	(mention name)	
By-products/Co-products:	(mention name)	
Tailings:		

PART-V (PRODUCTION, DISPATCHES AND STOCKS)

(To be submitted separately for each mineral)

(Unit of Quantity in Tonnes)

(Part V-A)

Applicable for all minerals such as construction grade silica sand, non-construction grade calcareous sand, calcareous mud or lime mud, phosphatic sediments, except polymetallic nodules, gold and silver
(Point A1, A2 and A3 to be filled up)

A1. Name of mineral produced:

(Mineral - Construction Grade Silica Sand, non-construction grade calcareous sand, lime mud, phosphatic sediments)

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

127

A2. Production, Dispatches and Stocks: [in tonnes]

Average Grades of mineral	Opening stock at mine- head	Production	Dispatches from mine-head	Closing stock at mine-head

A3. Sales/ Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Average Grade of Mineral	Nature of Dispatches		IBM registration number ##	Consignee Name as per IBM registration	Country of dispatch	Quantity in tonnes		Sale value in Rs
A	B		C	D	E	F		G
Average Grade of Mineral	Domestic							
	Own Consumption							
	Export Purpose							
	Total					Auto Sum		
Average grade of mineral	Nature of Dispatches	H. Deduction beyond lease area as per sub-rule (6) of rule 48 (Rs/ tonne)						
		i) Cost of transportation	vii) Other charges (specify clearly)					
A	B	H(i)	H(ii)	H(iii)	H(iv)	H(v)	H(vi)	H(vii)
Average grade of mineral	Domestic							
	Own Consumption							
	Export Purpose							
	Total							

Average grade of mineral	Nature of Dispatches	Total Deduction beyond lease area H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) Rs/tonne	Total Deduction Rs.	Net sale value Rs.	Related party sale / not at Arm's length sale (Yes/No)
A	B	H	I=F*H	J=G-I	K
Average grade of mineral	Domestic				
	Own Consumption				
	Export Purpose				
	Total			Auto Sum	

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value/ FOB value for each grade of ore quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

A4. Ex-mine price of the ore produced (₹ per unit)

Nature of Dispatches (Data from table A3)	Total dispatches Quantity (Non-related parties sale only) from column - F (tonnes) A	Net Sale value of dispatches (non-related parties sale only) from column - J (Rs) B	Ex-mine Price (Rs/ tonne) C = B/A
Domestic/Export Sale			

(Part V-B)

Applicable for polymetallic nodules, gold and silver

(Point B1, B2, B3, B4, B5 and B6 to be filled up)

(To be submitted separately for each mineral)

(Unit of Quantity in Tonnes)

B1. Name of mineral produced:

B2. Production and Stocks of ROM ore:

Average grade of Mineral Ore	Opening stocks at mine-head (in Tonne)	Production (in Tonne)	Dispatches from mine-head (in Tonne)	Closing stocks at mine-head (in Tonne)

B3. Recoveries at Concentrator/Mill/Plant:

Opening stocks of the Ore at concentrator/plant			Ore received from the mine		Ore treated	
Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade		Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade
Concentrates * Obtained			Tailings		Closing stocks of concentrates at the concentrator/plant	
Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade		Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade

*In case of any leaching method adopted, give quantity recovered and grade contained separately.

[भागII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

129

B4. Recovery at the Smelter/Mill/Plant:

Opening Stocks of the concentrates at the smelter /plant		Concentrates received from concentrator/plant		Concentrates received from other sources (specify)		Concentrates sold (if any)			
Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)		Quantity (in Tonne)			
Concentrates treated		Closing stocks of concentrate at the Smelter/Plant		Metals (*) recovered (specify)			Other by-products, if any, recovered		
Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Metal content/ grade	Quantity (in Tonne)	Grade	Value (₹)	Quantity (in Tonne)	Grade	Value (₹)

(*) Please give category-wise break-up viz. blister, fire refined copper, cathodes, electrolytic copper wire bars, lead ingots, zinc cathodes, zinc dross, gold, tungsten etc.

B5. Sales during the year:

Metal/ Product	Opening stocks of Metals/Products		Place of sale	Metals/Products sold(@)			Closing stocks of Metals/Products	
	Quantity	Grade		Quantity	Grade		Quantity	Grade

Note:

(#) Please give ex-plant sale value.

(@) Please give category-wise break-up of metals and other products sold.

B6. Sales/ Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Grade/ Concentrate		Nature of Dispatches		IBM registration number ##		Consignee Name as per IBM registration		Country of dispatch		Quantity in tonnes		Sale value in Rs	
A		B		C		D		E		F		G	
Average Grade/ Concentrate		Domestic											
		Own Consumption											
		Export Purpose											
Total										Auto Sum			
Grade/ Concentr ate	Nature of Dispatches	H. Deduction beyond lease area as per sub-rule (6) of rule 48 (Rs/ tonne)											
		i) Cost of transporta tion	ii) Loading and unloading charges	iii) Railway freight, if applicabl e	iv) Port handling charges/ export	v) Charges for sampling and	vi) Rent for plot at stocking yard	vii) Other charges (specify clearly)					

A	B	H(i)	H(ii)	H(iii)	H(iv)	H(v)	H(vi)	H(vii)
Average Grade/ Concentrate	Domestic							
	Own Consumption							
	Export Purpose							
Total								
Grade/ Concentrate	Nature of Dispatches	Total Deduction beyond lease area H (i + ii + iii + iv + v + vi + vii) Rs/tonne			Total Deduction Rs.	Net sale value Rs.	Related party sale / not at Arm's length sale (Yes/No)	
A	B	H			I=F*H	J=G-I	K	
Average Grade/ Concentrate	Domestic							
	Own Consumption							
	Export Purpose							
	Grand Total					Auto Sum		

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value/ FOB value for each grade of ore/concentrate quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

B7. Ex-mine price of the ore produced (₹ per unit)

Nature of Dispatches (Data from table-B6)	Total dispatches Quantity (Non related party sales only) from column - F (tonnes)	Net Sale value of dispatches (Non related party sales only) from column - J (Rs)	Ex-mine price (Rs)
	A	B	C
Domestic/ Export Sale			

7. Give reasons for increase/decrease in production/nil production, if any, during the year compared to the previous year.

(a)	
(b)	
(c)	

8. Give reasons for increase/decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the year compared to the previous year.

[भागIII—खण्ड3(i)]

भारतकाराजपत्र:असाधारण

131

(a)	
(b)	
(c)	
8. Remarks/ Comments, if any:	

PART-VI: COST OF PRODUCTION

Cost of production per tonne of ore/mineral produced

Sl.No.	Item	Cost per tonne (₹)
(i)	Direct Cost	
	(a) Exploration	

	(b) Production	
	(c) Beneficiation	
(ii)	Over-head cost	
(iii)	Depreciation	
(iv)	Interest	
(v)	Royalty	
(vii)	Payments made to the Offshore Areas Mineral Trust	
(viii)	Payments made to the International Seabed Authority (if applicable)	
(ix)	Taxes	
(x)	Fixed Rent	
(xi)	Others (specify)	
	Total	

Note: Information given under Part VI will be kept confidential. The Government, however, will be free to utilize the information for general studies without revealing the identity of the firm.

VERIFICATION

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place:	<i>Signature</i> Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer
Date:	

FORM-I

(See rule 49)

(Notice of certain appointment-resignation-termination-change of address)**IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM**

- i. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within fifteen days of new appointment or termination from employment or leaving or change in address of Agent, Mining Engineer, Geologist or Manager or any other person, by online or Email.
- ii. This should be also sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the operating right falls as notified from time to time by the Controller General under rule 66 of the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.
- iii. The form should be digitally signed by the concerned person.

1.	IBM Registration Number			
2.	Type of Operating Right			Check which is applicable
	(a) Composite licence			
	(b) Production lease			
	(c) Reconnaissance Operations			
3.	Unique IBM Operating Right number			
	(a) Composite licence			
	(b) Production lease Code			
	(c) Exploration Operation/ Reconnaissance Operations number (only applicable to agencies authorised under the proviso to sub-section (1) of section 5)			
4.	Mine Code			
5.	Name of Mine			
6.	Name and address of the Operating Right holder			(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'E')
7.	Particulars of the Operating Right			(Information will be system generated. Linked with Entry 5 / 6 of Form 'E')
8.	Location of the lease/ licence area			(Information will be system generated. Linked with Entry 5 / 6 of Form 'E')
9.	Please indicate whether notice is given in respect of			
	(a) New appointment			
	(b) Resignation/termination of employment			
	(c) Change of address			
10.	In case of appointment of Agent/Mining Engineer/Geologist/Manager, please indicate			
Name	Designation			Address
Qualification	University/ Institution from which passed	E- mail	Mobile no.	Date of appointment

11.	In case of resignation/termination of employment of Agent/ Mining Engineer/ Geologist/ Manager, please indicate	
Name	Designation	Date of resignation/termination of employment

[In case the vacancy so created has been filled in, please furnish the particulars of the same in columns 9(a)]

12.	In case of change of address of the Licensee/ Lessee/ Agent/ Minin /Manager, please indicate		
Name	Designation	Present Address	Date of change of address

In case of any appointment, acceptance of the appointee to be provided:

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place: Date:	Signature Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer
-----------------	--



THE SECOND SCHEDULE

[see rule 48(5)]

AMOUNT TO BE PAID IN CASE OF VIOLATION UNDER RULE 48

Item (1)	Amount (in Rs.) (2)	Explanation (3)
Non-submission or incomplete/ wrong/ false information in monthly returns in Form-G; by the due date	Rs 10,000/- per day after due date of submission of return as specified in the Rule till rectification of violation	In case of referred back returns by Indian Bureau of Mines for incorporating necessary corrections, to be undertaken by the lease holder, and if corrected within the allotted time limit and accepted thereafter by the Indian Bureau of Mines, no amount will be payable for the intervening period for such corrections.
Non-submission or incomplete/ wrong/ false information in annual returns in Form-H; by the due date	Rs 10,000/- per day after due date of submission of return as specified in the Rule till rectification of violation	Failure to rectify in such cases shall attract the payment as



THE THIRD SCHEDULE

[see rule 60(2)]

Rules whose contravention shall be punishable with fine

Rule No.	Marginal heading of the Rule	Amount of Fine (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
Sub-rule (2) of rule 18	Modification and review of production plan	2,000/- per day, subject to maximum 5,00,000/-
21	Exploration operations and production operations	5,00,000/-
22	Machinery and plant	5,00,000/-
23	Notice for commencement of production operations of mine	5,00,000/-
28	Notice of temporary discontinuance of work in mines and obligations of lessees	5,00,000/-
29	Intimation of reopening of a mine	5,00,000/-
49	Notice of certain appointments	2,000/- per day, subject to maximum 1,00,000/-
53	Employment of geologists and mining engineers	5,00,000/-

[F. No. M.VI-1/9/2024-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA

10/11/2024 10:11 A.
Date: 2025-01-01 10:11:04